मध्य प्रदेश शासन

गृह विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2015–2016

***

विभागीय संरचना

माननीय मंत्री जी	**श्री बाबूलाल गौर**
अपर मुख्य सचिव	**श्री बसंत प्रताप सिंह**
प्रमुख सचिव	**श्रीमती सीमा शर्मा**
सचिव (पुलिस)	**श्री डी0 पी0 गुप्ता**
उप सचिव	**श्री लक्ष्मीकान्त द्विवेदी**
उप सचिव	**श्री अजय शर्मा**
उप सचिव	**श्री संजीव श्रीवास्तव**
उप सचिव	**श्रीमती अजीजा सरशार जफर**
अवर सचिव	**श्रीमती कमला उपाध्याय**
अवर सचिव	**श्री श्रीदास**
अवर सचिव	**डी0एस0 मुकाती**

गृह विभाग के अन्तर्गत कार्यरत विभागाध्यक्ष

1.	पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय, भोपाल	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह
2.	अध्यक्ष म0प्र0 पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन	श्री ऋषि कुमार शुक्ला
3.	महानिदेशक होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा	श्री मैथिलीशरण गुप्त
4.	संचालक लोक अभियोजन	श्री संजय चौधरी
5.	संचालक सैनिक कल्याण संचालनालय	ब्रिगेडियर आर0एस0 नौटियाल (से0नि0)
6.	संचालक संपदा संचालनालय	श्री अजय शर्मा
7.	संचालक मेडिकोलीगल संस्थान	डॉ0 डी0एस0 बडकुर
8.	अधीक्षक मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज	श्री संजीव श्रीवास्ताव
9.	प्रभारी संचालक राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल, सागर)	श्री एन0एस0 परमार

प्रमुख दायित्व

गृह विभाग, प्रदेश में कानून और व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा व शांति बनाये रखने, शस्त्र अधिनियम, विदेशियों से संबंधित अधिनियम, म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 आदि की क्रियान्वयन एवं अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के दायित्वों का निर्वहन करता है।

इस विभाग के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा, राज्य पुलिस सेवा, नगर सेना, लोक अभियोजन एवं सैनिक कल्याण से संबंधित समस्त विषय, शासकीय सेवकों के आवास आवंटन, पारपत्र/वीसा, अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित व्यवस्था मंत्रियों तथा अधिकारियों को शासकीय आवासों का आवंटन, उनके लिये वाहन व्यवस्था, शासकीय टेलीफोन व्यवस्था आदि कार्यो का संपादन किया जाता है।

गृह विभाग के अधीन प्रतिपादित किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार है :–

अ– सामान्य

1. नागरिकता और देशीकरण
2. पारपत्र और दृष्टांक (वीसा)
3. अन्य देशीय
4. अन्तर्राज्यीय प्रवजन अन्तर्राज्यीय निरोध
5. प्रत्यर्पण
6. भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं
7. राज्य और जिला सैनिक, नाविक तथा वैमानिक मण्डल को सम्मिलित करते हुये सैनिकों सिविल पायोनियर्स तथा युद्व उद्योंगों में श्रमिकों का पुनर्वास/पुर्ननियुक्ति
8. अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित सामान्य प्रश्न
9. जनगणना
10. मंत्रियों और मंत्रीगणों के निवास भवनों का आवंटन
11. भोपाल स्थित मोटर वर्क्स तथा स्टेट गैरेज से वाहनों का आवंटन
12. सरकारी मोटर गाड़ियां जो मंत्रियों और संसदीय सचिवों के उपयोग के लिये रखी गई है, का रखरखाव
13. चयनित विभागों के लिये सरकारी टेलीफोन व्यवस्था
14. ऐसे सरकारी भवनों में जो सामान्य पूल के हो और जो निवास के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाते हो, बिजली प्रकाश तथा पंखा की व्यवस्था
15. वर्दियां
16. अशासकीय संघो (एसोशिएशन) द्वारा पारित संकल्प
17. ऐसे शासकीय सेवकों के (जो पाकिस्तान चले गये थे) वेतन, छुट्टीवेतन, भविष्य निधि निवृत्ति वेतन आदि का बकाया संबंधी दावे
18. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
19. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये आशयित निवास भवनों के निर्माण के लिये प्रशासकीय अनुमोदन और उनका आवंटन
20. ऐसी सेवाओं से सम्बद्व सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ नियुक्तियॉ, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, छुट्टी, निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां, भविष्यनिधियां प्रतिनियुक्तिां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

आ–पुलिस

1. सार्वजनिक व्यवस्था
2. आंतरिक सुरक्षा
3. पुलिस जिसके अन्तर्गत रेल्वे और ग्राम पुलिस भी है, किन्तु विशेष पुलिस स्थापना शामिल नहीं है।
4. पुलिस प्रशिक्षण शालायें और महाविद्यालय
5. शस्त्रास्त्र, आग्नेय युद्धोपकरण
6. फड़ लगाना और जुआ
7. पुलिस बल की शक्तियां और क्षेत्राधिकार का अन्य क्षेत्रों पर विस्तार
8. केन्द्रीय गुप्तवार्ता और अनुसंधान विभाग
9. सैनिक शिक्षा (नगर सेना)
10. राजनैतिक अपराध
11. निवारक निरोध तथा ऐसे अन्य व्यक्ति जो विदेशी कार्य, भारत की प्रतिरक्षा संबंधी कारणों से ऐसे निरोध के अध्याधीन है।
12. राज्य की सुरक्षा से सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने अथवा समुदायों के लिये,अत्यावश्यक संभरणों और सेवाओं को बनायें रखने से सशक्त कारणों के लिये निवारक निरोध, ऐसे निरूद्ध व्यक्ति
13. सिविल प्रतिरक्षा
14. अर्न्तराज्यीय पुलिस बेतार (वायरलैस) पद्धति
15. पुलिस पदक
16. भारतीय पुलिस सहित भारतीय पुलिस सेवा से संबंधित विषयक
17. ऐसी सेवाओं से संबंधित सभी विषय जिनका विभाग से संबंध हो (वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आवंटित किये गये विषयों को छोड़कर) उदाहरणार्थ नियुक्तियां, पदस्थापनायें,स्थानांतरण, वेतन छुट्टियां निवृत्ति वेतन, पदोन्नतियां भविष्यनिधियां, प्रतिनियुक्तियां, दण्ड तथा अभ्यावेदन।

पुलिस मुख्यालय, भोपाल
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष–2015–2016

मध्य प्रदेश पुलिस

1. प्रशासन शाखा

पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा द्वारा भारतीय पुलिस सेवा , राज्य पुलिस सेवा एवं निरीक्षक से आरक्षक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा से संबधित कार्यवाहियां संपादित की जाती हैं। प्रशासन शाखा के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) हैं। जिसके अंतर्गत राजपत्रित शाखा एवं कार्मिक शाखा कार्य करती है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) के अधीनस्थ दो पुलिस महानिरीक्षक एवं तीन सहायक पुलिस महानिरीक्षक कार्यरत हैं। पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) भारतीय पुलिस सेवा एवं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के स्थापना संबधित कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं, तथा पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) निरीक्षक से आरक्षक एवं अनुसचिवीय बल से संबधित कार्य संपादित कराते हैं।

राजपत्रित शाखा द्वारा सेवा अभिलेख संधारण, स्थानांतरण, पदोन्नति, अवकाश, गोपनीय चरित्रावलियों का संधारण, समय समय पर दिये जाने वाले विभिन्न वेतनमान हेतु पदोन्नति, पुलिस विभाग में दिये जाने वाले विशिष्ट एवं सराहनीय सेवा पदक, के0एफ0 रूस्तमजी पुरूस्कार, पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति पत्र, राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति, पासपोर्ट एवं विदेश यात्रा हेतु अनुमति दिये जाने की कार्यवाही , भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग पुनरीक्षण एवं राज्य पुलिस सेवा के पदों पर सीधी भर्ती/पदोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

कार्मिक शाखा मुख्य रूप से अराजपत्रित कर्मचारियों के संबध में उपरोक्त सभी बिंदुओं पर कार्य करती है, तथा अनुकंपा नियुक्ति, भर्ती हेतु पदों का आकलन कर मांगपत्र चयन शाखा को उपलब्ध कराती है। विभिन्न संवर्गो के अधिकारी/कर्मचारियों के सेवा संबंधी न्यायालयीन प्रकरणों पर मार्ग दर्शन आवश्यक कार्यवाही करना।

वर्ष 2015–16 के अंतर्गत दिनांक 01.01.2015 से दिनांक 31.12.2015 तक किये गये महत्वपूर्ण कार्य

वर्ष	पदोन्नति	प्रदत्त वेतनमान	पदक
2015 जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015	1–अति.म.नि. से पुलिस महानिदेशक–01 1–अति.म.नि. से विशेष पुलिस महानिदेशक–03 2–पु.म.नि. से अति. म.नि.–06 3–उ.म.नि. से पु.म.नि.–07 4–पु.अ. से उमनि–04 5–रा.पु.से. भा.पु.से.–08 6–उ.पु.अ. से अति.पु.अ.–20 7–निरीक्षक से उ.पु.अ.–478	**भा.पु.से.** 1– प्रवर श्रेणी वेतनमान–08 2–कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान– **रा.पु.से.** वरिष्ठप्रवर श्रेणीवेतनमान–10 2.प्रवर श्रेणी वेतनमान–19 3.वरिष्ठ वेतनमान–70	अ– गणतंत्र दिवस– 1– विशिष्ट सेवा–04 2– सराहनीय सेवा–17 स्वतंत्रता दिवस– 1– विशिष्ट सेवा–04 2– सराहनीय सेवा–16 ब–रूस्तमजी पुरूस्कार– 1– परम विशिष्ट –04 2– अति विशिष्ट –04 3– विशिष्ट –23

1.2 कार्मिक शाखाः–

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015–2016 के अंन्तर्गत दिनांक 01/01/15से 31/12/15 की स्थिति में योग्यता सूची/पदोन्नति/सीधी भर्ती एवं अनुकंम्पा नियुक्ति की जानकारी जो निम्नानुसार हैः–

स.क्र	संवर्ग का नाम	पदोन्नति द्वारा भरे गये पदों की संख्या	सीधी भर्ती द्वारा भरे गये पदो की संध्या	अनुकंम्पा नियुक्ति
	कार्यपालिक			
1	सूबेदार से रक्षित निरीक्षक	25	–	–
2	उप.निरीक्षक से निरीक्षक	264	–	–
3	सहा.उप.निरीक्षक से उप.निरीक्षक	845	–	–
	अनुसचिवीय बल (पु0मु0 संवर्ग)			
1	कनिष्ठ श्रेणी शीले से वरिष्ठ श्रेणी	22	–	–
2	वरिष्ठ श्रेणी शीले से प्रवर श्रेणी	09	–	–
3	शीघ्रलेखक	–	75	–
4	सहा.अधीक्षक/आड़िटर(सूबेदार–अ)से कार्यालय अधीक्षक	26	–	–
5	ग्रेड–1सूबेदार(अ) से सहा.अधीक्षक / आडिठर	38	–	–
6	आंकिक से ग्रेड–1सूबेदार (अ)	32	–	–
7	उप निरीक्षक (अ) से आंकिक	34	–	–
8	सहा.उप निरीक्षक (अ) उप निरीक्षक(अ)	39	–	–

9	सहायक उप निरीक्षक (अ)	—	172	03
10	आरक्षक(अ)/प्र0आर0(अ) से सहायक उप निरीक्षक (अ)	08	—	—
11	प्रधान आरक्षक (अ)	—	—	01
12	आरक्षक (अ)	—	—	08
13	आरक्षक (अ) से प्रधान आरक्षक (प्रेस)	04	—	—
14	आरक्षक (प्रेस) से प्रधान आरक्षक (प्रेस)	02	—	—
15	आरक्षक (ट्रेड) प्रधान आरक्षक (ट्रेड)	02	—	—
	अनुसचिवीय बल (जिला इकाई संवर्ग)			
1	आंकिक/ सूबेदार(अ) से गेड–1 सूबेदार(अ)	34	—	—
2	उप निरीक्षक (अ) से आंकिक	56	—	—
3	सउनि(अ) से उप.निरी (अ)	90	—	—

योग्यता सूचीः–

उप निरीक्षक से निरीक्षक संवर्गः–

स. क	संवर्ग का नाम	योग्यता सूची में लाये गये कर्मचारियों की कुल संख्या	अनारक्षित	अनु.जाति	अनु.जन. जाति
	कार्यपालिक				
1	सूबेदार से रक्षित निरीक्षक	24	24	00	00
2	उप निरीक्षक से निरीक्षक	156	156	00	00
3	सहा.उप.निरीक्षक से उप.निरीक्षक	521	289	51	181
	अनुसचिवीय बल (पु0मु0 संवर्ग)				
1	कनिष्ठ श्रेणी शीले से वरिष्ठ श्रेणी	14	14	—	—
2	वरिष्ठ श्रेणी शीले से प्रवर श्रेणी शीघ्रलेखक	09	09	—	—
3	सहा.अधीक्षक/आड़िटर (सूबेदार–अ)से कार्यालय अधीक्षक	19	19	—	—
4	ग्रेड–1सूबेदार(अ) से सहा.अधीक्षक / आडिठर	49	45	03	01
5	आंकिक से ग्रेड–1सूबेदार (अ)	23	23	—	—
6	उप निरीक्षक (अ) से आंकिक	47	44	03	—
7	सहा.उप निरीक्षक (अ) उप निरीक्षक(अ)	14	11	02	01
8	आरक्षक(अ)/प्र0आर0(अ) से सहायक उप निरीक्षक (अ)	07	05	01	01
9	आरक्षक (अ) से प्रधान आरक्षक (प्रेस)	07	05	02	—
10	आरक्षक (प्रेस) से प्रधान आरक्षक	02	02	—	—

	(प्रेस)				
11	आरक्षक (ट्रेड) प्रधान आरक्षक (ट्रेड)	02	—	02	—
	अनुसचिवीय बल (जिला इकाई संवर्ग)				
1	आंकिक / सूबेदार(अ) से गेड–1 सूबेदार(अ)	38	24	05	09
2	सउनि(अ) से उप.निरी (अ)	65	30	—	35

2. कल्याण शाखा–

2.1 अशासकीय निधियों के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से वार्षिक अंशदान प्राप्त कर केन्द्रीय कल्याण निधि का गठन किया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक 26252 दिनांक 13.6.1994 है। इस निधि से आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु परोपकार निधि, संकट निधि, शिक्षा निधि, सुख सुविधा निधि (एमिनिटी फंड), बटालियन/लाईन फंड आदि मद स्थापित किये गये हैं। केन्द्रीय कल्याण निधि के वार्षिक आय–व्यय के लेखों का अनुमोदन तथा नई योजनाओं हेतु प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय संयुक्त पुलिस परामर्शदात्री एवं केन्द्रीय प्रबंध समिति की वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है।

2.2 कल्याणकारी गतिविधियों के अंतर्गत पुलिस विभाग की इकाईयों में निम्नलिखित 27 प्रकार की 400 कल्याणकारी गतिविधियां संचालित हैं। इन गतिविधियों के छःमाही लाभांश की 20 प्रतिशत राशि जनवरी एवं जुलाई में पुलिस मुख्यालय की केन्द्रीय कल्याण निधि में प्राप्त होती है तथा 80 प्रतिशत राशि का उपयोग मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने में जैसे–पुलिस लाईन/बटालियन में आवासगृह मरम्मत/चिल्ड्रन पार्क/सड़क मरम्मत इत्यादि के लिये किया जाता है।

2.3 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के एक दिन के मूल वेतन के बराबर अंशदान प्रत्येक वर्ष के माह अक्टूबर में केन्द्रीय कल्याण निधि में प्राप्त होता है। शासन अनुदान केवल परोपकार निधि, शिक्षा निधि, एमिनिटी फंड तथा लाईन फंड में प्राप्त होता है।

2.5 मध्य प्रदेश पुलिस की विभिन्न पुलिस इकाईयों में संचालित गतिविधियों की संख्या :–

क्रमांक	गतिविधी का नाम	संख्या	क्रमांक	गतिविधी का नाम	संख्या
1.	पुलिस कल्याण केन्द्र	59	**15.**	मसाला चक्की	04
2.	लाइब्रेरी	23	**16.**	मछली पालन	01
3.	अराजपत्रित मैस	35	**17.**	एस0टी0डी0/पी0सी0ओ0	03
4.	चिल्ड्रन पार्क	25	**18.**	होजरी सिलाई केन्द्र	05
5.	मनोरंजन गृह	31	**19.**	समुदायिक भवन	13
6.	दूध डेयरी (मिल्क बूथ)	04	**20.**	ब्लेंको	01
7.	ग्रेनशाप	22	**21.**	जिम	05
8.	आटा चक्की	33	**22.**	परेड़ ग्राउण्ड़	01
9.	खेती (कृषि)	01	**23.**	ए0टी0एम0 किराया	01
10.	टी–केन्टीन	30	**24.**	सब्जी शाप	03
11.	जनरल केन्टीन	30	**25**	शामियाना	01
12.	पेट्रोल पंप	23	**26**	सहकारी बैंक	22
13.	गैस एजेंसीस	19	**27**	पुलिस स्कूल	02
14.	फोटी कॉपी मशीन	03		**योग**	**400**

इन गतिविधियों में पुलिस कर्मचारियों के आश्रितों को मानदेय पर रखा जाकर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तथा पुलिस कल्याण केन्द्र में पुलिस परिवार की महिला एवं पुत्रियां कार्य करती हैं जिन्हें पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। सीपीसी कैंटीन अंतर्गत रियायती दरों पर 17 से 38 प्रतिशत की छूट पर दैनिक उपयोग की सामग्री तथा गैस एजेंसी द्वारा समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराये जाते हैं। पुलिस कर्मचारियों को शासकीय कार्य पर अन्य जिले में न्यूनतम दर पर मैस में कमरा एवं भोजन उपलब्ध कराया जाता है। पुलिस परिवारों की सुविधा हेतु पुलिस इकाईयों में पार्क एवं पुस्तकालय तथा मनोरंजन गृह बनाये गये हैं।

2.6 कल्याण निधि से निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है:–

2.6.1 **केन्द्रीय कल्याण निधि–** पुलिस इकाईयों में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने जैसे–पुलिस लाईन/बटालियन में आवासगृह मरम्मत/चिल्ड्रन पार्क/सड़क मरम्मत इत्यादि के लिये राशि का उपयोग किया जाता है, साथ ही इकाईयों में नई कल्याणकारी गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु अनुदान/अग्रिम राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2015.16 में अंशदान एवं ब्याज तथा गतिविधियों के लाभांश से कुल रूपये 274.33 लाख प्राप्त हुये हैं।

2.6.2 **चिकित्सकों को मानदेय**– पुलिस कर्मचारियों एवं उनके परिवार की बीमारियों के इलाज हेतु प्रदेश के पुलिस चिकित्सालयों में चिकित्सा विशेषज्ञो की सेवायें मानदेय पर ली जाकर रूपये 2,000/– से 15,000/–प्रतिमाह स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराने के फलस्वरूप मानदेय भुगतान किया जाता है।

2.6.3 **शिक्षा निधि–** पुलिस विभाग के मेधावी छात्र/छात्राओं को कक्षा 11वीं से लेकर उच्च शिक्षा हेतु रूपये 1,500/– से 24,000/– तक की आर्थिक सहायता तथा शासकीय व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत रहने पर वार्षिक ट्यूशन फीस का भुगतान किया जाता है। शहीद पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को भी उपरोक्तानुसार शिक्षा निधि से आर्थिक सहायता दी जा रही है। वर्ष 2015.16 में अंशदान एवं ब्याज से रूपये 144.69 लाख तथा शासन अनुदान रूपये 125.00 लाख कुल रूपये 269.69 प्राप्त हुये है।

2.6.4 **परोपकार निधि–** कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को परोपकार निधि से तत्काल सहायतार्थ रूपये 50,000/– अंतिम संस्कार हेतु दिये जाते हैं यह राशि सेवानिवत्ति के दो वर्ष के अन्दर मृत्यु होने पर भी दी जाती है। वर्ष 2015–16 में अंशदान एवं ब्याज से रूपये 59.60 लाख तथा शासन अनुदान रूपये 50.00 लाख कुल रूपये 109.60 प्राप्त हुये है। वर्ष 2015 तक 304 प्रकरण में रूपये 155.60 लाख राशि प्रदाय की गई है।

2.6.5 **संकट निधि**– पुलिस कर्मचारियों को स्वयं के इलाज हेतु 40,000/– एवं आश्रितों को 20,000/– गंभीर रूप से घायल/बीमार होने पर सहायतार्थ उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2015–16 में अंशदान एवं ब्याज से रूपये 101.07 लाख प्राप्त हुये है। वर्ष 2015 तक 113 प्रकरण में रूपये 42.04 लाख राशि प्रदाय की गई है।

2.6.6 **एमिनिटी एवं लाइन फण्ड**– इस निधि में शासन से प्राप्त अनुदान तथा उतनी ही राशि केन्द्रीय कल्याण निधि से सम्मिलित कर पुलिस इकाईयों को सुख सविधा एवं लाइनों के रखरखाव एवं सुधार हेतु वितरित की जाती है। वर्ष 2015–16 में शासन अनुदान रूपये 25–25 लाख प्राप्त हुआ है। इसके समतुल्य राशि केन्द्रीय कल्याण निधि से सम्मिलित कर कुल रूपये 50–50 लाख समस्त पुलिस इकाईयों को वितरित की गई है।

2.6.7 आयोजन– पुलिस मुख्यालय में प्रतिवर्ष नूतन वर्ष, 26 जनवरी, बीटिंग रिट्रीट, 15 अगस्त, 21 अक्टूबर, ईद मिलन का तथा प्रतिमाह सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन किया जाता है। इन पर होने वाले व्यय का भुगतान केन्द्रीय कल्याण निधि से किया जाता है।

2.6.8 शहीद सम्मान निधि– पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से संपूर्ण सेवाकाल में एक दिन का वेतन कटोत्रा कर वर्ष–2000 में शहीद सम्मान निधि की स्थापना की गई है। सेवा के दौरान शहीद हुये पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता शहीद सम्मान निधि से प्रदान की जाती है। वर्ष 2015 में तीन प्रकरणों में रूपये सात लाख आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

2.6.9 पुलिस आईटीआई– दो पुलिस आईटीआई भोपाल एवं इन्दौर में संचालित है। जिसमें मोटर मैकेनिक एवं इलेक्ट्रॉनिक, डीजल मैकेनिक, वेल्डर,, स्टेनोग्राफी एवं सिलाई/कटिग/टेलरिग, रेडियो एवं मैकेनिक के कोर्स संचालित किये गये हैं। इन कोर्सों में पुलिस परिवार के बच्चों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर प्रशिक्षित किया जाता है तथा बच्चों को प्रतिमाह रूपये 600/– शिष्यवृत्ति शिक्षानिधि से प्रदान की जाती है। बेहतर प्रशिक्षण हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 के अंतर्गत रूपये 919.02 लाख की राशि पुलिस आईटीआई के उन्नयन हेतु पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन भोपाल को उपलब्ध कराई गई है।

2.6.10 आपदा निधि– नेपाल में आये भूकम्प से पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने हेतु आपदा निधि अंतर्गत मध्य प्रदेश पुलिस के समस्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से एक दिन का वेतन कटोत्रा कराया गया। कुल रूपये 232.18 लाख मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराये गये हैं।

2.6.11 पुलिस चिकित्सालय– पुलिस परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा हेतु भोपाल में पुरूष एवं महिला चिकित्सालय संचालित हैं। इन चिकित्सालयों में आधुनिक सुविधायें उपलब्ध हैं तथा मानदेय पर चिकित्सा विशेषज्ञों की सेवायें ली जा रही हैं। इसी प्रकार पुलिस इकाईयों में 63 पुलिस चिकित्सालय संचालित हैं।

2.6.12 म0प्र0 पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना – शासन के आदेशानुसार म0प्र0 पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना वर्ष–2013 से लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत राज्य एवं राज्य के बाहर के सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालयों को अनुबंधित कर कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के अंतर्गत आज दिनांक तक मध्य प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाईयों से प्राप्त 881 प्रकरणों में से 637 प्रकरणों में निजि चिकित्सालयों में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

3.योजना शाखा–

इस शाखा के प्रभारी के रूप में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (योजना) पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त इनके अधीनस्थ वर्तमान मे निम्नांकित अधिकारी तैनात हैं:–

1. पुलिस महानिरीक्षक (योजना)
2. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (योजना)
3. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (संपदा)
4. अपर संचालक (वित्त)
5 उप पुलिस अधीक्षक (योजना)
6. सांख्यिकी अधिकारी

3.1 अधिकारियों के अधीनस्थ वर्तमान में निम्नानुसार शाखाएँ कार्यरत हैं:–

3.1.1– खण्ड 16 बजट:–मध्यप्रदेश पुलिस के लिये सम्पूर्ण बजट की स्वीकृति शासन से प्राप्त कर इकाईयों को बांटना तथा व्यय का लेखा–जोखा प्राप्त कर महालेखाकार को प्रेषित करना। बैंक व अन्य ऐजेसिंयों को उपलब्ध कराई गई गार्ड की वसूली।

3.1.2– खण्ड––18 (योजना) – समस्त श्रेणी के नये पदों का निर्माण–

(अ) थाना/चौकी नई बटालियन की स्थापना व बलवृद्धि संबधी कार्य।
(ब) स्वीकृत बल की जानकारी, पुलिस विभाग के विशेष वेतन/भत्ते आदि की स्वीकृति
(स) राज्य योजना आयोग से योजनाओं को स्वीकृत कराकर उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।

3.1.3– **शाखा–19 (भवन)** –

(अ) पुलिस आधुनिकीकरण/राज्य योजना आयोग से प्राप्त राशि से थाना/चौकी, एवं प्रशासकीय/आवासीय भवनों के निर्माण की समस्त कार्यवाही।
(ब) पुलिस विभाग को भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही।
(स) थाना/चौकी, प्रशासकीय आवासीय भवनों के लिये पी.सी. एंड आर./एम.ओ.डब्लू. मद के आवंटन व वितरण संबंधी कार्यवाही।

3.1.4–सांख्यिकी शाखा–म.प्र. पुलिस का स्टेटिकल डाटा तैयार करना।

3.1.5–ग्रन्थालय– ग्रंथालय, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल–

ग्रंथालय, पु.मु. की वर्ष 1962 में स्थापना हुई। अधिकारियों एवं कर्मचारियों में कानून–व्यवस्था बनाये रखने, अपराधों पर नियत्रंण, व्यावसायिक दक्षता को उन्नत बनाने, ज्वलन्त समस्याओं से अवगत कराने, शासकीय एवं आपराधिक प्रकरणों पर त्वरित संदर्भ एवं ज्ञानवृद्धि की दृष्टि से विधि, अपराध, इतिहास, दर्शन, धर्म आदि विषयों की संदर्भ, प्रेरक, ज्ञानवर्द्धक एवं मनोरंजक अद्यतन सामग्री को अध्ययन हेतु उपलब्ध कराना है।

दिनांक 31.12.2014 तक ग्रंथालय में कुल 42305 पुस्तकें परिग्रहीत की जा चुकी हैं एवं Current Awareness Service की दृष्टि से 13 समाचार पत्र, 7 सम–सामयिक पत्रिकाएं एवं 9 लॉ जर्नल्स प्राप्त हो रहे हैं। ग्रंथालय द्वारा 1273 पाठकों को व्यक्तिगत सदस्यता दी गई है। इसके अतिरिक्त कार्यालयीन उपयोग हेतु हेतु 351 आदान–प्रदान पुस्तिकाएं जारी की गई हैं। ग्रंथालय द्वारा इन्टरनेट से Community Policing, Cyber Crime, Crime against women, Gender Sensitazation, Human Right, Women Police, Terrorism and Violence etc. आदि विषयों से संबंधित लेखों एवं रिपोर्टस की जानकारी अधिकारी गण एवं संबंधित शाखाओं को निरंतर उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त ग्रंथालय के कम्प्यूटरों में साफ्टवेयर के माध्यम से ई–जर्नल्स के माध्यम से पुलिस मुख्यालय की विधि शाखाओं एवं अधिकारीगण की मांग पर विधि निर्णयों की प्रति संदर्भ सेवा हेतु उपलब्ध करायी जा रही है।

ग्रंथालय, पुलिस मुख्यालय के माध्यम से 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण शालाओं में नवीन भवन निर्माण एवं उनके पुनर्गठन की कार्यवाही के संपादन में समन्वय की भूमिका निभाई जा रही है। एवं इसी योजना के अन्तर्गत वर्तमान में रूपये 6.89 लाख से ग्रंथालय पुलिस मुख्यालय हेतु पुस्तकों के क्रय की कार्यवाही की जा रही है।

3.2 मध्यप्रदेश पुलिस सामान्य विवरण समेकित जानकारी–

1.	कुल बल स्वीकृत	–	112027
2.	अनुसचिवीय बल	–	3896
3.	विधि विज्ञान प्रयोगशाला	–	603
4.	चिकित्सा बल	–	525
5.	आई0टी0आई0 बल	–	42
6.	अन्य	–	50
7.	पुलिस रेंजों की संख्या	–	11 पु0म0नि0 जोन 15 उ0म0नि0 रेंज
8.	पुलिस जिलों की संख्या	–	513 रेल्वे पुलिस अधीक्षक =54 .
9.	पुलिस अनुभागों की संख्या	–	184
10.	पुलिस थानों की संख्या	–	1061
11.	पुलिस चौकियों की संख्या	–	576
12.	वाहिनियों की संख्या	–	21
13.	आर.ए0पी.टी.सी.	–	01
14.	प्रति दस हजार आबादी पर पुलिस बल	–	14.7
15.	प्रति सौ वर्ग किलो मीटर पर पुलिस बल	–	36.3

वर्ष 2015–16 के लिये आयोजना (प्लान) की योजनाओं हेतु कुल बजट प्रावधान–

स.क्र.	योजना का नाम	कुल प्राप्त बजट
1	2	3
1	7342–महिला अपराध सेल का गठन	5,22,15,000
2	5555–बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा	1,44,00,00,000
3	7346–केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	1,25,47,92,000
4	7448–महानगरीय पुलिस सुरक्षा व्यवस्था एवं राजमार्ग सुरक्षा	25,00,00,000
5	5554–सायबर अपराध अन्वेषण	3,50,00,000
6	7350–आटोमेटिक स्वचलित अंगुल चिन्ह व्यवस्था	16,09,88,000
7	7348–अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था	20,08,07,000
8	5556–इंटीग्रेटेड पुलिस ट्रेनिंग कॉम्पलेक्स	16,71,55,000
9	7183–विशेष शेवा बल एवं अन्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का पुनर्गठन	11,00,00,000
10	7182–अश्वारोही दल /डॉग स्क्वॉड का पुनर्गठन	3,01,72,000
11	7181–पुलिस ग्रंथालयों का पुर्नगठन	7,25,28,000
12	3059–भवन एवं आवास गृहों का निर्माण	65,00,00,000
13	7184–फोरेंसिक सांईस	6,90,00,000
14	7351–क्षमता निर्माण एवं दक्षता विकास	7,83,46,000
15	7185–राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना	1,00,49,39,000

16	7186–बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन	1,37,67,99,000
17	7344–राजमार्ग सुरक्षा एवं संरक्षा	14,16,93,000
18	6463–13 वां वित्त आयोग की अनुशंसा –पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन	3,05,83,5000
19	7726–फायरिंग रेंज का विकास	4,99,00,000
20	7727–पुलिस थानो में बाउण्ड्रीवाल	4,96,00,000
	योग:–	**7,49,97,69,000**

(मांग संख्या –03 –2055 –पुलिस)			**(आंकडे हजारो में)**	
स.क.	**योजना क्रमांक**	**योजना का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2015–16 में स्वीकृत बजट**	**प्रतिशत**
1	1011	क्षेत्रीय महानिरीक्षक तथा संभागीय स्थापना	102560	0.25
2	3680	राज्य मुख्यालय	487715	1.18
3	0195	अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाऍ	787652	1.90
4	2632	पुलिस अकादमी सागर	122192	0.30
5	9054	एकीकृत नवगठित प्रशिक्षण संस्थान भौरी	61335	0.15
6	0270	अपराध अनुसंधान विभाग	1389155	3.36
7	7453	राज्य सायबर सेल	36969	0.09
8	7454	खेल संचालन पर व्यय	7500	0.02
9	4492	विशेष पुलिस	7268516	17.55
10	5880	पशुओ की साज सज्जा	800	0.002
11	0109	समस्त गार्डस की योजनायें	248153	0.60
12	0194	अन्य पुलिस	706920	1.71
13	1816	डकैती रोधक अभियान	391605	0.95
14	4491	जिला स्थापना	25149251	60.74
15	9070	ग्राम रक्षा समितियॉ	20085	0.05
16	9258	पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस – इन्दौर विभाग)	259747	0.63
17	9259	पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द (रेल पुलिस – पश्चिम विभाग)	637900	1.54
18	2634	पुलिस कर्मियों का कल्याण	159700	0.39
19	0783	कम्प्यूटर शाखा	67535	0.16

20	4155	बेतार केन्द्र भोपाल/ग्वालियर	1115286	2.69
21	4011	विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोगशाला सागर	144504	0.35
22	2643	पुलिस बल का आधुनिकीकरण	500000	1.21
23	1309	न्यायालय सुरक्षा	50000	0.12
24	8333	सड़क सुरक्षा कोष से व्यय	119202	0.29
25	9078	विधान सभा सुरक्षा	20000	0.05
26	6919	एस.आर.ई.	35000	0.08
27	7189	केन्द्र/राज्यों के पुलिस बल के व्यय की प्रतिपूर्ति	170000	0.41
28	6065	थानों का सुदृढ़ीकरण	110000	0.27
29	6296	भारतीय सेना के सेवा निवृत सिपाहियो को विशेष सहयोगी पुलिस फोर्स का गठन	7250	0.02
30	6308	ग्राम रक्षा समिति के सदस्यो की कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर सहायता	700	0.002
31	6395	पुलिस कर्मियो के आवासो की मरम्मत हेतु	250000	0.60
32	6329	भर्ती एवं पदोन्नति पर व्यय	4700	0.01
33	6445	पंचायत चुनाव में कोटवारो का मानदेय	500	0.00
34	7130	महिला अपराध शाखा	158605	0.38
35	7588	पासपोर्ट सेवा कोष	3000	0.01
36	7576	सिविल सेवा सेशन न्यायालय	2700	0.01
37	7626	म.प्र. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन को गारण्टी फीस के भुगतान हेतु सहायता	807800	1.95
		योग	**41404537**	100.00

दो पूँजी अनुभाग

4055 –पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय : 211 पुलिस आवास 2643 पुलिस बल का आधुनिकीकरण 64 –001 वृहद निर्माण कार्य 1200000

2059 –लोकनिर्माण कार्य : 01 कार्यालय भवन , 053 – रखरखाव तथा मरम्मत , 2631 –पुलिस प्रशासन ,33–001 स्थाई संपत्तियों का अनुरक्षण 50000

महायोग 2055 पुलिस. पूंजीगत परिव्यय.	**42654537**

नवीन पद एवं थानें–

शासन के ज्ञाप क्रमांक–एफ 2(क)–20/2014/बी–3/दो भोपाल दिनांक18.05.015 द्वारा 5000 नवीन पद विभिन्न रैकों के स्वीकृत किये गये है। 27 नवीन थाने तथा 23 नवीन चौकियॉ स्वीकृत की गई है तथा 419 थाने एवं चौकियो में बल वृद्वि के तहत 1542 नवीन पद स्वीकृत किये गये है। 5000 पदो में माननीय उच्च न्यायालय एवं खण्डपीठ की सुरक्षा हेतु 400 विभिन्न रैको के पद स्वीकृत किये गये है।

योजना सीमा–

आयोजना प्लान मद की योजनाओं (जिला विकेन्द्रीकरण योजनाओं सहित) हेतु वर्ष 2015–16 के लिए राज्य योजना आयोग द्वारा राशि रू 900.00 करोड़ की योजनासीमा निर्धारित की है।

आयोजना प्लान का बजट–

आयोजना प्लान मद की स्वीकृत योजनाओ (जिला विकेन्द्रीकरण योजनाओं सहित) हेतु वर्ष 2015–16 के लिए शासन द्वारा कुल राशि रू 749.97 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। स्वाकृत योजनाओ के लिए प्राप्त राशि से योजनाऐं क्रियान्वित की जा रही है।

3.6 सिंहस्थ–2016–

सिंहस्थ–2016 के लिए स्वीकृत कार्ययोजनाओं हेतु आयोजना मद मे अंतर्गत अभी तक 29 कार्य हेतु राशि रू. 171.24 प्राप्त हुये हैं,प्राप्त राशि से स्वीकृत कार्ययोजनानुसार काय संपन्न किया जा रहा है।

4. प्रबंध शाखा–

इस शाखा के प्रभारी के रूप मे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रबंध) पदस्थ हैं।

इनके अधीनस्थ निम्न अधिकारी पदस्थ हैं :–

1. पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध)
2. सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रबंध)
3. अपर संचालक (वित्त)
4. उप पुलिस अधीक्षक (प्रबंध)
5. उप पुलिस अधीक्षक (आर्म्स)

अधिकारियों के अधीनस्थ वर्तमान में निम्नानुसार शाखाएं कार्यरत हैं :–

4.1. खण्ड–14 (किट क्लोदिंग) :–

(1) वित्तीय वर्ष 2013–14 में शासन के पत्र क्र. एफ/3–89/2012/बी–3/2 दिनांक 7.1.2014 द्वारा पुलिस विभाग में पदस्थ प्रधान आरक्षक/आरक्षक को उनकी पात्रतानुसार किट सामग्री के स्थान पर नगद राशि भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है, शासन के आदेश के पालन मे शाखा के पत्र क्र./पुमु/14/अधी./01–सी/ दि. 3.2.2014 समस्त पुलिस इकाइयों को नगद किट अलाउंस आदेश जारी किया गया है।

4.2. खण्ड–15 (प्रदाय) :–

(4.2.1) आधुनिक संसाधन/कार्यालय उपकरण/वाहन/आर्म्स–एम्युनेशन/फर्नीचर इत्यादि क्रय कर राज्य की समस्त पुलिस इकाईयों , थानों/चौकियों को आवंटित करने की कार्यवाही व्यवहारित की जाती है।

(4.2.2) दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के प्रकरण जो न्यायालय में प्रचलित होते हैं, उसका संबंधित इकाई स्तर पर प्रतिउत्तर देने एवं निराकरण की कार्यवाही तथा कण्डम वाहनों के निष्प्रयोजन, नीलामी संबंधी कार्यवाही व्यवहारित की जाती है।

(4.2.3) पुलिस इकाईयों में उपलब्ध शस्त्र/एम्यु0/सुरक्षात्मक सामग्री का वार्षिक निरीक्षण, उनके रख–रखाव के स्तर व साफ–सफाई की व्यवस्था और इनके रख–रखाव के संसाधन एवं साफ–सफाई आदि सामग्री का क्रय। इनका लेखा–जोखा आदि। चोरी/गुम/छीने/लूटे गये शस्त्रों के प्रकरण मे कार्यवाही व्यवहारित की जाती है।

(4.2.4) केंद्र शासन द्वारा प्रवर्तित, पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना का प्रारूप अनुमोदन हेतु राज्य शासन के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय, नई दिल्ली भिजवाना तत्पश्चात अनुमोदित योजना के अंतर्गत राज्य शासन के माध्यम से आवंटित धनराशि एवं स्वीकृत सामग्रियों का क्रय तथा पुलिस विभाग की विभिन्न उप शाखाऐं यथा– विशेष शाखा, अ0अ0वि0, दूरसंचार, प्रशिक्षण, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो को उक्त योजना में आवंटित राशि का वितरण एवं लेखा–जोखा भी, नोडल एजेंसी, के रूप में इसी खण्ड द्वारा रखा जाता है।

4.3 स्टेशनरी शाखा :–

सामान्य शाखा पुलिस मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों/समस्त शाखाओं को स्टेशनरी/लेखन सामग्री का प्रदाय करना।

4.4 स्टोर शाखा :–

खण्ड 15 (प्रदाय) द्वारा कार्यालय उपकरण/फर्नीचर/सामग्री के जारी क्रयादेश अनुसार प्रदायकर्ताओं से विभिन्न कार्यालय उपकरण/सामग्री प्राप्त कर गठित समिति से उसकी गुणवत्ता का परीक्षण कराना/स्टाक रजिस्टर मे आमद लेना/आवंटन आदेश के मुताबिक सामग्री वितरित करना। सामान्य शाखा, पुलिस मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों/समस्त शाखाओं को दैनिक उपयोग की आवश्यक कार्यालय सामग्री क्रय कर प्रदाय करना। कार्यालय उपकरणों की मरम्मत अधिकृत संस्था से कराना।

4.5 सेंट्रल स्टोर :–

(4.5.1) किट क्लोदिंग सामग्री, बलवा विरोधी सामग्री, फर्नीचर आदि के जारी क्रयादेशों के संदर्भ में प्रदायकर्ताओं से सामग्री प्राप्त करना। अनुमोदित नमूने के अनुसार प्राप्त सामगी की गुणवत्ता का परीक्षण गठित समितियों से करवाना। आवंटन आदेश के अनुसार पुलिस इकाईयों को सामग्री वितरित करना एवं इकाईयों द्वारा आवंटित सामगी संग्रहित न करने पर उन्हे संग्रह करने हेतु पत्राचार करना।

(4.5.2) सेंट्रल स्टोर में प्राप्त सामग्री के स्टाक रखरखाव एवं वितरण का लेखा–जोखा संधारित करना।

4.6 एम.टी.पूल :–

पुलिस मुख्यालय में पदस्थ समस्त अधिकारियों को आवंटित शासकीय वाहनों का रखरखाव, चालकों की व्यवस्था करना, पेट्रोल/डीजल प्रदाय कराना, लॉग बुक का संधारण, ड्राईवर डायरी की चेकिंग, वाहन चालक में पेट्रोल/डीजल खपत का एवरेज चेक करना तथा भोपाल प्रवास पर आने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए वाहन व्यवस्था करना, वाहन खराब होने पर मरम्मत कराने एमटी वर्कशाप भिजवाने तथा चालकों पर प्रशासनिक नियंत्रण इत्यादि कार्य किए जाते हैं।

5.गुप्तवार्ता :–

5.1 विशेष शाखा का दायित्व एवं सामान्य जानकारी :–

1. विशेष शाखा द्वारा कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा की स्थिति पर सतत् निगाह रखी जाती है एवं आसूचना संकलन, आसूचना विश्लेषण, महत्वपूर्ण व्यक्तियों/संस्थानों की सुरक्षा एवं विदेशी नागरिकों से संबंधित एवं चरित्र सत्यापन संबंधी कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक स्तर की समस्त प्रकार की सूचनाओं का संकलन कर शासन एवं संबंधित इकाई प्रमुखों को आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराया जाता है।

2. विशेष शाखा मुख्यालय में कुल 24 अनुभाग कार्यरत है। इन अनुभागों के अतिरिक्त आर्थिक आसूचना सेल, एमटी सेल, सीआई सेल, तकनीकी सेल, आईओ अनुभाग विशेष शाखा प्रशिक्षण शाला कार्यरत है। गत वर्षो में विशिष्ठ इकाई एटीएस/हाक फोर्स/एसआईबी/सीआईजेडब्ल्यू एवं माननीय मुख्यमत्री सुरक्षा दस्ते का गठन किया गया है। जो वर्तमान में विशेष शाखा के अधीन कार्यरत है।

3. इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय परिसर में राज्य स्थिति कक्ष निर्धारित है, जो 24 घण्टे कार्यरत रहकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर निगरानी रखने के साथ ही आसूचना–संकलन एवं महत्वपूर्ण घटनाओं का आदान–प्रदान करता है।

5.2 विशेष शाखा , मध्यप्रदेश की सरंचना :–

विशेष शाखा का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय भोपाल परिसर में स्थित है और इसके प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी हैं। विशेष शाखा मुख्यालय में वर्तमान में 01 विशेष पुलिस महानिदेशक, 03 पुमनि, एवं 08 समनि स्तर के अधिकारी है। इसके अतिरिक्त विशेष शाखा मुख्यालय में 20 उप पुलिस अधीक्षक के पद स्वीकृत हैं।

5.3 विशेष शाखा, मध्य प्रदेश की संरचना–

I- मुख्यालय स्तर पर प्रदेश को 08 जोन में विभाजित किया जाकर भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ ग्वालियर/उज्जैन/सागर/रीवा/बालाघाट में जोनल पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा के कार्यालय स्थापित किये गये हैं एवं इसी प्रकार क्षेत्रीय स्तर पर 06 जिलों रतलाम/खरगौन /छिन्दवाड़ा/छतरपुर/मुरैना एवं शहडोल में क्षेत्रीय अधीक्षक विशेष शाखा के कार्यालय तथा प्रत्येक जिलों में क्षेत्राधिकारी कार्यालय स्थापित किये गये है ।

II- पुलिस सुधार समिति की अनुशंसाओं के आधार पर राजय शासन के अनुमोदन से वर्ष 1997 में प्रदेश की विशेष शाखा का पुर्नगठन किया गया है तथा शासन के अनुमोदन उपरांत

पृथक संवर्ग घोषित होने पर विशेष शाखा मूल भर्ती के समस्त कर्मचारियों को शासन द्वारा अनुमोदित नियमों के अनुसार पदोन्नति/भर्ती की कार्यवाही की जा रही है।

III- विशेष शाखा के अंतर्गत असुचना संकलन एवं सुरक्षा व्यवस्था को ओर अधिक सुदृढ बनाने हेतु विशेष शाखा के लिये विशिष्ट इकाईयों सीआईजेडब्लू, एटीएस, हॉकफोर्स, एसआईबी एवं सुरक्षा वाहिनीं का गठन विगत वर्षो में किया गया था जिनका संचालन भली–भांति किया जा रहा है।

शासन द्वारा आदेश दिनांक 18.05.2015 के अंतर्गत सुरक्षा वाहिनीं के लिये 400 तथा अन्य आसूचना संकलन संबधी कार्यों के लिये 159 पद स्वीकृत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

5.4 शासन द्वारा वर्ष 2015 में स्वीकृत पदः–

स0क0	इकाई का नाम	स्वीकृत बल
1	जोपुअ विशा	111
2	क्षेत्राधिकारी, विशा	26
3	विशा प्रशिक्षण ग्रंथालय	2
4	माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर, इन्दौर, एंव ग्वालियर	400
5	सुरक्षा वाहिनी (आरमोरर)	4
6	राजभवन की सुरक्षा	7
7	हॉक फोर्स	5
8	दूरसंचार मुख्या0 में स्वीकृत (निरी–02, उनि–2 विशा को अधिकृत)	4
	योग	**559**

वर्ष 2015–16 में विशेष शाखा संवर्ग में नियुक्ति, अनुकम्पा नियुक्ति एवं पदोन्नति संबंधी की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार हैः–

5.5 नियुक्ति–

विशेष शाखा संवर्ग में निम्न पदों पर दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक सीधी नियुक्ति की कार्यवाही की गई :–

विवरण	अनारक्षित	अजजा	अजा	अपिव	योग
उनि से निरीक्षक–16	–	–	–	–	16
कनि. शी./सूबे एम –14	05	02	04	02	13
निवलि/सउनि (एम)–72	24	13	10	11	58
कुल योग	29	15	14	**13**	**87**

5.6 अनुकम्पा नियुक्ति

वर्ष 2015 में को सउनि (एम) एंव बाल आरक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई ।

विवरण	अनारक्षित	अजजा	अजा	टपिव	योग
निवलि/सउनि (एम)	1	2	2	–	5
बाल आरक्षक	4	.	.	.	4
योग	5	2	2	.	9

5.7 पदोन्नति

विशेष शाखा संवर्ग में निम्न पदों पर दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक पदोन्नति एवं पदस्थापना की कार्यवाही की गई :–

विवरण	अनारक्षित	अजजा	अजा	अपिव	योग
सउनि से उप निरीक्षक	11	-	01	-	12
प्रआर से सउनि	39	15	13	-	67
सूबेदार (एम) से कार्या0 अधीक्षक	01	01	01	-	03
आंकिक से सहायक सूबेदार (एम)	02	-	01	-	03
प्र0 आरक्षक (एम) से सउनि (एम)	01	-	-	-	01
आरक्षक (एम) से प्र0 आरक्षक (एम)	01	-	-	01	02
कुल योग	55	16	16	**01**	**88**

5.8 ई–गर्वनेंस के क्षेत्र में कार्यः–

विशेष शाखा मुख्यालय में प्राप्त होने वाले पत्रों एवं नस्तियों के मूव्हमेंट हेतु फाइल प्रबंधन सिस्टम प्रारंभ किया गया है।

अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमिट्रिक मशीन के माध्यम से दर्ज कराई जा रही है तथा इनकी गुजारिश एवं समस्याओं का निराकरण आनलाइन किया जाता है। विभिन्न जिलों से जानकारियों के आदान–प्रदान हेतु पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है।

5.9 आगामी कार्ययोजना–

- वर्ष 2015 (1.1.15 से 31.12.15) में विशेष शाखा को आधुनिकीकरण योजना, सामान्य बजट, सिंहस्थ योजना, मान. न्यायालयीन सुरक्षा योजना अंतर्गत आंवटित बजट से आधुनिक सुरक्षा उपकरणों का क्रय किया गया है।
- सिंहस्थ–2016 की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आवश्यक सुरक्षा उपकरणों का क्रय किया जा रहा है। एनएसजी द्वारा 74 कर्मचारियों को बीडीडीएस हेतु प्रशिक्षित किया गया है ।

5.10 आतंकवादी गतिविधियॉ–

- एटीएस, म0प्र0 द्वारा 2015 में विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत पंजीबद्ध **02** प्रकरणों में **06** आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा सिमी आरोपियों के विरूद्ध दर्ज **04** प्रकरणों में **14** आरोपियों को सजा एवं 11 प्रकरणों के निर्णयों में से 04 प्रकरणों में दण्डादेश जारी हुए। वर्तमान में सुरक्षा की दृष्टि से जेल में निरूद्ध सिमी बंदियों की पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जा रही है।

5.11 नक्सली समस्या पर टीप, महत्वपूर्ण घटनाएँ एवं महत्वपूर्ण उपलब्धियॉ–

- मध्य प्रदेश के पूर्वांचल में नक्सली गतिविधियॉं प्रकाश में आती हैं, जिसमें से बालाघाट अत्यधिक नक्सल प्रभावित जिला है। जिला बालाघाट में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के मुख्यतः मलाजखण्ड दलम एवं टांडा दलम सक्रिय हैं।
- जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक की अवधि में पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान की कार्यवाही में जिला बालाघाट में 5 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई, जिसमें 27 लाख का ईनामी नक्सली दिलीप उर्फ गुहा पिता हरूलाल उईके, उम्र 36 वर्ष, निवासी ग्राम माटे, थाना रूपझर, जिला बालाघाट, डिविजनल कमेटी मेम्बर शामिल है इसके अतिरिक्त गिरफ्तार नक्सलियों के अंतर्गत दो 15–15 हजार के ईनामी नक्सली भी शामिल है।
- पुलिस द्वारा आसूचना आधारित कार्यवाही कर बालाघाट जिले में नक्सलियों के 3 डम्प ध्वस्त कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ, बैटरी, डेटोनेटर, जिलेटिन, इलेक्ट्रिक वायर आदि जप्त किए गए।
- पुलिस बल द्वारा इस तरह समुचित कार्यवाही करने से प्रदेश में नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण है।

5.12 कानून–व्यवस्था–

- प्रदेश में वर्तमान में कानून की स्थिति सामान्य है । वर्ष 2015 में आयोजित समस्त त्यौहारों के दौरान कानून–व्यवस्था की स्थिति को बनाये रखने में राज्य पुलिस सफल रही है जिसके कारण समस्त समुदायों के त्यौहार शांतिपूर्वक सम्पन्न हुये। प्रदेश में समस्त प्रकार के आन्दोलनों के दौरान भी

कानून–व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाकर कानून–व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रखी गई ।

5.13 साम्प्रदायिक–

- प्रदेश में वर्ष 2015 में साम्प्रदायिकता की स्थिति नियंत्रण में रही। समस्त त्यौहार शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए । त्यौहारों के दौरान कतिपय जिन स्थानों पर विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी वहॉ पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये स्थिति को तत्काल नियंत्रित किया गया । किसी भी जिले में कोई बड़ी साम्प्रदायिक घटना घटित नहीं हुई । राज्य शासन द्वारा साम्प्रदायकि कट्टरवाद के विरूद्ध अपनाई जा रही सख्त नीति एवं धर्म निरपेक्षता की नीति के फलस्वरूप प्रदेश में साम्प्रदायिक स्थिति नियंत्रण में है।

- प्रदेश में वर्ष 2015)माह जनवरी से दिसम्बर(साम्प्रदायिक स्वरूप की कुल 41 घटनाएं घटित हुई है इनमें 19 साम्प्रदायकि घटनाएं एवं 22 साम्प्रदायिक तनाव की घटनाएं है। इन घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुई है ।

5.14 जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक घटित साम्प्रदायिक घटनाओं की जानकारी–

क्रमांक	घटना का प्रकार	2015
1	साम्प्रदायिक दंगा	रिक्त
2	साम्प्रदायिक घटना	19
3	साम्प्रदायिक तनाव	23
4	कुल घटनाएं	41
5	मृतको की संख्या	रिक्त
6	घायलों की संख्या	167

5.15 त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 व नगरीय निकाय चुनाव 2015–

- त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2015 शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराया गया एवं उप विधान सभा चुनाव मंदसौर, देवास व उप लोकसभा चुनाव रतलाम 2015 एवं उप नगरीय निकाय चुनाव 2015 शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये गये ।

5.16 वर्ष 2014–15 में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां–

- विदेशी नागरिकों के वीजा एवं नियंत्रण हेतु VFRT योजना का क्रियांव्ययन पूरे प्रदेश में सफलता पूर्वक किया जा रहा है । प्रदेश में अवैध रूप से निवासरत 3 कीनियाई विदेशी नागरिकों का उद्वासन (Deportation) किया गया है।

- वर्ष 2015 में कृषक 443, श्रमिक 306, बिजली 35, छात्र 561, कर्मचारी 1112, कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा 1913 आन्दोलन किये गये उपरोक्त आन्दोलनों के दौरान प्रदेश में पुलिस की तत्परता

व सजगता तथा माकूल व्यवस्था के चलते कही पर भी कानून–व्यवस्था की स्थिति निर्मित नहीं हुई ।

- (बल विन्यास) विशा. मुख्यालय द्वारा वर्ष 2015 में आयोजित राष्ट्रीय पर्व(26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस), धार्मिक त्यौहारों, मध्य प्रदेश नगरीय निकाय एवं स्थानीय चुनाव 2014–2015 के दौरान कानून–व्यवस्था एवं सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार बल डीजीपी रिजर्व / क्यूआरएफ / एसटीएफ /डेमोकंपनी / पुमनि रिजर्व तथा प्रशिक्षण शालाओ से बल उपलब्ध कराया गया जिससे सभी कार्यक्रम /त्यौहार/ चुनाव शांति पूर्वक निर्विध्न सम्पन्न हुए।

- विशेष शाखा प्रशिक्षण शाला में आधुनिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाकर कर्मचारियों/अधिकारियों को दक्ष किया जा रहा है ।

- चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को निश्चित समयवधि में पूर्ण कर विश्वसनीय बनाने हेतु कॉन्सेप्ट नोट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक–विशा/11/व्हर/17–15)17–एस(दिनांक 16–01–15 को शासन को प्रषित किया गया है, तथा पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक साफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है । जिससे भविष्य में शासकीय सेवा, अशासकीय सेवा हेतु आवेदको के आवेदन पत्रों पर जिला स्तर पर चरित्र सत्यापन की कार्यवाही ऑनलाईन की जावेगी ।

- वर्ष 2015 में नगर निकाय के चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार के लिये आने वाले विभिन्न सुरक्षा श्रेणी प्राप्त विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई, जो कि चुनौतीपूर्ण कार्य था ।

  महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय के दिनांक 23 सितंबर 2015 को ग्वालियर, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दिनांक 23 सितंबर 2015 को ग्वालियर, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के दिनांक 05 मार्च 2015 को इन्दौर, खण्डवा तथा दिनांक 10 सितंबर 2015 को भोपाल भ्रमण, श्री राहुल गांधी, माननीय सांसद के दिनांक 02 जून 2015 को इन्दौर तथा महू जिला इन्दौर भ्रमण तथा अति विशिष्ट/ विशिष्ट व्यक्तियों के प्रदेश भ्रमण व अन्य राज्यों से प्रदेश भ्रमण पर आने वाले एसपीजी प्रोटेक्टी (05)] एनएसजी प्रोटेक्टी (17)] ''जेड–प्लस** (538) ''जेड'' (217) ''वाय'' (442) ''एक्स'' (169) सुरक्षा श्रेणी प्राप्त तथा विदेशी नागरिक (14) एवं अन्य विशिष्ट व्यक्ति ;198द्ध विशिष्ट व्यक्तियों के प्रदेश में भ्रमण के दौरान भ्रमण कार्यक्रम जारी किये गये एवं भ्रमण के दौरान सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई साथ ही महामहिम राज्य महोदय एवं माननीय मंख्यमंत्री महोदय की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

- आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु प्रदेश के महत्वपूर्ण संस्थानों में आधुनिक उपकरणों से सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

- सिंहस्थ 2016 के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिये आधुनिक उपकरणों के क्रय हेतु शासन से रू0 46 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है । उपकरणों के क्रय की प्रक्रिया प्रचलन में है । सिंहस्थ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था हेतु 25 बीडीडीएस टीमों का गठन किया गया है । इन टीमों में बम डिटेक्शन एवं डिस्पोजल कार्य के लिये दिनांक 6.7.15 से 4.8.15 तक विशेष शाखा प्रशिक्षण संस्थान में एनएसजी के सहयोग से प्रशिक्षण चलाया जाकर मध्यप्रदेश पुलिस के 74 अधि0/कर्म0 को प्रशिक्षित किया गया ।

- प्रदेश में व्हीव्हीआईपी सुरक्षा/मेला प्रबंधन की दृष्टि से कमांड एंड कंट्रोल वाहन एवं जैमर वाहन क्रय किया जाकर प्रदेश के पुलिस जोनल मुख्यालय भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर को आबंटित किये गये तथा इन सुरक्षा उपकरणों के संचालन एवं रख रखाव हेतु संबंधित जोन के अधि0/कर्म0 को प्रशिक्षित किया गया ।

- इंटेलीजेंस ब्यूरो के सुरक्षा आडिट अनुसार प्रदेश के संवेदनशील प्रतिष्ठानों, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों एवं सामरिक महत्व के संस्थानों की नियमित समीक्षा कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है ।

- असूचना संकलन संबंधी कार्य में मोबाईलिटी बढाने की दृष्टि से वर्ष 2015 से 24 चार पहिया वाहन तथा 118 दो पहिया वाहन उपलब्ध कराये गये है। अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था हेतु 02 बीआर, 04 व्हीकल माउंटेड जैमर एवं 03 कमाण्ड कंट्रोल सेन्टर वाहन का क्रय किया गया है।

  अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था सुदढ़ करने तथा असूचना संकलन के कार्य मोबाईलिटी बढाने की दृष्टि से 12बीआर कार सहित 152 चार पहिया वाहन एवं 216 दो पहिया वाहन क्रय किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

6. – अपराध अनुसंधान विभाग–

6.1– विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय –

अपराध अनुसंधान विभाग की स्थापना 24 जुलाई 1963 को हुई है । अपराध अनुसंधान विभाग, मध्य प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन के पैरा 3, 11 एवं 16 के अर्न्तगत एवं जीओपी 32/1984 तथा 102/2000 के अनुसार वर्तमान में संचालित है, जो राज्य पुलिस के अधीन गंभीर एवं महत्वपूर्ण प्रकरणों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विवेचना के लिये गठित विशेष संगठन है। विभाग में विवेचना एवं जॉच का कार्य यहॉ पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में उप पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक स्तर के विवेचना अधिकारियों द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त जिलों में घटित गंभीर प्रकृति के सनसनीखेज, महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील अपराधों की जॉच एवं विवेचना करने तथा आवश्यकतानुसार जिला पुलिस इकाइयों को अपराधिक प्रकरणों में विवेचना के संबंध में समुचित मार्गदर्शन/सहयोग देने की जिम्मेदारी इस विभाग की है।

अपराध अनुसंधान विभाग समूचे प्रदेश की आपराधिक स्थिति पर निगरानी रखने, अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावशील कार्यवाही कराने, प्रदेश के प्रत्येक जिले में सजायाबी की दर में वृद्वि कराने के उद्देश्य से सतत् संलग्न है ।

6.2– प्रस्तावना :–

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, **अ0अ0वि0** के सीधे नियंत्रण में यह शाखा कार्य करती है । वर्तमान में इस पद पर दिनांक 26.12.2014 से **श्री जी.पी. सिंह, (भा0पु0से0)** कार्यरत है ।

पूरे प्रदेश एवं भारत वर्ष में घटित होने वाले अपराधों में नवीन तकनीक एवं संसाधनों के प्रयोग के कारण अपराधियों की अपराध करने की प्रवृत्ति एवं कार्यविधि में काफी परिवर्तन आ गया है। संचार के

नये–नये साधनों के प्रयोग तथा आवागमन के संसाधन तेजी से बढ़ जाने के कारण, साथ ही प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या में वृद्धि, बेरोजगारी, शहरीकरण, आर्थिक असमानतायें, औद्योगिकीकरण, बढ़ती हुई मंहगाई, बढ़ती हुई गरीबी, नैतिक आदर्शों का अवमूल्यन, आदि कारणों से प्रदेश में अपराधों की संख्या में वृध्दि हो रही है।

प्रदेश में कई दिनों से सफेदपोश अपराधियों द्वारा घटित अपराधों की संख्या बढ रही है। नॉन बैंकिंग फायनेन्स, निजी बैंको, चिट फण्ड कम्पनी आदि के माध्यम से आम जनता को ज्यादा पैसे कमाने का प्रलोभन दिया जाता है । भोली भाली जनता से करोड़ों रूपया इकठ्ठा कर चम्पत हो जाते हैं। वायदा बाजार के माध्यम से करोड़ों रूपयों की वस्तुओं का अनैतिक व्यापार होता है।तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के साथ–साथ अधिक असमानतायें बढ़ जाने से समाज में कम समय में अधिक पैसा कमाने की लालच के कारण कईं प्रकार के माफिया भी तेजी से बढ़ रहे है, इसमें प्रमुख माफिया है– **भू–माफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया, तस्कर, जालसाज, हवाला माफिया, सायबर माफिया, आदि**। इन माफियाओं के द्वारा अपराधी अपना जाल कई जिलों में या करीब–करीब पूरे प्रदेश में फैलाकर अवैध गतिविधियां संगठित तरीके से संचालित करते हैं।

ऐसे अपराध जैसे लूट, अंधे कत्ल, डकैती जिनका अन्तर्जिला अथवा अन्तर्राज्जीय प्रभाव होता है जिसमें आरोपी घटना घटित करके अन्य जिले अथवा प्रदेश में शरण ले लेता है। ऐसे अपराधों की विवेचना भी जिला स्तर पर करने में कठिनाई अनुभव होती है एवं जिले में सीमित संसाधन होने से वह इन अपराधों में पूरी तरह फोकस नही कर पाते हैं, जिससे अपराधी के हौसलें बुलन्द होते है एवं वह लगातार अपराध घटित करता जाता है। इससे आम जनता के मन में सरकार व शासन तथा पुलिस की छवि धूमिल होती है। इस कारण उपरोक्त इन प्रकरणों के सटिक एवं त्वरित निराकरण एवं समीक्षा की दृष्टि से प्रदेश स्तर पर अ. अ.वि. में विशेष विवेचना दल गठित कर विवेचना की जाती है ।

शासन के निर्देशानुसार प्राथमिकता के आधार पर सनसनीखेज़ अपराधों को चिन्हित करके अ0अ0वि0 मुख्यालय से सीधे पर्यवेक्षण किया जा रहा है तथा उक्त अपराधों की विवेचना की प्रतिदिन समीक्षा की जाती है एवं प्रकरण न्यायालय में चालान किए जाते है, उनकी भी मॉनीटरिंग करना पड़ती है ताकि न्यायिक प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण हो सके और अपराधियों को त्वरित एवं पर्याप्त रूप से सजा मिल सके । ऐसे सनसनीखेज प्रकरणों के त्वरित निराकरण एवं अपराधियों के सज़ायाब होने से आम जनता में शासन एवं पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता है।

पुलिस रेगुलेशन के पैरा–16 में उल्लेखित प्रावधानों के साथ–साथ वर्ष–1957 में प्रकाशित जीओपी के भाग 4–1/टी.पृष्ठ 35 से 37 पर अअवि द्वारा आपराधिक प्रकरणों के अनुसंधान एवं अभियोजन की प्रकृिया निर्धारित की गई है । अनुसंधान के संबंध में राजपत्र आदेश क्रमांक–32/84 दिनांक–15.12.84 में भी प्रावधान अंतनिर्हित है । इसी प्रक्रिया में मान्0उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ द्वारा जनहित याचिका क्रमांक– 2784/05 **संजय सिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन** में दिनांक–07.11.05 को पारित आदेश में अअवि में अनुसंधान हस्तगत करने की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है । पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश द्वारा इस संबंध में पूर्व में परिपत्र क्र0–608 दिनांक–26.06.10 जारी किया गया है ।

जिले के पुलिस अधीक्षक जिस प्रकरण का अनुसंधान अअवि से कराना चाहते है, वे तद्नुसार औचित्य पूर्ण कारण प्रकरण में की गई विवेचना एवं उन तथ्यों जिनके कारण अअवि द्वारा अनुसंधान आवश्यक समझा जा रहा हो का उल्लेख अनिवार्यतः कर विस्तृत प्रतिवेदन रेंज पुलिस महानिरीक्षक के माध्यम से उनकी टीप सहित अअवि के क्षेत्रीय शाखा प्रभारी अधिकारी को भेंजेगें ।

उक्त प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अअवि के क्षेत्रीय शाखा प्रभारी केश डायरी का अध्ययन कर प्रकरण के तथ्यों का उल्लेख एवं उपलब्ध साक्ष्य की समीक्षा करते हुये समनि (अअवि) को प्रतिवेदन देंगे जो पुलिस महानिरीक्षक अअवि के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अअवि) से आवश्यक आदेश प्राप्त करेंगे एवं पुलिस महानिदेशक के अनुमोदन उपरांत अनुसंधान हेतु प्रकरण अअवि को हस्तगत किया जावेगा ।

6.3– विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :–

अपराध अनुसंधान विभाग में विवेचना एवं जांच का कार्य यहां पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों के निकट पर्यवेक्षण में उप पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक स्तर के विवेचना अधिकारियों द्वारा किया जाता है । इसके अतिरिक्त जिलों में घटित गंभीर प्रकृति के सनसनीखेज एवं संवेदनशील अपराधों की जांच एवं विवेचना करने तथा आवश्यकतानुसार जिला पुलिस इकाईयों को समुचित मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी इस विभाग की है ।

6.4– सामान्य या प्रमुख विशेषतायें :–

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा प्रदेश में घटित गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों की समीक्षा कर अपराध नियंत्रण हेतु प्रभावी मार्गदर्शन एवं गंभीरतम अपराधों की विवेचना की कार्यवाही की जाती है । साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला एवं क्यू.डी. प्रयोगशाला के माध्यम से विवेचना में फॉरेंसिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

6.5– स्वीकृत बल :–

क्रं	पदनाम	स्वीकृत बल	पदस्थ बल	रिक्त बल
1	अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक	02	02	00
2	पुलिस महानिरीक्षक	02	02	00
3	उप पुलिस महानिरीक्षक	02	00	02
4	सहायक पुलिस महानिरीक्षक	14	05	09
5	पुलिस अधीक्षक (क्यू.डी.)	01	01	00
6	अति0 पुलिस अधीक्षक	03	00	03
7	उप पुलिस अधीक्षक	50	31	19
8	निरीक्षक	139	106	33
9	विधि अधिकारी	14	04	10
10	प्रोग्रामर	10	00	10
11	उप निरीक्षक	140	52	88
12	सहायक उप निरीक्षक	38	20	18
13	प्रधान आरक्षक	190	84	106
14	आरक्षक	195	182	13
15	अनुसचिवीय बल	135	94	41
कुल योग		**935**	**583**	**352**

6.6 कार्यरत प्रकोष्ठ / शाखा :–

6.6.1–कार्यरत प्रकोष्ठ :–

1– अनुसंधान प्रकोष्ठ 2– सतर्कता प्रकोष्ठ 3– बाल सहायता प्रकोष्ठ 4– विशेष किशोर पुलिस इकाई

6.6.2– कार्यरत शाखा :–

1– डकैती शाखा, 2– मूर्ति चोरी, 3– एफएसएल शाखा, 4– क्यू0डी0 शाखा, 5–टाईगर सेल, 6– जाली नोट शाखा, 7– विधि शाखा, 8– एकीकृत सेल, 9– फोटो शाखा, 10– थाना अअवि, 11–विधान सभा सेल, 12–क्राईम सेल, 13– मानिटरिंग सेल, 14–टेक्निकल सेल, 15– स्थापना / लेखा / स्टोर.

6.7– क्षेत्रीय कार्यालय :–

(1) ग्वालियर (2) इंदौर (3) जबलपुर (4) उज्जैन (5) सागर एवं (6) रीवा

6.8– उत्तरदायित्व :–

पेशेवर एवं संगठित गिरोंहों द्वारा घटित अपराधों की विवेचना–

1. ऐसे अपराधों की विवेचना जिनका दायरा प्रदेश के कई जिलों में फेला हो।
2. अर्न्तराज्यीय अपराधों की विवेचना।
3. डकैती एवं फिरौती के लिये किये गये अपहरण के अपराधों की विवेचना में स्थानीय पुलिस की सहायता। मैदानी इकाइयों को अपराधों की रोकथाम एवं विवेचना के लिये वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना।
4. विभिन्न प्रकार के माफिया जैसे भूमाफिया, खनिज माफिया, शराब माफिया आदि के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही कराना ।
5. विशिष्ट प्रकार के अपराधों की विवेचना के लिये प्रकोष्ठों –डकैती सेल,जाली नोट सेल, मूर्ति चोरी सेल,कंजर सेल, कॉपी राइट सेल,धोखाधडी सेल, साईबर क्राईम सेल इत्यादि–का गठन एवं संचालन।
6. पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति के लिए मतांकन करना।
7. उच्च पदों पर आसीन एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आपराधिक कृत्यों की जॉच।
8. राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का प्रशासनिक दायित्व ।
9. विवादग्रस्त अभिलेख (क्यू.डी.) शाखा का प्रशासनिक दायित्व ।
10. फोटोग्राफी सेल का प्रशासनिक दायित्व ।
11. बाल सहायता प्रकोप्ठ (जुवेनाइल एड ब्यूरो का संचालन) ।
12. न्यायालय के निर्णयों / आदेशों का अनुपालन प्रदेश की पुलिस इकाइयों द्वारा सुनिश्चित करना।
13. विधान सभा, लोक सभा, राज्य सभा के पुलिस संबंधित प्रश्नों के जबाब तैयार करना।
14. प्रदेश में घटित अपराधों की जानकारी का संकलन एवं विश्लेषण ।
15. आपराधिक सूचना पत्र का प्रकाशन ।
16. अ.अ.वि. में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली आवेदनों एवं अपीलों का निराकरण करना ।

6.9 महत्वपूर्ण सांख्यकीय :–

6.9.1– अनुसंधान शाखा में वर्ष 2015–16 में हस्तगत एवं निराकृत प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

प्रकरण का स्वरूप	कुल लंबित प्रकरण	निराकृत	शेष लंबित प्रकरण
विवेचना	**75**	**16**	**59**
जांच	**22**	**07**	**15**

6.9.2 बाल सहायता प्रकोष्ठ में वर्ष 2015–16 में की गई कार्यवाही का विवेचना निम्नानुसार है :–

क्रमांक	रिपोर्ट	बालक	बालिका	दस्तयाब		अदम दस्तयाव	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7529	2149	5380	2018	4753	850	2941

क्रमांक	भिक्षावृत्ति करते पकड़े गये	बोर्ड के समक्ष पेश किये गये	सम्प्रेक्षण गृह में देख रेख में	अभिभावकों के सुपुर्द किया गया/समझाईस देकर छोड़ा गया
1	2	3	4	5
1	2722	2429	873	849

6.9.3 डकैती शाखा में वर्ष 2015–16 में की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	डकैती के प्रकरण	असूचीबद्व गिरोह द्वारा डकैती	असूचीबद्व गिरोह द्वारा हत्या	असूचीबद्व गिरोह द्वारा अपहरण	मुठभेड़	डकैत मृत	डकैत बंदी	शस्त्र जप्त	कारतूस जप्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015–16	**113**	**05**	**–**	**11**	**11**	**02**	**703**	**152**	**390**

6.9.4 वर्ष 2015–16 **मूर्ति चोरी** में की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	कुल अपराध	अपराधियों की संख्या
1	2	3
2015–16	**35**	**04**

6.9.5 एफएसएल प्रयोगशाला में वर्ष 2015–16 में की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रं	प्रयोगशाला	प्राप्त प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	एफएसएल सागर	14485	10814	3671
2	आरएफएसएल इंदौर	6357	4403	1954
3	आरएफएसएल ग्वालियर	4675	3959	716
4	आरएफएसएल भोपाल	3170	2780	399
	योग	**28696**	**21956**	**6740**

6.9.6 क्यू0डी0 शाखा में वर्ष 2015–16 में की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पूर्व 2014 में लंबित प्रकरणों की संख्या	दि. 01.01. 15 से 31. 12.15 की अवधि में प्राप्त कुल प्रकरण	दि. 01.01.15 से 31. 12.15 की अवधि में प्राप्त प्रकरणों में से खामी पूर्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षण उपरांत वापिस किये गये कुल प्रकरण	दि. 01.01.15 से 31.12.15 की अवधि में परीक्षण हेतु ग्राह्य किये गये कुल प्रकरण	दि. 01.01.15 से 31.12.15 की अवधि में निरकृत कुल प्रकरण	कुल लंबित प्रकरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	1315	1743	880	2178	514	1664

6.9.7 सतर्कता प्रकोष्ठ में वर्ष 2015–16 में हस्तगत एवं निराकृत प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

प्रकरण का स्वरूप	कुल लंबित प्रकरण	निराकृत	शेष लंबित प्रकरण
जांच	**54**	**28**	**26**
विविध	**115**	**88**	**87**
विवेचना	**02**	**00**	**02**

6.9.8 टाईगर सेल में वर्ष 2015–16 में अरोपियों द्वारा 3 वन्य प्राणियों का अवैध शिकार किये जाने के संबंध में 03 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्व किये जाकर 07 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया । 02 प्रकरणों में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है। 01 प्रकरण पुलिस विवेचना में है। वन्य प्राणियों की सुरक्षा के संबंध में एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु वन विभाग एवं पुलिस विभाग में समन्वय बनाये जाने हेतु क्षेत्रीय समिति की बैठकें लगातार कराई जा रही है ।

6.9.9 जाली नोट शाखा में वर्ष 2015–16 में 28 प्रकरणों में 65 आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल रू. 31,49,550/– के जाली नोट पकड़े गये ।

6.9.10 विधि शाखा में वर्ष 2015–16 में अअवि में विवेचना/जॉच एवं न्यायालयीन प्रकरणों में विधि संमत अभिमत उपलब्ध कराने हेतु विधि शाखा का गठन किया गया है । मुख्यतः इसके दो भाग है (1) समंस वारंट सेल, (2) विधि शाखा–1

शाखा द्वारा दिनांक–01.01.2015 से 31.12.2015 तक की अवधि में निम्न महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये गये हैं :–

विषय	कुल प्रकरण प्राप्त	की गई कार्यवाही	कुल प्रकरण में की गई कार्यवाही
माननीय उच्चतम न्यायालय से प्राप्त याचिकाऐं	74	प्रभारी अधिकारी नियुक्ति एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित पु.अधी. से पत्राचार किया गया।	74
माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर	224	प्रभारी अधिकारी नियुक्ति एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित पु.अधी. से पत्राचार किया गया।	224
माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर	147	प्रभारी अधिकारी नियुक्ति एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित पु.अधी. से पत्राचार किया गया।	147
माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर	79	प्रभारी अधिकारी नियुक्ति एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करने हेतु संबंधित पु.अधी. से पत्राचार किया गया।	79
अवमानना प्रकरण	06	सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।	06
न्यायालयों से प्राप्त संमस	408	समय सीमा में तत्परता से निराकरण करवाने हेतु संबंधित पु.अधी. से पत्राचार किया गया।	408
न्यायालयों से प्राप्त वारंट	2770	समय सीमा में तत्परता से निराकरण करवाने हेतु संबंधित पु.अधी. से पत्राचार किया गया।	2770
न्यायालयो से प्राप्त कार्यवाही पत्रक	1342	समय सीमा में तत्परता से निराकरण करवाने हेतु संबंधित पु.अधी. से पत्राचार किया गया।	1342
न्यायालयों से प्राप्त प्रतिकुल टीप	27	प्रकरण में त्रुटि कर्ता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए पालन प्रतिवेदन भेजने बाबत पु.अ.से पत्राचार किया गया।	27
अभियोजन स्वीकृति के प्रकरण	89	अध्ययन कर टीप अंकित की गई एवं कुछ प्रकरणों में संबंधित पुलिस अधीक्षकों से जांच कर प्रतिवेदन मंगाया गया।	89
विविध आपराधिक प्रकरण (न्यायालयों से प्राप्त)	120	आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की गई ।	120
विविध आपराधिक प्रकरण (अन्य)	172	आवश्यक कार्यवाही सम्पन्न की गई ।	172
अभिमत हेतु विभिन्न रेंजों एवं अन्य शाखाओं से प्राप्त नस्तीयां	60	अभिमत दिया गया ।	60
शासन से प्राप्त एकल नस्ती	04	आवश्यक कार्यवाही कर निराकृत की गई ।	04

विधि प्रकोष्ठ में विभिन्न विषयों पर एकल नस्तियॉ प्राप्त हुई थी जिनमें प्रकरणों की निराकरण कर दिया गया है । इसी तरह विभिन्न न्यायालयों में प्रतिकूल टीकायें प्राप्त हुई है जिसमें से का निराकरण किया गया । शेष प्रकरणों में संबंधित ईकाईयों से जानकारी प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी ।

अन्य प्रमुख कार्यः–

- माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में इस शाखा द्वारा इस समयावधि में परिपत्र तैयार करवाये गये।
- मध्य प्रदेश के समस्त न्यायालयों से जारी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के समंस/वारंट की अधिकाधिक तामीली हेतु पुलिस मुख्यालय स्तर से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश निर्धारित समयावधि में जारी करावाये गये एवं तामीली सुनिश्चित करवाई गई।
- माह नवम्बर 2015 समंस/वारंट की समीक्षा की गई। विस्तृत विश्लेषण किया गया एवं पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार सुधारात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया।

6.10 सनसनी खेज चिन्हित अपराध :–

6.10.1– वर्ष 2015–16 में प्रदेश में कुल 627 सनसनी खेज जघन्य अपराधों को चिन्हित श्रेणी में लिया गया है।

6.10.2– प्रदेश में वर्ष 2015 में चिन्हित प्रकरणों में से कुल 114 प्रकरणों में 250 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 06 प्रकरणों में 10 आरोपों को मृत्युदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया है ।

6.11 विशेष अभियान :–

6.11.1 विशेष अभियान दिनांक 01/05/15 से 31/05/15 तक– अवैध शराब, जुआ–सट्टा अधिनियम के विरूद्ध–

इस अभियान के दौरान सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अवैध शराब के 9539 प्रकरणों में 9869 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 15894 लीटर अंग्रेजी शराब, 60549 लीटर देसी शराब, 21843 लीटर कच्ची शराब व 30775 लीटर बीयर, कुल कीमती 22472045 रूपये की जप्त की गई है। अवैध जुआ के विरूद्ध कार्यवाही में 1309 प्रकरणों में 4574 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा 3734990 रूपये जप्त किये गये। अवैध सट्टे में 1731 प्रकरणों में 1884 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा 2953027 रूपये जप्त किये गये।

6.11.2 दिनांक 20/05/15 से 19/06/15 तक–गिरफ्तारी एवं स्थाई वारंट तामीली हेतु–

- **गिरफ्तारी वारन्ट** 34204 में से 19044 तामिली किये गये, तामिली का प्रतिशत 55.67 रहा ।
- **स्थाई वारन्ट** 50618 में से 6684 तामिली किये गये, तामिली का प्रतिशत 13.20 रहा

6.11.3 दिनांक 20/06/15 से 19/07/15 तक–थानों में जप्त वाहनों के निराकरण हेतु–

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में कुल 16493 जप्त वाहनों में से 4368 वाहनों का निराकरण किया गया जिसका प्रतिशत 34.21 रहा।

6.11.4 माह जून 2015– ईनामी बदमाशों की गिरफ्तारी हेतु–

अभियान के दौरान 10891 ईनामी बदमाश गिरफ्तार किये गये।

6.11.5 दिनांक 01/11/15 से 30/11/15तक–थानों में जप्त वाहनों के निराकरण हेतु–

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में कुल 17367 जप्त वाहनों में से 3511 वाहनों का निराकरण किया गया जिसका प्रतिशत 20.21 रहा।

6.12 बाल सहायता प्रकोष्ठ :–

6.12.1 किशोर न्याय एवं बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2000 म.प्र. नियम 2003 एवं संशोधित अधिनियम 2006 के अंतर्गत यूनिसेफ के सहयोग से बालक/बालिकाओं के कल्याण व उत्थान के लिये श्रेष्ठतम कार्य किये जायें तथा समाज के समक्ष अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किये जायें इस संबंध में बाल सहायता प्रकोष्ठ द्वारा समय–समय पर सेमिनार आयोजित किये जा रहे है।

6.12.2 उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि बाल सहायता प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा वर्ष 2015 अवधि 1 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक किए गये कार्यो में उपलब्धियां निम्नानुसार है।

6.12.3 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका 75/12 बचपन बचाओं आंदोलन के अंतर्गत वर्ष 2015 में बच्चो की खोज हेतु ऑपरेशन स्माईल के दौरान 711 अवयस्क बालक/बालिकाओं को खोजा गया। ऑपरेशन मुस्कान के दौरान 790 अवयस्क बालक/बालिकाओं को खोजा गया। और विशेष अभियान ऑपरेशन माह सितम्बर के दौरान 681अवयस्क बालक/बालिकाओं को खोजा गया। एक एक माह के चलाए गये और अधिकतम अवयस्क गुम/बालक/बालिकाओं को खोजा गया ।

6.12.4 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका 75/12 बचपन बचाओं आंदोलन के अंतर्गत वर्ष 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्ष 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 की गुम एवं दस्तयाब अवयस्क बालक/बालिकाओं की जानकारी रिकंसाईल कर राज्य अपराध ब्यूरो भेजा गया ।

6.12.5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका 75/12 बचपन बचाओं आंदोलन के अंतर्गत वर्ष 2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पालन व बच्चों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप म0प्र0 शासन को बल एवं संसाधन विशेष किशोर पुलिस इकाई हेतु प्रत्येक जिले एवं मुख्यालय के लिए मांग पत्र पुनः स्मरण सहित प्रस्ताव भेजा गया ।

6.12.6 वर्ष 2015 में अपराध अअवि कन्ट्रोल रूम से लापता बच्चों की तलाश हेतु सतत् थाना स्तर एवं कुल 11245 पीड़ित परिवार तक सम्पर्क कर पुलिस एवं पीड़ित परिवार के बीच एक कडी के रूप में कार्य करते हुए मुख्यालय स्तर से बच्चों को सीधे दस्तयाब करवाया गया ।

6.13 तकनीकी प्रकोष्ठ :–

1. अपराध अनुसंधान विभाग में अत्यन्त गंभीर अपराधों की विवेचना की जाती है। इन विवेचनाओं में संदिग्धों एवं अपराधियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले मोबाईल एवं कम्प्यूटर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु अ.अ.वि. के विवेचकों को अन्य इकाईयों पर आश्रित रहना पड़ता था, जिससे विवेचना में विलंब होता था । तब अ.अ.वि. के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपनी एक तकनीकी प्रकोष्ठ की आवश्यकता का अनुभव करते हुये इसके गठन हेतु प्रयास प्रारंभ किये गये ।

2. वरिष्ठ अधिकारियों के प्रयासों से दिनांक 02.01.2014 को अ.अ.वि. की अपनी तकनीकी प्रकोष्ठ प्रारंभ हुआ । आज अ.अ.वि. की अपना तकनीकी प्रकोष्ठ है । यहां के विवेचकों को विवेचना हेतु उपयोग समस्त जानकारी अ.अ.वि. के तकनीकी प्रकोष्ठ से प्राप्त हो जाती है । जानकारी के साथ–साथ सीडीआर आदि का एनालेसिस का कार्य भी अ.अ.वि. के तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है, जो विवेचनाओं में अत्यन्त उपयोग साबित हो रहा है ।

3. अपराध अनुसंधान विभाग में अत्यन्त गंभीर अपराधों की विवेचना की जाती है । इन विवेचनाओं में संदिग्धों एवं अपराधियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले मोबाइलों एवं कम्प्यूटरों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु अ.अ.वि. के विवेचकों को अन्य इकाईयों पर आश्रित रहना पड़ता था, जिससे विवेचना में विलंब होने के साथ ही साथ न्यायालयीन कार्यवाही में भी विलंब होता था एवं अपराधियों तक पहुंचने में भी काफी विलंब हो जाता था । अतः प्रकोष्ठ की आवश्यकता का अनुभव करते हुए इसका गठन किया गया ।

4. प्रकोष्ठ द्वारा अ.अ.वि. की वेव साईट में ऑन लाईन क्राइम पोर्टल पर म0प्र0 के समस्त जिलों में घटित होने वाले समस्त प्रकार के अपराधों के ऑकड़ों की एन्ट्री की जा रही है जिसकी मदद से शासन व न्यायालयीन स्तर पर समय–समय पर चाही गई जानकारी उपलब्ध कराई जाने के साथ–साथ जिलो को अपराधों के संबंध में मॉनीटरिंग की जा सकेगी साथ ही अनुसंधान में अत्यधिक उपयोगी रहा ।

6.14 भाग–छः

(विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए)

अपराध अनुसंधान विभाग पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपराधिक सूचना पत्र (गजट) का प्रकाशन नियमित रूप से शासकीय मुद्रणालय के माध्यम से कराया जाता है ।

6.15 भाग–सात

सारांश–

अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा म0प्र0 में घटित गंभीर अपराधों, हत्या, डकैती, अपहरण इत्यादि अपराधों के प्रगत प्रतिवेदन संबंधित पुलिस महानिरीक्षकों से प्राप्त कर एवं उनकी समीक्षा कर अपराधों पर नियंत्रण हेतु समुचित कार्यवाही की जाती है ।

7.अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण–

7.1 अ.जा.क.शाखा की टीप :– भारतीय संविधान के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करने की सुनिश्चितता उपलब्ध कराई गई है। इसी तारतम्य में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में प्रावधान किया गया है कि राज्य के पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक शैक्षणिक, सामाजिक आलम्ब प्रदान करने एवं ऐसे व्यक्तियों को अन्याय एवं शोषण से बचाने हेतु समुचित प्रयास करेगा। संविधान की उक्त मंशा को दृष्टिगत रखते हुये भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अधिनियम एवं नियमों का निर्माण किया गया है। इनमें से प्रमुख है – सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अजा/जजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 तथा अजा/जजा (अत्याचार निवारण) नियम 1995 प्रमुख है। इन अधिनियम एवं नियमों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को शोषण एवं अन्याय से मुक्ति दिलाने हेतु एवं इनके हितों के संरक्षण हेतु प्रभावी प्रावधान बनाये गये है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य पर घटित होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं त्वरित विवेचना, अपराधों की समीक्षा करने तथा प्रदेश में जाति के आधार पर होने वाले अपराधों को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1973 में पुलिस मुख्यालय में (अ.जा.क.) शाखा स्थापित की गई है।

7.2 अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण हेतु की गई व्यवस्था :–

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अन्तर्गत वर्ष 1974 में 6 (अ.जा.क.) पुलिस थाने प्रदेश में स्थापित किये गये थे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के क्रियान्वयन के पश्चात प्रदेश के समस्त जिलों में अ.जा.क. विशेष पुलिस थाने स्थापित किये गये है। अजाक थानों में पंजीबद्ध अपराधों के अनुसंधान हेतु अजा/जजा (अत्याचार निवारण) नियम 1995 की मंशा के अनुरूप प्रदेश के समस्त जिलों में उप पुलिस अधीक्षक अ.जा.क. की पदस्थापना की गई है। अजा/जजा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में पंजीबद्ध प्रकरणों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये अ.जा.क. थानों में पदस्थ निरीक्षकों को वनस्टेप प्रमोशन दिया जाकर उन्हें उप पुलिस अधीक्षक अजाक द्वितीय का पदनाम देते हुये अधिनियम के अधीन प्रकरणों में अनुसंधान के अधिकार सौपें गये हैं, जिससे कि प्रकरणों का अन्वेषण नियम 1995 के मंशा के अनुरूप समय–सीमा में पूर्ण किया जाना संभाव हो सके। साथ ही अ.जा/अ.जा. वर्ग से संबंधित प्रकरणों में पर्यवेक्षण एवं विशेष नियंत्रण हेतु रेंज स्तर पर प्रदेश में 10 पुलिस अधीक्षक अजाक को पदस्थ किया गया है, जिससे कि अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का नियमित पर्यवेक्षण किया जाना सम्भव हो सके। अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रकरणों मे विधि सम्मत अभिमत प्राप्त करने हेतु एक उप संचालक अभियोजन की पदस्थापना अजाक पुलिस मुख्यालय में की गई है तथा प्रत्येक रेंज पुलिस अधीक्षक अजाक कार्यालय में अभियोजन अधिकारी को पदस्थ किया गया है, जिससे कि अजा/जजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में विवेचना के स्तर पर उपयुक्त विधिक अभिमत प्राप्त किया जा सके एवं ऐसे प्रकरणों में अधिक से अधिक दोषसिद्धि प्राप्त की जा सके।

साक्षियों के पक्षद्रोही होने के कारणों का विशलेषण किये जाने एवं साक्षियों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करने हेतु प्रत्येक थाना अजाक स्तर पर प्रत्येक तिमाही कम से कम दो अजा/जजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित प्रकरणों को विशेषकर चिन्हीत कर ऐसे प्रकरणों में आहत को समय पर सहायता राशि प्रदान किया जाना एवं आहत एवं साक्षीगण के निरन्तर सम्पर्क में रहकर साक्षी एवं फरियादी को न्यायालय के समक्ष सत्य कथन करने हेतु प्रोत्साहित किये जाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही आवश्यक होने पर ऐसे साक्षी/आहत को समुचित सुरक्षा एवं अन्य विधिक सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। भविष्य में उक्त व्यवस्था के निश्चित ही अच्छे परिणाम प्राप्त होगें।

7.3 प्रशिक्षण :–

पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारियों को अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगो के प्रति संवेदनशील बनाने तथा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्य प्रणाली में सुधार तथा इस अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की विवेचना में सुधार हेतु विधि के नवीनतम प्रावधानों से अवगत कराये जाने हेतु पुलिस मुख्यालय की अजाक शाखा द्वारा मुख्यालय स्तर पर, जोनल एवं जिला स्तर पर समय–समय पर प्रशिक्षण एवं सेमिनार शिविरों का आयोजन किया जाता है। उक्त प्रशिक्षण एवं सेमिनार के माध्यम से पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों की अजा/जजा वर्ग के प्रति मानसिकता को संवेदनशील बनाने एवं प्रकरणों की विवेचना की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास किये जाते है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्यालय, जोन एवं जिला स्तर पर आयोजित किये गये प्रशिक्षण/सेमिनार शिविरों में 1605 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। इन प्रशिक्षण/सेमिनार शिविरों में विषय विशेषज्ञों के व्यख्यान भी रखे जाते है, जिससे पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के कार्य कौशल में निश्चित रूप से वृद्धि होती है।

7.4 परिलक्षित क्षेत्रः–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 21(2) सात में ''उन क्षेत्रों की पहचान करने, जहॉ अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार की सम्भावना है और ऐसे उपाय करना, जिससे ऐसे सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके'' का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान के पालन में ग्राम/नगर/मोहल्लो/कस्बों को पंजीबद्ध अपराधों की संख्या के आधार पर

चिन्हित किया गया है जिसमें प्रदेश के 09 जिलों के 15 थानों के अन्तर्गत 16 क्षेत्रों की सूची तैयार कर शासन को भेजी गई थी। जिसे शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। उक्त क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों के संबंध में विशेष सर्तकता बरतते हुये ऐसे सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रयास किये गये है।

7.5 अपराध :–

COMPRATIVE CRIME UNDER SC/ST (POA) ACT 1989							
FOR YEAR (JAN - DEC.)2013 TO 2015 A.J.K. CELL P.H.Q BHOPAL							
SNO	*HEAD*	*CASTE*	2013	2014	13/14%	2015	14/15%
1	*MURDER*	*SC*	72	83	15.28	81	-2.41
2	*ATTEMPT TO MURDER*	*SC*	94	86	-8.51	117	36.05
3	*RAPE*	*SC*	382	490	28.27	456	-6.94
4	*ARSON*	*SC*	29	28	-3.45	19	-32.14
5	*OTHER OFFENCES*	*SC*	2388	2852	19.43	2983	4.59
6	*TOTAL*	*SC*	2965	3539	19.36	3656	3.31
SNO	*HEAD*	*CASTE*	2013	2014	13/14%	2015	14/15%
1	*MURDER*	*ST*	37	46	24.32	49	6.52
2	*ATTEMPT TO MURDER*	*ST*	30	30	0.00	27	-10.00
3	*RAPE*	*ST*	336	409	21.73	389	-4.89
4	*ARSON*	*ST*	5	11	120.00	6	-45.45
5	*OTHER OFFENCES*	*ST*	868	1154	32.95	883	-23.48
6	*TOTAL*	*ST*	1276	1650	29.31	1354	-17.94
TOTAL(SC/ST)POA ACT1989			4241	5189	22.35	5010	-3.45

7.6 अनुसूचित जाति :–

प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग पर घटित अपराधों में वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में माह जनवरी से दिसम्बर की अवधि में 19.36 प्रतिशत की अपराधों में वृद्धि, इसी प्रकार वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में 3.31 प्रतिशत की अपराधों में वृद्धि परिलक्षित हुई है।

7.7 अनुसूचित जनजाति :–

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति वर्ग पर घटित अपराधों में वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में माह जनवरी से दिसम्बर की अवधि में 29.31 प्रतिशत की अपराधों में वृद्धि, इसी प्रकार वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में 17.94 प्रतिशत की अपराधों में कमी परिलक्षित हुई है।

7.8 सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्र :–

मध्यप्रदेश सोसायटी एक्ट 1973 के अर्न्तर्गत प्रदेश के 51 जिलों में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण केन्द्रों की पुर्नस्थापना/नवीनीकरण हेतु निर्देश जारी किये गये है। सशक्तिकरण केन्द्र में 7 सदस्य है जिसमें पुलिस अधीक्षक अथवा अति.पुलिस अधीक्षक अध्यक्ष, थाना प्रभारी अ.जा.क. सदस्य/सचिव,पुलिस अधीक्षक द्वारा नामांकित जिला पंचायत एवं जनपद से नामांकित अनुसूचित जाति का 1 सदस्य,अनुसूचित जनजाति का 1 सदस्य तथा सामान्य जाति का 1 सदस्य,संबंधित जिले के जिला संयोजक एवं कलेक्टर द्वारा नामांकित एक राजस्व अधिकारी से जूरी का निर्माण किया गया है। सशक्तिकरण केन्द्र में अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमि विवाद के प्रकरण,ऋण ग्रस्तता के प्रकरण,सामान्य विवाद के प्रकरण तथा अन्य विभागों से सहायता प्राप्त करने हेतु सभी प्रकार के आवेदन पत्रों पर विचार कर परामर्श के द्वारा प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। सामान्य 15 दिवस में एक बार अ.जा.क.थाने में जूरी की मीटिंग रखी जाती है तथा रेंज पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा केन्द्रों के गतिविधियों की मानीटरिंग की जाती है। सशक्तिकरण केन्द्र अपराध को रोकने की दिशा में एक कारगर कदम है। वर्ष 2015 में 249 बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें 449 शिकायतें प्राप्त हुई। उन शिकायतों में से 414 शिकायतों का निराकरण किया गया।

7.9 दोषसिद्धि बढ़ाने का प्रयास :–

अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत सजा के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए साक्षी और फरियादी को भय मुक्त वातावरण मिल सके, इस हेतु समस्त पुलिस अधीक्षकों को निर्देशीत किया गया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज होने से लेकर प्रकरण का न्यायालय से निराकरण होने तक फरियादी और गवाहों के साथ पुलिस सत्त सम्पर्क स्थापित कर आवश्यकता अनुसार सुरक्षा प्रदान करते हुये, यह प्रयास करे कि वे अपने कथनों की पुष्टि न्यायालय में कर सके।

7.10 जनचेतना शिविर :– अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों में जागरूकता लाने तथा विधिक ज्ञान कराने के उद्देश्य से समय–समय पर जनचेतना शिविरों का आयोजन सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में किया जाता है। इसी अनुक्रम में वर्ष 2015 में 193 जन चेतना शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में 14512 लोग सम्मिलित हुये। इन शिविरों के माध्यम से अजा/जजा वर्ग लोगों में जागरूकता लाने के प्रयास किये गये तथा आवश्यक विधिक ज्ञान से भी लोगों को अवगत कराया गया।

8. महिला अपराध शाखा –

मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,25,97,565 है, जिसमें से महिलाओं की जनसंख्या 3.49 करोड़ है जो कुल जनसंख्या का 48 प्रतिशत है। महिला संबंधी अपराधो की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये महिला अपरधा शाखा का गठन किया जाकर 01 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, 04 पुलिस महानिरीक्षक तथा 04 उप संचालक अभियोजन के पद सृजन किये जाकर पदस्थापना की गई। प्रत्येक जिले में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया जाकर उसका प्रभाव एक उप पुलिस अधीक्षक के अधिकारी को सौपा गया है।

8.1 अपराध :–

COMPARATIVE STATEMENT OF CRIME AGAINST WOMEN FOR YEAR 2013- 2014-2015 MONTH OF JAN - DEC.						
SNO	HEAD	2013	2014	%13/14	2015	%14/15
1	MURDER (302)	679	620	-8.69	616	-0.65
2	ATTEMPT TO MURDER (307)	370	377	1.89	348	-7.69
3	HURT (323,324)	6190	7345	18.66	9549	30.01
4	GREVIOUS HURT (325,326)	799	721	-9.76	824	14.29
5	MOLESTATION (354)	8500	9730	14.47	9056	-6.93
6	KIDNAPPING (363,366)	3181	6371	100.28	5126	-19.54
7	RAPE (376)	3907	4151	6.25	3935	-5.20
8	SUICIDE (306)	684	773	13.01	739	-4.40
9	DOWRY DEATHS (304-B)	686	689	0.44	661	-4.06
10	TORTURE (498-A)	4877	6357	30.35	5059	-20.42
11	ROBBERY (392)	600	597	-0.50	560	-6.20
12	ARSON (435,436)	221	85	-61.54	96	12.94
13	CR.INTIMIDATION (341,294,506)	9126	15444	69.23	10111	-34.53
14	TRAFFICING(372/373)	49	36	-26.53	36	0.00
15	NAKED PARADE	23	4	-82.61	4	0.00
16	DOWRY ACT (3/4)	80	110	37.50	118	7.27
17	IMMORAL TRAFFIC ACT	18	8	-55.56	7	-12.50
18	CHILD MARRIAGE ACT	3	5	66.67	8	60.00
19	INDECENT.REP.OF WOMEN ACT	3	1	-66.67	2	100.00
20	SATI ACT	0	0	0.00	0	0.00
	TOTAL	39996	53424	33.57	46855	-12.30

8.2 अपराध विश्लेषण :– महिलाओ के विरूद्ध अपराधों में वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 (जनवरी से दिसम्बर) में क्रमशः 39996, 53424 एवं 46855 अपराध दर्ज हुये, जो वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में पंजीबद्ध होने वाले अपराधों में 33.57 प्रतिशत की वृद्वि परिलक्षित हुई है।

8.3 हत्या :– वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 (जनवरी से दिसम्बर) में क्रमशः 679, 620 एवं 616 अपराध दर्ज हुये, जो वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में पंजीबद्ध होने वाले अपराधों में 0.65 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है ।

8.4 हत्या के प्रयासः– वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 (जनवरी से दिसम्बर) में क्रमशः 370, 377 एवं 348 अपराध दर्ज हुये, जो वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में पंजीबद्ध होने वाले अपराधों में 7.69 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है ।

8.5 साधारण चोटः– वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 (जनवरी से दिसम्बर) में क्रमशः 6190, 7345 एवं 9549 अपराध दर्ज हुये, जो वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में पंजीबद्ध होने वाले अपराधों में 30.01 प्रतिशत की वृद्वि परिलक्षित हुई है ।

8.6 गंभीर चोटः– वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 (जनवरी से दिसम्बर) में क्रमशः 799, 721 एवं 824 अपराध दर्ज हुये, जो वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में पंजीबद्ध होने वाले अपराधों में 14.29 प्रतिशत की वृद्वि परिलक्षित हुई है ।

8.7 महिलाओं के साथ छेडछाडः– वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 (जनवरी से दिसम्बर) में क्रमशः 8500, 9730 एवं 9056 अपराध दर्ज हुये, जो वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में पंजीबद्ध होने वाले अपराधों में 6. 93 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है ।

8.8 महिलाओं के साथ अपहरणः– वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 (जनवरी से दिसम्बर) में क्रमशः 3181, 6371 एवं 5126 अपराध दर्ज हुये, जो वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में पंजीबद्ध होने वाले अपराधों में 19.54 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है ।

8.9 बलात्कार के अपराधोंः– वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 (जनवरी से दिसम्बर) में क्रमशः 3907, 4151 एवं 3935 अपराध दर्ज हुये, जो वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में पंजीबद्ध होने वाले अपराधों में 5.20 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है ।

8.10 आत्महत्याः– वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 (जनवरी से दिसम्बर) में क्रमशः 684, 773 एवं 739 अपराध दर्ज हुये, जो वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में पंजीबद्ध होने वाले अपराधों में 4.40 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है ।

8.11 दहेज हत्याः– वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 (जनवरी से दिसम्बर) में क्रमशः 686, 689 एवं 661 अपराध दर्ज हुये, जो वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में पंजीबद्ध होने वाले अपराधों में 4.06 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है ।

8.12 महिलाओं के साथ दहेज प्रताडनाः– वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 (जनवरी से दिसम्बर) में क्रमशः 4877, 6357 एवं 5059 अपराध दर्ज हुये, जो वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में पंजीबद्ध होने वाले अपराधों में 20.42 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है ।

8.13 महिलाओं के साथ गाली–गलौच एवं जान से मारने की धमकीः– वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 (जनवरी से दिसम्बर) में क्रमशः 9126, 15444 एवं 10111 अपराध दर्ज हुये, जो वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में पंजीबद्ध होने वाले अपराधों में 34.53 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है ।

8.14 दहेज प्रतिषेध अधिनियमः– वर्ष 2013, 2014 एवं 2015 (जनवरी से दिसम्बर) में क्रमशः 80, 110 एवं 118 अपराध दर्ज हुये, जो वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2014 में पंजीबद्ध होने वाले अपराधों में 7.27 प्रतिशत की वृद्वि परिलक्षित हुई है ।

(8.15.1) मानव दुर्व्यापार की रोकथाम तथा इसमें लिप्त अपराधियों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। इन यूनिटस् के सुचारू संचालन हेतु वाहन मोटर साईकल, फर्निचर, मोबाइल फोन, पुस्तके आदि इन केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये है। प्रदेश में तीन चरणों में 24 मानव दुर्व्यापार सेल का गठन किया गया है। प्रदेश मे अबतक मानव दुर्व्यापार के 165 प्रकरण दर्ज किये जाकर 755 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाकर 318 नाबालिक बच्चों एवं 147 महिलायें एवं 49 पुरूष कुल 514 महिलाओं एवं बच्चों को मानव दुर्व्यापार से बचाया गया है। वर्ष 2015 में 49 अपराध पंजीबद्ध हुए, इन पंजीबद्ध अपराधों में 190 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाकर 17 महिलाए, 01 पुरूष एवं 51 बच्चों को कुल 69 को मानव र्दुव्यापार से बचाया गया है।

(8.15.2) पुलिस अधिकारियों को महिला संबंधी अपराधों में विवेचना की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तथा पुलिस अधिकारियों में संवेदनशीलता लाने के उद्देश्य से दि.13.03.2013 से 15.03.2013 तक तीन दिवसीय मानव दुर्व्यापार विषय पर पी0टी0आर0आई0 जहॉगीराबाद भोपाल में वरिष्ठ वक्ताओं द्वारा 150 पुलिस अधिकारियों को कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। दिनॉक 26.06.2013 को एक दिवसीय महिलाओं के प्रति संवेदनशील विषय पर पी0टी0आर0आई0 भोपाल में 150 पुलिस अधिकारियों को कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। दिनॉक 16.12.2013 को एक दिवसीय कार्यशाला महिलाओं के प्रति अपराध एवं मीडिया के सरोकार विषय पर कोर्टयार्ड मेरियट में कार्यशाला आयोजित की जाकर 140 पुलिस अधिकारी/समाज के गणमान्य नागरिकों के साथ परिचर्चा कर समाधान के प्रयास किये गये। वर्ष 2014 जनवरी से मार्च 2014 की अवधि में 02 प्रशिक्षण सेमिनारों का आयोजन कराया जाकर 200 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

(8.15.3) आम लोगों की समस्याओं को सुनने एवं इसके प्रभावी निराकरण के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मंगलवार को जनता के लिए उपलब्ध रहते है। पुलिस मुख्यालय स्तर पर आयोजित जनसुनवाई के दौरान दिनॉक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक 1006 शिकायते प्राप्त हुई। इनमें से 732 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। शेष 274 शिकायतें लम्बित है, अधिकांश शिकायतें पारिवारिक विवाद धोखाधड़ी एवं जमीन संबंधी विवादों की थी।

(8.15.4) प्रदेश में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में महिला डेस्क स्थापित करने हेतु शासन ने अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। शासन द्वारा महिलाओं की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए 141 महिला डेस्क स्थापित किये गये है जिनमें महिलायें शिकायतें दर्ज करा रही है। प्रत्येक महिला डेस्क में एक उप निरीक्षक, दो प्र0आर0 तथा चार आरक्षक का बल स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त 10 जिलों में महिला पुलिस थाने संचालित किये जा रहे है।

8 महिला अपराध शाखा की उपलब्धियॉ

8 State level women's helpline 1090 -

शासन द्वारा 01 जनवरी 2013 से राज्य स्तरीय महिला हेल्प लाईन 1090 प्रारम्भ की गई है, जिसमें प्रदेश भर की महिलाऍ निडर होकर अपनी शिकायतें दर्ज करा रही है । वर्ष 2013 में कुल 14962 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 14962 का निराकरण किया गया तथा 500 प्रकरणों में अपराध पंजीबद्व किया गया । वर्ष 2014 में 23340 शिकायते प्राप्त हुई जिसमें से 23340 शिकायतों का निराकरण किया गया है तथा 876 प्रकरणों में अपराध पंजीबद्व किया गया। वर्ष 2015 में दिनॉक 01.01.2015 से 31.12.2015 तक कुल **24467** शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 24467 का निराकरण किया गया है जिसमें 836 प्रकरणों में अपराध पंजीबद्व किये गये है ।

8.1 Nirbhaya Patrolling -

महिलाओं की सुरक्षा के लिये बड़े शहरों में निर्भया पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, जिसमें महिला पुलिस कर्मचारियों को ही पेट्रोलिंग का दायित्व सौंपा गया है । इस पेट्रोलिंग वाहन को दो मोबाईल नंबर प्रदाय किये गये है । विद्यालय/महाविद्यालय, छात्रावास, पार्क, बाजार एवं अन्य भीड़भाड वाले इलाकों में लगातार गश्त कर मोबाईल पर सूचना मिलने पर तुरन्त उस स्थान पर पहुॅचकर कार्यवाही की जाती है ।

8.2 Vishaka Guidelines -

विशाखा विरूद्व राजस्थान प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ,ारा दिनांक 13–08–1997 को आदेश पारित कर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिये मार्गदर्शीय सिंद्वान्तों के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का कार्यस्थाल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 एवं नियम 2013 के क्रियान्वयन के संबंध में प्रत्येक इकाई में ''आंतरिक परिवाद समिति'' का गठन किया गया है । मुख्यालय स्तर पर अ.म.नि.(महिला अपराध) जो कि इस समिति के पीठासीन अधिकारी है, मुख्यालय पर तिमाही बैठके आयोजित कर समस्याओं का निराकरण किया जाता है ।

8.3 Establishment of fast track courts –

मध्यप्रदेश में 51 जिले में फास्टट्रेक कोर्ट का गठन किया गया है, जिसमें बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, बलात्कार के बाद हत्या के प्रकरणो की सुनवाई की जा रही है। अन्य महिला संबंधी अपराधों के संबंध में प्रत्येक जिले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जे.एम.एफ.सी. स्तर के न्यायालयों को त्वरित निराकरण हेतु निर्देशित किया गया है।

वर्ष 2012 से वर्ष 2015 (दिनांक 31–12–2015 तक) मृत्यु दण्ड से दण्डित **प्रकरणों की संख्या–23,** आजीवन कारावास से दण्डित **प्रकरणों की संख्या–854**, 10 वर्ष या उससे अधिक दण्ड से दण्डित **प्रकरणों की संख्या–1089**, 10 वर्ष से कम तथा 5 वर्ष से अधिक दण्ड से दण्डित **प्रकरणों की संख्या– 1069**, 5 वर्ष से कम के दण्ड से दण्डित **प्रकरणों की संख्या–5622 इस तरह कुल 8657 प्रकरणों** में आरोपियों को दण्डित किया गया ।

8.4 Family counseling centers –

पारिवारिक विघटन को रोकने हेतु प्रदेश में 212 परिवार परामर्श केन्द्र स्थापित है। जिसमें प्रशिक्षित परामर्शदात्रियों द्वारा उभय पक्षों को समक्ष में चर्चा कर समस्याओं का समाधान किया जाता है । वर्ष 2014 में कुल **11978** शिकायतें प्राप्त हुई, एवं 01.01.2015 से 31.12.2015 तक **18005** प्राप्त हुई जिसमें कार्यवाही की जा रही है ।

8.5 Self-defense training-

स्कूल एवं कॉलेज में छात्राओं को आत्म सुरक्षा हेतु निःशुल्क जूडो एवं कराटे का प्रशिक्षण पुलिस के प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा दिया जा रहा है । 8000 से अधिक छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । एक अनूठी पहल कर नेत्रहीन बालिकाओं को आत्मरक्षार्थ जूडो–कराटे का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25 नेत्रहीन बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु जूडो–कराटे का प्रशिक्षण पुलिस के राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के द्वारा प्रदान किया गया । साथ ही नेत्रहीन बालिकाओं को प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण (TOT) का भी आयोजन किया गया ताकि उनके द्वारा नेत्रहीन बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु जूडो–कराटे का प्रशिक्षण दिया जा सके ।

उपरोक्त के अतिरिक्त महिलाओ के विरूद्व अपराधों की रोकथाम में समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जनचेतना शिविर तथा ग्राम रक्षा समितियों को सृदढ एवं गतिशील किया गया है। महिला एंव बालविकास विभाग के माध्यम से प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा महिलाओं एवं नाबालिग बच्चियों को अपराधियों/असामाजिक तत्वों के प्रति सचेत करने हेतु समझाईश दी जा रही है एवं

इलेक्ट्रानिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। महिला कॉलेज एवं स्कूलो के आसपास सघन पुलिस पेट्रोलिंग कराई जा रही है।

नारकोटिक्स मुख्यालय

9.1 विभाग का दायित्व–

मादक पदार्थों के अवैध परिवहन पर रोक एवं मादक पदार्थों के उपयोग से समाज में होने वाले दुष्परिणामों से समाज को अवगत कराना । नारकोटिक्स विंग का गठन वर्ष 1996 में स्वतंत्र इकाई में किया गया साथ ही जिसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्य प्रदेश होकर अवैध मादक पदार्थों के अवैध परिवहन पर नियंत्रण किया जाना रहा है इसके लिये एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के स्तर के अधिकारी को विभागीय अध्यक्ष मनोनीत किया गया है।

वर्ष 2002 से नारकोटिक्स के अधिकारियों/कर्मचारियों व्दारा जप्त किये जाने वाले मादक पदार्थों के लिये पृथक से एक थाना स्वीकृत किया गया है जो सम्पूर्ण मध्य प्रदेश इस थाने के क्षेत्राधीन है ।

नारकोटिक्स विंग इंदौर द्वारा एक सहायक इकाई के रूप में नीमच में भी वर्ष 1996 में ''नारकोटिक्स प्रवर्तन प्रकोष्ठ'' की स्थापना की गयी है जहॉ पर पूर्व से एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी का पद स्वीकृत है, जो वर्तमान में रिक्त है, अतः नीमच में उक्त पद के विरूद्ध एक उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को पदस्थ किया गया है।

मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2013 से मंदसौर में भी पुलिस अधीक्षक पद की स्वीकृति प्रदाय की जाकर नारकोटिक्स प्रवर्तन प्रकोष्ठ का गठन किया गया है एवं इसके लिये कूल 107 अधिकारियों/ कर्मचारियों का बल स्वीकृत किया गया है।

इकाई में अवैध मादक पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने व समाज को मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराने के साथ–साथ मादक पदार्थों के अवैध परिवहन में गिरफ्तार किये गये आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के उद्देश्य से अनुसंधानकर्ता अधिकारियों को नारकोटिक्स इकाई व्दारा समय–2 पर विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ।

9.2 विभागीय पदोन्नतियॅा :– इकाई में आरक्षक/प्रधान आरक्षक के पदों पर प्रतिनियुक्ति से पदस्थापना की जाती है इन पदों पर उनकी मूल इकाई व्दारा ही उनको पदोन्नति दी जाती है। इकाई व्दारा पदोन्नति नहीं दी जाती है एवं वरिष्ठ पदों पर पदोन्नति पुलिस मुख्यालय व्दारा दी जाती है । इस शीर्ष की जानकारी निरंक है ।

9.3 नियुक्तियॅा :– इकाई में आरक्षक/प्रधान आरक्षक के पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाते है अतः इकाई व्दारा नियुक्ति नहीं दी जाती है साथ ही इनके उच्च पदों की नियुक्तियॅा पुलिस मुख्यालय व्दारा की जाती है अतः उक्त बिन्दु की जानकारी भी निरंक है।

9.4 स्थानांतरण :– इकाई में आरक्षक/प्रधान आरक्षक के पद प्रतिनियुक्ति पर स्वीकृत किये गये है अतः एक निर्धारित सीमा के अर्न्तगत इन पदों की प्रतिनियुक्ति से पूर्ति की जाती है एवं इससे उच्च पदों के लिये पुलिस मुख्यालय व्दारा स्थानांतरण किये जाते है ऐसी परिस्थिति में इकाई व्दारा कोई स्थानांतरण नहीं किये गये है । उक्त बिन्दु की जानकारी निरंक है।

9.5 न्यायालयीन प्रकरण :– इकाई में किसी भी कर्मचारी व्दारा न्यायालय में कोई प्रकरण नहीं लगाया गया है एवं न ही ऐसा कोई प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है अतः निरंक जानकारी प्रेषित है ।

9.6 नारकोटिक्स विंग का स्वीकृत बल निम्नानुसार है :–

उ.म.नि.	अ.पु.अ.	उ.पु.अ.	निरीक्षक	उ.नि.	उ.नि. एमटी	सउनि	सउनि एमटी	प्र. आर.	प्र.आर. चालक	आरक्षक	आरक्षक चालक	योग
01	04	05	16	25	01	05	03	20	07	74	20	181

9.7 कार्यपालिक ''एम'' बल की जानकारी :–

स्टेनोग्राफर	आंकिक	उ.नि. (एम)	सउनि (एम)	प्रधान आरक्षक (अ)	आरक्षक (अ)	योग
06	01	03	12	04	05	31

9.8 बजट प्रावधान लक्ष्य एवं व्यय :– वर्ष 2015–16 में रुपये 28,63,050=00 का बजट प्राप्त हुआ जिसमें से रुपये 24,50,494=00 खर्च हुआ । प्राप्त बजट लगभग 85.5% उपयोग किया गया है शेष बजट का 31 मार्च 2016 तक उपयोग कर लिया जावेगा।

वर्ष	प्रकरण	स्मैक (कि. ग्रा.)	आरोपी	प्रकरण	अफीम (कि. ग्रा.)	आरोपी	प्रकरण	गंजा (कि.ग्रा.)	आरोपी	प्रकरण	गां0पौ0 (नग)	आरोपी
2013	177	10.77	242	45	247	89	325	3751.240	445	39	2513	47
2014	119	7.066	173	30	114	51	277	2687.462	367	30	4594	31
2015	118	6.791	148	25	69.06	34	320	5045.753	447	34	6083	37

प्रकरण	चरस (कि.ग्रा.)	आरोपी	प्रकरण	डोडाचुरा (कि.ग्रा.)	आरोपी	प्रकरण	केमिकल ड्रग्स (नग)	आरोपी	कुल प्रकरण	कुल आरोपी
5	3.568	9	53	82630.2	118	7	9277	10	651	960
8	7.605	13	49	28008.5	90	23	5869	40	536	765
4	4.160	6	51	15123.65	71	38	50904	60	590	803

9.9 – जनजागृति कार्यक्रमों की जानकारी–वर्ष 2013:–

वर्ष	शिक्षण संस्थानों में आयोजित जन जाग्रति कार्यक्रमों की संख्या	उपस्थित छात्र/छात्राओं की संख्या	सार्वजनिक स्थानों पर आम जन के लिए आयोजित जन जाग्रति कार्यक्रमों की संख्या	नागरीकों की संख्या
1	2	3	4	5
2015	156	16645	494	27598

10.शासकीय रेल–

10.1 विभागीय संरचना–

शासकीय रेल पुलिस मुख्यालय वर्तमान में पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन,म0प्र0 भोपाल के भवन में किराए से संचालित है। रेल पुलिस मुख्यालय,भोपाल में निम्नानुसार अधिकारी पदस्थ है:–

I. अति0पुलिस महानिदेशक रेल – 01
II. पुलिस महानिरीक्षक रेल – 01
III. सहायक पुलिस महानिरीक्षक रेल – 01
IV. उप पुलिस अधीक्षक रेल मुख्यालय – 01

10.2 अन्य स्वीकृत बल:–

निरीक्षक– 02,स्टेनो–02,उ0नि–(अ)–04,सउनि–04

10.3 अधीनस्थ कार्यालय :–

अति. पुलिस महानिदेशक रेल म0प्र0का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण रेल्वे क्षेत्र मध्यप्रदेश है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित जीआरपी इकाईया है जिनके प्रभारी पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी है:–

I. जीआरपी इकाई – भोपाल
II. जीआरपी इकाई – इन्दौर
III. जीआरपी इकाई – जबलपुर

क्रमांक	इकाई	थाने	चौकिया
1	भोपाल	10	6
2	इन्दौर	10	7
3	जबलपुर	8	7
योग		28	20

10.4 – विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थानो का विवरण :–

तीनो जीआरपी इकाईयो के थाने तथा चौकिया निम्नानुसार है :–

10.5 रेलवे जोन के जीआरपी थाना/चौकी एवं अस्थाई चौकी

रेलवे जोन के जीआरपी थाना/चौकी एवं अस्थाई चौकी

1.जीआरपी सेक्शन–भोपाल				
स.क.	**थाना**	**स्थाई चौकी**	**अस्थाई चौकी**	**रिमार्क**
1	इटारसी	होशंगाबाद	–	
		हरदा	–	
2	खण्डवा	बुरहानपुर	–	
3	आमला	–	–	
4	भोपाल	सीहोर		
5	बीना	–		
6	विदिशा	–	गंजबासौदा	
7	ग्वालियर–बीजी	–	–	
8	ग्वालियर–एनजी	श्योपुर	–	
		भिण्ड	–	
9	हबीबगंज	–	–	
10	मुरैना			नवीन थाना मुरैना
योग	**10**	**06**	**01**	
2. जीआरपी सेक्शन–इंदौर				
1	इंदौर	महू	–	
		फतेहाबाद	–	
2	उज्जैन	दैवास	–	
		मक्सी	–	
3	रतलाम			
		रेलवे कालोनी रतलाम	–	
4	नीमच	–	–	
5	शामगढ	नागदा	–	
6	गुना	–	–	
7	ब्यवरा	शाजापुर	–	
8	शिवपुरी	–	–	नवीन थाना
9	अशोक नगर	–	–	अशोक नगर
10	मेघनगर	–	–	मेघनगर
योग	**10**	**07**	**00**	
3.जीआरपी सेक्शन–जबलपुर				नवीन चौकी
1	जबलपुर	मदनमहल	–	मदन महल
2	गाडरवारा	पिपरिया	–	
3	कटनी	सतना	–	
		सिंगरोली	–	सिंगरोली
4	सागर	–	–	
5	छिन्दवाडा	–	–	
6	नैनपुर	हाउबाग	–	
		बालाघाट	–	
7	शहडोल	अनूपपुर	–	
8	रीवा	–	–	
योग	**08**	**07**	**00**	
कुल योग	**28**	**20**	**01**	

तीनो रेल पुलिस इकाईयो का स्वीकृत बल निम्नानुसार हैः–

पु.अ.रेल	अति.पु. अ. रेल	उ.पु.अ. रेल	निरी.	सूबे.	उ.नि0	सउनि	प्र.आर.	आर.	बाल आर.	कार्या. स्टाफ
3	3	13	28	5	169	224	501	1652	18	58

10.6 विभागीय पदौन्नतिया

स0क0	इकाई का नाम	विवरण
1	भोपाल	86 आरक्षकोको प्रधान आर पद पर पदोन्नत किया गया ळे एवं 51 प्र0 आरक्षको को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है ।
2	इन्दौर	54 आरक्षको को प्रधान आर पद पर पदोन्नत किया गया है एवं 43 प्र0 आरक्षको को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है ।
3	जबलपुर	43 आरक्षको को प्रधान आर पद पर पदोन्नत किया गया है एवं 27 प्र0 आरक्षको को सहायक उप निरीक्षक पद पर पदोन्नत किया गया है ।

10.7 विभागीय जॉच

स0क0	इकाई का नाम	विवरण
1	भोपाल	25 विभागीय जॉच लंबित है । जिनकी शीघ्र जॉच पूर्ण कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
2	इन्दौर	3 विभागीय जॉच लंबित है । जिनकी शीघ्र जॉच पूर्ण कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
3	जबलपुर	16 विभागीय जॉच लंबित है । जिनकी शीघ्र जॉच पूर्ण कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।

10.8 न्यायलीन प्रकरण

स0क0	इकाई का नाम	विवरण
1	भोपाल	33 न्यायलीन प्रकरण है जो न्यायालय में विचाराधीन है ।
2	इन्दौर	31 न्यायलीन प्रकरण है जो न्यायालय में विचाराधीन है ।
3	जबलपुर	38 न्यायलीन प्रकरण है जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

10.9 विभाग का दायित्वः –

रेल पुलिस का दायित्व चलती रेल गाड़ियो में घटित होने वाले अपराधो की रोकथाम करना, रेल एंव प्लेटफार्म पर रेल यात्रियो के जान–माल की सुरक्षा करना घटित होने वाले अपराधों को पंजीबद्व करना, पंजीबद्व अपराधों की विवेचना कर अपराधियो के विरुद्व कार्यवाही करना,विभिन्न राजनीतिक दलो द्वारा किये जाने वाले आंदोलन/प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था व्हीव्हीआईपी की सूरक्षा हेतु सुमुचित व्यवस्था करना आदि है। रात्रिकालीन यात्री गाडियो में पेट्रोलिग करना भी रेल पुलिस की जिम्मेदारी है जिससे यात्रियो को सुरक्षा मिल सके एंव अपराधियो पर अंकुश रखने में मदद मिल सके। वर्तमान मे अपराधों की रोकथाम एंव ट्रेनो में धटित होने वाले अपराधो पर तत्काल कार्यवाही के लिये क्यूआईआरटी (Quick Investigation Response Team) टीमो का भी गठन किया गया है जिसके फलस्वरुप अच्छे परिणाम मिले एंव अपराध पर नियत्रण में सफलता प्राप्त हुई है । इसी वर्ष (GRP HELP)ऐप बनाया

गया है जिसकी मदद ये यात्रा के दौरान यात्री चलती ट्रेन से आवश्यकता पर जीआरपी से सीधे संम्पर्क कर चाही गई मदद ले सकता है।साथ ही अपराधो पर नियत्रण रखने तथा सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान हेतु GRP State Response Monitoring System का गठन किया गया है।

10.10 प्रमुख विशेषताये– शासकीय रेल पुलिस की प्रमख विशेषता यह है कि यह ऐसे अपराधो की विवेचना करती है जिसमें धटना स्थल तथा यात्री सभी चलित होते है। चूकि मुख्यतः घटनाये चलित रेल गाडियो को होती है इसलिए अपराध के पश्चात घटनास्थल कही और पहॅच जाता है। यात्रियो के साथ अपराध अधिकांशतः रात्रि में सोने के समय घटित होते है जिससे उनको घटनास्थल का सही ज्ञान नही होता है। फिर भी रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना की जाती है किन्तु अपराध की सरसबजी में काफी परेशानी आती है। फरियादी भी रिपोर्ट करने के बाद विवेचना के दौरान बुलाने पर उपस्थित नही होते जिससे भी अपराध विवेचना प्रभावित होती है। इसी लिए क्यू.आरई.आर.टी चलती ट्रेंन में ही सूचना प्राप्त होते ही एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ कर देती है। इस व्यवस्था में चलित घटना स्थल से सभी साक्ष्य एकत्र किए जाकर साक्षियों के कथन भी ट्रेन में ही लिये जाते है।

शासकीय रेल पुलिस मध्य प्रदेश के 211 पदों का पुनर्गठन

शासकीय रेलवे पुलिस में पदोन्नति के अवसर अन्य जिला पुलिस बल इकाईयो में पदोन्नति के अवसरों के समतुल्य करने हेतु पुनर्गठन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया जिसे राज्य शासन द्वारा मान्य किया जाकर रेलवे जोन में पदस्थ कुल आरक्षकों के पदों में से 211 आरक्षक के पदों का उन्नयन किया गया जो निम्नानुसार है :–

उपनिरीक्षक	**–**	**91**
सहायक उप निरीक्षक	**–**	**81**
प्रधानआरक्षक	**–**	**39**
		211

इस पुनर्गठन से जीआरपी कर्मियों की पदोन्नति संभव हो सकी जिससे उनकी कार्य क्षमता विकसित होने के साथ साथ उनके आत्म सम्मान की भी अत्यधिक वृध्दि हुई।

11 विशेष सशस्त्र बल –

11.1 विभागीय संरचना एवं अधीनस्थ कार्यालय:–प्रदेश में विसबल की कुल 22 वाहिनियॉ स्वीकृत हैं।

मुख्यालय एवं वाहिनियों में स्वीकृत बल की स्थिति निम्नानुसार है :–

पद	स्वीकृत बल	
1. अति0 पुलिस महानिदेशक	–	01
2. पुलिस महानिरीक्षक, विसबल म0प्र0	–	06
3. उप पुलिस महानिरीक्षक, विसबल	–	01
4. सेनानी, विसबल	–	22
5. सहायक पुलिस महानिरीक्षक, विसबल रेंज	–	11
6. उप सेनानी	–	27
7. उप पुलिस अधीक्षक, विसबल	–	01
8. उप पुलिस अधीक्षक, विसबल जोन	–	44
9. सहायक सेनानी	–	87
10. कम्पनी कमाण्डर/निरीक्षक	–	378
11. प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक/सूबेदार	–	1042
12. सेक्शन कमाण्डर/सहा0 उप निरीक्षक	–	1436
13. प्रधान आरक्षक	–	4494
14. आरक्षक, आरक्षक (ट्रेडमेन)	–	17119
		कुल योग– 24669

नोट– इस संख्या में श्वान दल, अश्वरोही दल, एम0टी0, आर्म्स संवर्ग का बल सम्मलित नहीं है।

11.2 वाहन शाखा :–

विसबल के अधीनस्थ वाहन शाखा के अन्तर्गत जिला बल/वाहिनियों/केन्द्रीय वाहन कर्मशाला भोपाल एवं वाहन प्रशिक्षण शाला रीवा का एमटी का स्वीकृत बल निम्नानुसार है :–

1. निरीक्षक (एमटी)	–	10
2. उप निरीक्षक (एमटी)	–	85
3. सहायक उप निरीक्षक (एमटी)	–	390
4. प्रधान आरक्षक (एमटी)	–	978
5. आरक्षक (एमटी)	–	2893
योग	–	**4356**

वर्तमान परिस्थितियों में कानून–व्यवस्था डियूटी हेतु विभिन्न जिलों में तैनात विशेष सशस्त्र बल की कंपनियों का आकस्मिक मूवमेंट होता रहता है । इस हेतु कंपनियों में उपलब्ध वाहनों का बल के परिप्रेक्ष्य में अभाव होने के कारण आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत आगामी 05 वर्षों में निम्नानुसार छोटे/मध्यम व भारी वाहन विसबल वाहिनियों हेतु उपलब्ध कराये जाने के लिये अति0 पुलिस महानिदेशक प्रबंध पुमु की ओर प्रस्ताव प्रेषित किया गया है :–

सक्र	वित्तीय वर्ष	छोटे वाहन	बस (52 सीटर)	बस (32 सीटर)	भारी वाहन	मध्यम भारी वाहन	मोटर साइकिल
01	2013–14	5	4	10	4	8	9
02	2014–15	5	4	10	4	8	9
03	2015–16	5	4	10	4	8	9
04	2016–17	5	4	10	4	8	9
05	2017–18	5	4	10	4	8	9
सकल योग		25	20	50	20	40	45

11.3 प्रशिक्षण संस्थायें :–

(14.3.1)–विसबल में विसबल तथा जिला बल, शासकीय रेल पुलिस के अधिकारी/कर्मचारियों हेतु विभिन्न प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं इन प्रशिक्षणों को सुचारू रूप से चलाने हेतु विसबल के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थान वर्तमान में कार्यरत हैं :–

I- आरएपीटीसी इन्दौर
II- 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर
III- 8वीं वाहिनी विसबल छिन्दवाड़ा
IV- 13वीं वाहिनी विसबल ग्वालियर
V- पुलिस आर्म्स रिपेयर वर्कशॉप 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल
VI- पुलिस वाहन प्रशिक्षण शाला रीवा
VII- बैण्ड प्रशिक्षण शाला 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल
VIII- श्वान प्रशिक्षण शाला 23वीं वाहिनी विसबल भोपाल

उक्त संस्थानों के नाम में शासन के आदेश क्रमांक/1694/898/2013/बी–3/दो, भोपाल दिनांक 31.10.2013 के माध्यम से निम्नानुसार संशोधन किया गया है :–

11.4 पीटीएस विसबल इन्दौर :– इस संस्थान में नव आरक्षक के बुनियादी प्रशिक्षण के अतिरिक्त 33 इनसर्विसेज कोर्स चलाये जाते हैं जो आरक्षक से लेकर उप सेनानी तक के अधिकारियों के लिए आयोजित किये जाते हैं । इसके अलावा यह संस्थान अन्य राज्यों के सशस्त्र पुलिस बल के नव आरक्षकों को बेसिक प्रशिक्षण भी समय–समय पर सीटें उपलब्ध होने पर चलाता है। इस संस्थान में पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार विभिन्न सेमीनार एवं कार्यशालाऍ भी आयोजित की जाती हैं ।

11.5 पीटीएस विसबल जबलपुर :– इस वाहिनी में विसबल के नवआरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण संचालित किया जाता है । इसके अतिरिक्त इसी संस्थान द्वारा हॉक फोर्स का भी बेसिक प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर कोर्स भी चलाया जाता है ।

11.6 पीटीएस विसबल छिन्दवाड़ा एवं पीटीएस विसबल ग्वालियर :– इन वाहिनियों में विसबल के नवआरक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण संचालित किया जाता है ।

11.7 पीटीएस आर्म्स भोपाल :– इस संस्थान में म0प्र0 पुलिस के हथियारों को सुधारने के साथ–साथ आरमोरर कन्डेन्स कोर्स 6 माह का तथा आरमोरर रिफ्रेशर कोर्स 30 एवं 40 दिन अवधि का संचालित किया जाता है । जिसमें आरक्षक (जीडी) से लेकर आरक्षक (आर्म्स) एवं उप निरीक्षक तक को प्रशिक्षण दिया जाता है।

11.8 पुलिस वाहन प्रशिक्षण शाला रीवा :– इस संस्थान में प्रमुखतः डीएण्डएम, आटोफिटर, आटोइलेक्ट्रिक, डीएण्डएम रिफ्रेशर, हैवी डीएण्डएम तथा डीआर कोर्स का संचालन किया जाता है। इन कोर्सेज में आरक्षक (जीडी) से लेकर एमटी के आरक्षक से सउनि तक को प्रशिक्षित किया जाता है ।

11.9 पीटीएस डॉग भोपाल :–इस संस्थान में श्वान प्रशिक्षण दिया जाता है ।

11.10 म0प्र0 पुलिस बैण्ड प्रशिक्षण स्कूल :–इस संस्थान में बैण्ड प्रशिक्षण दिया जाता है ।

विसबल की तीन वाहिनियॉ 6वीं/8वीं एवं 13वीं वाहिनी को पूर्ण सुसज्जित प्रशिक्षण वाहिनी बना दिये जाने बावत संबंधी प्रस्ताव योजना शाखा पुमु भोपाल को भेजा गया है ।

(2) विशेष सशस्त्र बल के अधीन आर्म्स रिपेयर वर्कशाप भोपाल 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल में स्थापित है तथा जिला इकाईयों में पदस्थ आरमोरर शाखा के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या निम्नानुसार है :–

1. उप पुलिस अधीक्षक	–	01
2. निरीक्षक	–	15
3. उप निरीक्षक	–	56
4. सहायक उप निरीक्षक	–	71
5. प्रधान आरक्षक	–	128
6. आरक्षक	–	272
		————
	योग	– **543**

(3) विसबल के अधीन बैण्ड प्रशिक्षण स्कूल भोपाल 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल में स्थापित है तथा अन्य जिला इकाईयों में पदस्थ बैण्ड शाखा के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या निम्नानुसार है :–

1. अति0 पुलिस अधीक्षक	–	01
2. उप पुलिस अधीक्षक	–	01
3. निरीक्षक	–	03
4. उप निरीक्षक	–	09
5. सहायक उप निरीक्षक	–	04
6. प्रधान आरक्षक	–	32
7. आरक्षक	–	150
		————
	योग–	**200**

(4) विसबल के अधीन अश्वारोही दल का प्रशिक्षण संस्थान आरएपीटीसी इन्दौर में स्थापित है तथा अश्वारोही दल प्रथम वाहिनी विसबल इन्दौर, द्वितीय वाहिनी विसबल ग्वालियर , 6वीं वाहिनी विसबल जबलपुर, 7वीं वाहिनी विसबल भोपाल, जिला उज्जैन, जिला खरगौन एवं जिला झाबुआ में स्थापित है। इनकी स्वीकृत संख्या निम्नानुसार है :–

1. उप पुलिस अधीक्षक		–	01
2. वेटनरी आफिसर		–	01
3. निरीक्षक सवार		–	03
4. प्लाटून कमाण्डर सवार		–	07
5. प्रधान आरक्षक		–	33
6. प्रधान आरक्षक कम्पाउन्डर		–	01
7. आरक्षक सवार		–	172
8. आरक्षक सईस		–	49
9. आरक्षक ट्रेडमेन		–	34
			————
	योग	–	**301**
10.अश्व	योग	–	166

(5) विसबल के अधीन श्वानदल 23वीं वाहिनी विसबल भोपाल में स्थापित है । इनकी स्वीकृत संख्या निम्नानुसार है :–

1.	उप पुलिस अधीक्षक	–	01
2.	चिकित्सक	–	01
3.	कम्पनी कमाण्डर	–	02
4.	प्लाटून कमाण्डर	–	05
5.	प्रधान आरक्षक	–	24
6.	आरक्षक	–	66
7.	आरक्षक अर्दली	–	04
			————
			योग–103
8.	श्वान		**–योग–137**

11.11 विभाग के अन्तर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण

विभाग के दायित्व :– विसबल का दायित्व कानून एवं व्यवस्था, नक्सल प्रभावित समस्या पर नियंत्रण, साम्प्रदायिक सद्भाव, दस्यू उन्मूलन आदि से संबंधित रहता है । इसके अतिरिक्त प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, भूकम्प आदि के समय भी सजग रहकर इन समस्याओं से निपटना होता है।

11.12 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

सामान्य या प्रमुख विशेषताएँ :–

11.12.1 –कानून/व्यवस्था :–मध्यप्रदेश विसबल द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को हमेशा नियंत्रण में रखकर शांति एवं सद्भाव का वातावरण निर्मित किया जा रहा है । जिससे किसी प्रकार की कानून एवं व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सद्भाव संबंधी समस्या उत्पन्न नहीं हुई । विसबल द्वारा विभिन्न पर्व एवं धार्मिक उत्सवों में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने में अपनी उपस्थिति से उल्लेखनीय योगदान किया गया है । विधान सभा चुनाव में विसबल के कर्मचारियों का विशेष योगदान रहा है ।

11.12.2 <u>नक्सली/दस्यू उन्मूलन अभियान</u> :–म0प्र0 विसबल द्वारा नक्सली/दस्यू उन्मूलन समस्या पर कारगर ढ़ंग से नियंत्रण रखकर इस समस्या के उन्मूलन में सराहनीय योगदान किया है । म0प्र0 में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों की गतिविधियों पर प्रभावी ढ़ंग से नियंत्रण रखकर इस समस्या में काफी कमी लाई गई है । इससे नक्सलवादियों पर विपरीत असर पड़ा है तथा इन समस्याओं को नियंत्रित करने में काफी सफलता मिली है।

11.12.3 नक्सल विरोधी अभियान हेतु हॉक फोर्स के अतिरिक्त 35वीं (भा0र0) वाहिनी का गठन भी किया गया है। जिसका मुख्यालय जिला मण्डला रखा गया है तथा इसके अतिरिक्त वर्ष 2015 में 36वी (भा.र.) वाहिनी का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय बालाघाट में रखा गया है। 36वी वाहिनी में पदों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। इन वाहिनियों का पारिचालनिक नियंत्रण पुलिस महानिरीक्षक, बालाघाट रेंज के अधीन है ।

11.12.3–<u>सुरक्षा डियूटी</u> :–बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में अति विशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा अत्यन्त दुरूह एवं चुनौतीपूर्ण हो गयी है । म0प्र0 विसबल द्वारा मुख्यमंत्री जी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा डियूटियों को बखूबी अंजाम दिया जाता है।

11.12.4 <u>राज्यस्तरीय/जिला स्तरीय सेरीमोनियल कार्यक्रम</u> :–विसबल के दायित्वों में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राज्य एवं जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों जैसे– गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, शहीद दिवस आदि का आयोजन एवं संचालन करना है । विसबल द्वारा अपने इस दायित्व का कुशलतापूर्वक अत्यन्त सराहनीय ढ़ंग से निर्वहन किया जाता है।

11.12.5 –<u>कल्याणकारी गतिविधियॉ</u> :–विसबल में निम्नलिखित कल्याणकारी गतिविधियॉ एवं लक्ष्य हैं :–

1. 21 इकाईयों में कर्मचारियों के कल्याण हेतु सीपीसी केन्टीन, गैस एजेन्सी, एसटीडी/पीसीओ, सुपर मार्केट, ग्रेनशॉप, आटा चक्की, पेट्रोल पम्प, चाय केन्टीन, शब्जी शॉप, जिम, मत्स्य पालन केन्द्र, आईस्क्रीम पार्लर, कल्याण केन्द्र, शादी हाल आदि गतिविधियॉ चल रही हैं ।
2. वाहिनियों में कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु स्वास्थ्य सेवायें, शैक्षणिक संस्थाऍ, पुस्तकालय, मनोरंजन भवन आदि की व्यवस्था है ।
3. 10 इकाईयों में कर्मचारी एवं उनके परिजनों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु कम्प्यूटर सेंटर प्रारंभ किये गये है ।
4. पुलिस अस्पताल :– 21 अस्पताल विसबल वाहिनियों में संचालित किये जा रहे हैं । जिनमें पुलिस कर्मियों तथा उनके परिवारों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाता है ।
5. सुपर मार्केट व अन्य कल्याणकारी गतिविधियों को महिलाओं की सहकारी समितियॉ बनाकर उनका प्रबंध महिलाओं को दिया जा रहा है ।

<u>11.13 राज्य योजनाऍ तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाऍ–</u>

<u>(अ) राज्य योजनाऍ–</u>म0प्र0 विसबल में भविष्य के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्यवाही की जा रही है:–

<u>(क) प्रशिक्षण</u> :–विसबल में जवानों एवं अधिकारियों को आधुनिक तकनीक एवं उच्चतम कौशल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है , जिसमें हॉक फोर्स जो कि नक्सल प्रभावी इलाके में तैनात है, को आधुनिक प्रशिक्षण से प्रशिक्षित करना, अत्याधुनिक हथियारों के प्रयोग करने में कुशलता

को बढ़ावा जो शामिल है । नव आरक्षकों को आधुनिक परिवेश में समस्याओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना । इसके अतिरिक्त निम्न है :–
(अ) विसबल के प्रत्येक कर्मचारी को प्रति वर्ष में रिफ्रेशर प्रशिक्षण दिया जाना ।
(ब) प्रशिक्षण तथा व्यवसायिक दक्षता को पदोन्नति से जोड़ना ।

(ख) कल्याण :–जवानों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए सभी वाहिनियों में कुकिंग गैस एजेन्सियों की स्थापना तथा सभी वाहिनियों में उनके परिजनों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाने की योजना है । इसी प्रकार सभी वाहिनियों में साख समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। जिससे कि जवानों को कम ब्याज पर आसानी से ऋण प्राप्त हो सके।

(ग) आवास :– ऐसा प्रयास किया रहा है कि सभी जवानों को आवास की सुविधा उपलब्ध हो सके। वर्तमान में विसबल कर्मियों हेतु आवासों का सेटिस्फेक्शन लेवल 31 प्रतिशत हो चुका है ।

वर्तमान में 90 कंपनियॉ स्थायी तौर पर प्रदेश के 51 जिलों में तैनात हैं । प्रदेश के अनेक जिलों में स्थायी रूप से तैनात विसबल की कंपनियों के लिये इतने वर्षों में भी कंपनी मुख्यालय व कार्यालयों का कोई स्थायी भवन नहीं है और न ही उचित मात्रा में बैरेक अथवा आवासीय सुविधा उपलब्ध हैं । विसबल की कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिये मूलतः विसबल के अधिकारी/कर्मचारियों को एक निश्चित स्थायित्व प्रदान करना तथा जिलों में तैनात कंपनियों की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना अत्यावश्यक है ।

पुलिस आधुनिकीकरण योजना तथा राज्य के अपने संसाधनों से प्रतिवर्ष लगभग 20 कंपनी मुख्यालयों का विभिन्न जिलों में निर्माण किया जाना नितांत आवश्यक है, जिस पर राशि रू0 30 करोड़ प्रतिवर्ष का व्यय होना है । इस प्रकार आगामी 05 वर्षों में लगभग 100 कंपनी मुख्यालयों के निर्माण पर कुल लागत लगभग रूपये 150 करोड़ संभावित है ।

अतः म0प्र0 विसबल के कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के परिप्रेक्ष्य में एक सार्थक पहल के रूप में वित्तीय वर्ष 2013–14 में पृथक–पृथक जिलों में 10 कंपनी मुख्यालय के निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्ताव अति0 पुलिस महानिदेशक प्रबंध पुमु भोपाल की ओर प्रेषित किया गया है ।

(घ) विशेष सशस्त्र बल के कार्मिकों की पदोन्नति को सुगम बनाने के परिप्रेक्ष्य में नई जीओपी 141/12 बनाई गई है । जिसमें निहित प्रावधानों अनुसार 'अ' एवं 'ब' वर्ग को समाप्त किया गया है एवं पूर्व पदोन्नति कोर्स की अनिवार्यता को समाप्त कर नई जीओपी में निर्धारित किये गये नियमानुसार वरियता के आधार पर अधिक–से–अधिक बल को पदोन्नतियॉ प्रदान की जा रही हैं, तद्उपरान्त पदोन्नत किये गये कार्मिक को अनिवार्यतः इंडक्शन कोर्स करवाया जा रहा है ।

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो–

एससीआरबी,भोपाल में कुल 217 पद स्वीकृत है। जिनमें मात्र 112 अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ है। कुल 105 पद रिक्त है। जिनमें 05 पद राजपत्रित अधिकारियों (GOS) के रिक्त है तथा 100 पद अराजपत्रित अधिकारियों (NGOS) के रिक्त है ।

12.1 सांख्यिकी शाखा :–

अ. मासिक अपराध विश्लेषण (एम.ए.सी.) :– मासिक अपराधों के शासन द्वारा निहित आंकड़ों को एकत्र कर उन्हें जिला एवं रेंजवार संकलित किया जाकर पुलिस गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक महोदय तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अ.अ.वि. को विश्लेषण हेतु भेजना, भा.द.वि. के शीर्षवार एवं कुल अपराध

उनमें 1. चोरी व लूटी गई एवं बरामद संपत्ति का मूल्य, 2. चोरी के प्रकरणों का वर्गीकरण शीर्षवार, 3. न्यायालय द्वारा निपटाये गए प्रकरण, 4. अन्य विधान के पंजीबद्ध प्रकरण, 5. जा.फौ. के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरण, 6. पुलिस अधीक्षकों द्वारा जिले में भ्रमण एवं रात्रि हॉल्ट, 7. जिलों में 3 माह से 1 वर्ष तथा इससे अधिक अवधि के लंबित प्रकरण, 8. पुलिस तथा शासकीय कर्मचारियों के विरूद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों, 9. एस.टी./एस.सी. के पंजीबद्ध प्रकरणों जिनमें इस वर्ग की महिलाओं के विरूद्ध उनके द्वारा किये गये अपराध राहत राशि प्रकरणों आदि की जानकारी, 10. बालक बालिकाओं एवं महिलाओं के विरूद्ध पंजीबद्ध अपराधों तथा फिंगर प्रिंट से संबंधित सर्च एवं रिकार्ड स्लिप की जानकारियां सम्मिलित हैं।

ब. मासिक सांख्यिकी जानकारी :– एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा के अंतर्गत आई.पी. सी. के पंजीबद्ध अपराध शीर्ष वार तथा घटना का प्रकार लघु अधिनियमों की जानकारी महिलाओं बच्चों पर घटित अपराध तथा सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी सम्मलित है । प्रतिमाह एन.सी.आर.बी भेजी जाति है

स. क्राइम इन इंडिया :– एन.सी.आर.बी. द्वारा निर्धारित आई.पी.सी. एवं अन्य विधानों के अंतर्गत पंजीबद्ध अपराधों उनमें की गई विवेचना फुल ब्रेक अप में (चालान, एफ.आई.आर.) न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों एवं न्यायालय द्वारा निराकरण एवं लंबित प्रकरणों की जानकारियां गंभीर अपराधों बालक/बालिकाओं एस.टी./एस.सी. एवं महिलाओं पर घटित अपराधों की फुल ब्रेक अप की जानकारियां अपराधों की घटनास्थल जैसे राजमार्ग भवन आदि में घटित अपराधों राज्य पुलिस बजट कोर्स से संबंधित 21 फार्मों की 55 जानकारियां वार्षिक सभी जिलों से ली जाकर म.प्र. की संकलित की जाकर राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो नई दिल्ली को भेजी जाती है। वर्ष 2014 की जानकारी भेजी जा चूकी है । वर्ष 2015 की वार्षिक जानकारी संकलित की जा रही है !

द. क्राइम इन एम.पी. :– उपरोक्तानुसार जानकारियों का संकलन कर म.प्र. में घटित अपराधों जनसंख्या के आधार पर क्राइम रेट आदि से संबंधित राज्य की क्राइम इन एम.पी. पुस्तिका तैयार की जाती है। 2014 की पुस्तक प्रकाशित की गई है ।

इ. एक्सीडेंटल एवं सुसाईड दुर्घटनाओं तथा आत्महत्याएं :– राज्य में एक्सीडेंटल एवं आत्महत्याओं से संबंधित घटित घटनाओं के प्रकरणों की एन.सी.आर.बी. द्वारा निर्धारित फार्मेट में पुरूष, स्त्री, बालक–बालिकाओं की अलग–अलग मृत्यु की जानकारी जिसमें शिक्षा वर्ग, आयु वर्ग, व्यवसाय तथा घटना के समय के आधार पर 23 प्रोफार्मा की जानकरी प्रदेश के समस्त जिलों से एकत्र कर एन.सी. आर.बी. नई दिल्ली को वर्ष 2014 की वार्षिक जानकारी मई 2015 में एन.सी.आर.बी.नई दिल्ली को प्रेषित की गई है ।

फ. बौद्धिक सम्पदा की वार्षिक जानकारी :– कापी राईट एक्ट 1 ट्रेडमार्क 2 डिजाइनर एक्ट 3. पेटेन्ठ एक्ट की जानकारी एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली को भेजी जाती है।

12.2 वेबसाईट–

- मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाईट हिन्दी एवं अग्रेजी में उपलब्ध है ।
- इस वेबसाईट के अन्तर्गत पुलिस मुख्यालय एवं जिलों के जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु समाचार अपलोड किये जाते है, तथा समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों को प्रेस विज्ञप्ति उपलब्ध कराई जाती हैं ।
- पुलिस से संबंधित विभिन्न निविदाओं को वेबसाईट के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है ।

- पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के संदेश भी प्रदर्शित किये जाते है।
- मध्यप्रदेश पुलिस वेबसाईट में मध्यप्रदेश पुलिस के सभी भा.पु. . एवं रा.पु. . अधिकारियों की वर्तमान पदस्थापना एवं अन्य जानकारी प्रदर्शित की जाती है ।
- पुलिस विभाग के विभिन्न वर्गो के कर्मचारियों की पदक्रम सूची वेबसाईट पर प्रदर्शित की जाती है ।
- भारत में अपराध तथा मध्यप्रदेश में अपराध की वर्षवार जानकारी, भा.द.वि, लघु अधिनियम, सी. आर.पी.सी, महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराध व अजा/जजा के विरूद्ध घटित अपराधों की मासिक जानकारी तथा वर्षवार तुलनात्मक विवरण वेबसाईट पर उपलब्ध कराये गये है।
- शिकायत माड्यूल के अन्तर्गत आनलाईन शिकायत करने की सुविधा प्रदान की गई है । प्रत्येक शिकायत की निगरानी तथा संदर्भ हेतु अद्वितीय शिकायत क्रमांक दिया जाता है ।
- सक्सेस स्टोरी माड्यूल के अंतर्गत पुलिस कर्मियों द्वारा किये गये अच्छे कार्यों की जानकारी म. प्र. पुलिस वेबसाईट पर जिला यूजर आई–डी से उपलब्ध कराया गया है ।
- CRPc की धारा 41C क अनु ार गिरफ्तार व्यक्तियों की जानकार आमजन को उपलब्ध करान हतु Web Based Module क माध्यम ुविधा प्रदान की गई है ।
- राज्य अपराध अभिलख ब्यूरो द्वारा वब ाईट पर कई नई ुविधाओं यथा Vehicle Enquiry, स्वास्थ्य ुरक्षा योजना, MPSTF का मावश किया गया है ।

12.3 सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट :–

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के अंतर्गत CCTNS (Crime and Criminal Tracking, Network & Systems) एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो भारत शासन एवं म.प्र. शासन की सहभागिता एवं संयुक्त वित्तीय अनुदान से प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है । प्रोजेक्ट की कुल लागत राशि रू0 8645.88 लाख है। सीसीटीएनएस योजना में कुल 1019 थानें एवं 428 वरिष्ठ कार्यालय सम्मिलित है।

वर्ष 2015 में सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के अंतर्गत माह जनवरी 2015 में कुल 161 पुलिस थानों में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य प्रारंभ किया गया था। माह जुलाई 2015 से मिशन मोड में कार्य करते हुये दिसंबर 2015 तक कुल 1011 पुलिस थानों में कार्य प्रारंभ कर लिया गया है। वर्ष 2015 में सी.सी.टी.एन.एस. साफ्टवेयर में कुल 52 लाख रोजनामचा, 1.62 लाख प्रथम सूचना रिपोर्ट, 43 हजार अपराध विवरण पत्रक, 69 हजार गिरफ्तारी पत्रक, 43 हजार जब्ती पत्रक सहित 56 हजार चालानी पत्रको का इन्द्राज किया गया है।

सीसीटीएनएस योजना के अंतर्गत कुल 10869 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। शेष का प्रशिक्षण प्रगति पर है।

प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1 जनवरी 2005 से थानों के गो–लाईव दिनांक तक इंद्राज किये गये हस्तलिखित अपराधिक रिकार्ड (लगभग 36 लाख) का डिजिटाईजेशन किया जाना है। प्रदेश में कुल 42 डाटा डिजिटाईजेशन केन्द्र स्थापित कर 702 डाटा एंट्री आपरेटर नियुक्त किये गये है। वर्तमान तक कुल 18 लाख डाटा का डिजिटाईजशन कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रदेश के कुल 1447 स्थानों पर कनेक्टिविटी बीएसएनएल एवं स्वान के माध्यम से प्रदाय की जाना थी, इसमें से 1265 स्थानों पर कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गई है।

12.4. सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट से विभाग को लाभः–

- प्रदेश के समस्त अपराधियों की जानकारी समस्त थानों को तत्काल उपलब्ध।
- हस्तलिखित से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संधारण की ओर एक कदम।
- विभिन्न रजिस्टर एवं रिपोर्ट सॉफ्टवयेर के माध्यम से तैयार।
- थानों की कार्यवाही का सतत् एवं सघन पर्यवेक्षण संभव।
- गिरफ्तार अपराधियों एवं बरामद संपत्ति की सूचना समस्त थानों में तत्काल प्रसारित।
- चरित्र सत्यापन प्रदेश स्तर पर संभव।
- अपराधियों का इतिहास एवं प्रवृत्ति की जानकारी प्रदेश स्तर पर उपलब्ध।
- विभिन्न राज्यों से अपराधियों की सूचनाओं का आदान–प्रदान संभव।

12.5 सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट से जन सामान्य को प्राप्त होने वाली सुविधाएंः–

- गुमशुदा एवं दस्तयाब व्यक्तियों की जानकारी
- अज्ञात शवों की जानकारी।
- गिरफ्तार व्यक्तियों की जानकारी
- चोरी गये एवं बरामद वाहनों की जानकारी।
- जन सामान्य उपयोगी विभिन्न सूचनाएं एवं परिपत्र।

12.6 भविष्य की योजनाएंः–

- इंटिग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (आईसीजेएस) का क्रियान्वयन।
- आईसीजेएस के अंतर्गत न्यायालय, अभियोजन, जेल एवं फोरेंसिक लेबोरेटरी का कम्प्यूटरीकरण एवं सीसीटीएनएस से इंटिग्रेशन।
- परिवहन विभाग से सीसीटीएनएस का इंटिग्रेशन।
- आटोमेटेड फिंगर प्रिंट आईडेटिफिकेशन सिस्टम की स्थापना एवं सीसीटीएनएस से इंटिग्रेशन।
- मोबाईल एप द्वारा जन सामान्य को सीसीटीएनएस की विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना।

12.7 अंगुलि चिन्ह शाखा :–

अंगुलि चिन्ह शाखा द्वारा घटना स्थल से अपराधी के फिंगर प्रिंट खोजने दंडित एवं गिरफ्तार अपराधियों का रिकार्ड संग्रहण, विवादित दस्तावेजों पर अंगुष्ठ चिन्हों की जांच एवं विशेषज्ञ मत तथा घटनास्थल पर प्राप्त चांस प्रिंट का परीक्षण कर अभिमत देना आदि कार्य संपादित किए जाते हैं ।

अंगुलि चिन्ह शाखा तथा समस्त जिला इकाईयों से प्राप्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2015 में किए गए कार्य का आंकडेवार विवरण निम्नानुसार है :–

12.7.1 रिकार्ड स्लिप :–

वर्ष 2015 में 9707 रिकार्ड स्लिप प्राप्त हुई । जिन पर कार्यवाही पूर्ण कर अभिलेख हेतु जिला मुख्यालय तथा अंगुलि चिन्ह ब्यूरो भोपाल में रखी गयी है ।

एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली के अभिलेख हेतु दण्डित अपराधियों की अंगुलि चिन्ह पर्णियां म.प्र. के विभिन्न जिलों में पदस्थ अंगुलि चिन्ह विशेषज्ञ द्वारा मुख्यालय के माध्यम से भेजी जाती हैं । इस वर्ष 5956 रिकार्ड स्लिप एन.सी.आर.बी. नई दिल्ली को प्रेषित की गयी हैं ।

12.7.2 सर्च स्लिपः—

म.प्र. के विभिन्न जिलों में गिरफ्तार किए गए आरोपियों की अंगुलि चिन्ह की धाराओं के अंतर्गत अंगुलि चिन्ह सर्च स्लिप तैयार की जाती है । वर्ष 2015 में म.प्र. के पुलिस थानों से 117293 सर्च स्लिप सर्च हेतु प्राप्त हुई जिनमें से जिला स्तर पर एफिस से परिणाम प्राप्त कर संबंधित इकाईयों को जानकारी भेजी ।

12.7.3 वस्तु प्रकरणः—

म.प्र. के थानों से महत्वपूर्ण घटनास्थल की सूचना प्राप्त होने पर अंगुलि चिन्ह विशेषज्ञ द्वारा 1979 घटना स्थल के निरीक्षण का कार्य किया गया । घटनास्थलों से कुल 1173 चांस प्रिंट प्राप्त हुए । 384 प्रकरण ब्यूरो में सत्यापन हेतु प्राप्त हुए जिनमें परीक्षण के उपरांत 28 प्रकरण अभिन्न (Identical) एवं 15 प्रकरण भिन्न (Unidentical) होने पर अपराधियों की पतासाजी एवं साक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया गया । 05 प्रकरण तुलना हेतु अनुपयुक्त (Unfit) रहे एवं 336 प्रकरण नस्तीबद्ध किए गए।

12.7.4 दस्तावेज प्रकरणः—

इस वर्ष विभिन्न जिला इकाईयों से तथा लोकायुक्त, एस.टी.एफ., आर्थिक अपराध शाखा से विवादग्रस्त दस्तावेजों पर लगे अंगुलि चिन्ह का परीक्षण एवं विशेषज्ञ मत संबंधी 439 प्रकरण शाखा में प्राप्त हुए जिनमें 276 प्रकरण अभिन्न (Identical), 50 प्रकरण भिन्न (Unidentical) तथा 113 प्रकरण अनुपयुक्त (Unfit)रहा । इस प्रकार विवादित दस्तावेजों के प्रकरणों में अपराधियों के विरूद्ध साक्ष्य उपलब्ध कराने में विवेचनाधिकारियों को सहायता प्रदान की गयी ।

12.7.5 अंगुलि चिन्ह का प्रशिक्षणः—

दण्डित अपराधियों की अंगुलि चिन्ह पर्णी अभियोजन कार्यालय में तैयार की जाती है । गिरफ्तार आरोपियों की अंगुलि चिन्ह पर्णी थाना स्तर पर तैयार की जाती है । इसके अतिरिक्त विवेचनाधिकारियों द्वारा दस्तावेजों प्रकरण एवं वस्तु प्रकरणों में आदर्श अंगुलि चिन्ह पर्णियां तैयार की जाती है। तैयार की गई अंगुलि चिन्ह पर्णियां स्पष्ट, साफ एवं तुलना योग्य होना आवश्यक है । इस हेतु अंगुलि चिन्ह विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण दिए जाते हैं । इस वर्ष 6193 कोलेटर/कोर्ट मोहर्रिर, विवेचनाधिकारी तथा अन्य पुलिस कर्मियों को थाना स्तर पर एवं जिला मुख्यालय स्तर पर अंगुलि चिन्ह संबंधी प्रशिक्षण दिया गया ।

12.7.6 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण :—

अंगुलि चिन्ह शाखा में नव नियुक्त 31 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को अंगुलि चिन्ह विज्ञान तथा कार्य के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है । इस प्रशिक्षण में सैद्धान्तिक, प्रायोगिक, प्रोजेक्ट वर्क आदि का प्रशिक्षण पुलिस मुख्यालय की प्रशिक्षण शाखा द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दिया गया।

12.8 एम0ओ0बी0 शाखा :— सम्पत्ति सम्बन्धी अपराधों में अर्न्तजिला, अर्न्तराज्य एवं अन्तराष्ट्रीय अपराधियें की गिरफतारी जिलों के थानों में की जाती है जिनके क्राइम कार्ड भरकर कार्यालय राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल में डाटा संकलित किया जाता है। संकलित रिकार्ड से पुलिस अधीक्षकों द्वारा सम्पत्ति संबंधी अपराधियों की सूझपत्र प्रदान किया जाता है।

12.8.1 दिनांक 01.01.2015से 31.12.2015 की काइम कार्ड एवं सूझ पत्र की जानकारी निम्नानुसार है:–

प्राप्त काइम कार्ड की संख्या	**– 821**
जिलो को भेजे गये काइम कार्ड की संख्या	**– 821**
अपराध संम्बन्धी सूझ की मॉगपत्र संख्या	**– 538**
जिलो को भेजी गई सूझों की संख्या	**– 538**

12.9 प्रशिक्षण:–

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो की प्रशिक्षण शाखा में वर्ष 2015 में विभिन्न इकाईयों को बुनियादी कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। मध्यप्रदेश पुलिस की विभिन्न जिला इकाइयों ,पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं के कर्मचारियों को भी बुनियादी कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं अन्य कम्प्यूटर संबंधी प्रशिक्षण रा.अ.अ.ब्यूरो की प्रशिक्षण शाखा द्वारा दिया गया ।

प्रशिक्षण शाखा द्वारा एन.सी.आर.बी. ,लखनऊ एवं गांधीनगर में विभिन्न अधि/कर्म को प्रशिक्षण हेतु भेजा गया। वर्ष 2015 में राअअब्यूरो द्वारा 76 अधि/कर्म0 को प्रशिक्षण दिया गया ।

भारत सरकार गृह मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत सी सी टी एन एस प्रोजेक्ट के तहत जिले के कर्मचारियों को कैश साफ्टवेयर का प्रशिक्षण साथ ही जिलो में स्थापित प्रशिक्षण लैब हेतु मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण भी रा0अ0अ0 ब्यूरो की प्रशिक्षण लैब में दिया गया ।

प्रशिक्षण शाखा द्वारा 14वीं राज्य स्तरीय कम्प्यूटर अवेयरनेस प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया जिसमें 19 जोन की टीमों ने भाग लिया । सफल प्रतियोगियों को 59वीं अखिल भारतीय पुलिस डयूटी मीट हेतु हरियाणा पंचकुला भेजा गया ।

12.10 आधुनिकीकरण शाखा संबंधी जानकारी–

पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2009–10 की बचत/पेनाल्टी की राशि रूपये 14.78 लाख से पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढी के लिये कम्प्यूटर लैब हेतु कम्प्यूटर एवं सहउपकरण का क्रय किया गया।

I- पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2010–11 की बचत/पेनाल्टी की राशि रूपये 27.84 लाख से पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भौंरी भोपाल के लिये कम्प्यूटर लैब हेतु कम्प्यूटर एवं सहउपकरण का क्रय किया गया।
II- फिंगर प्रिन्ट लाईव स्केनर के लिये 226 नग डेस्कॅटाप कम्प्यूटर का क्रय राशि रूपये 1,13,00,000/– से मेसर्स इंग्राम से किया गया।
III- फिंगर प्रिन्ट लाईव स्केनर हेतु 139 नग लायसेंस का क्रय राशि रूपये 19,46,000/– से मेसर्स ईसीआईएल से किया गया।

12.11 लोकसेवा गारन्टी :–

लोकसेवा गारन्टी के अंतर्गत पुलिस विभाग की 01 नवीन सेवा को सम्मलित किया गया है। मर्ग इन्टीमेशन की छायाप्रति उपलब्ध कराना।

उक्त सेवा पदाभिहित अधिकारी (संबधित थाना क्षेत्र का थाना प्रभारी/उपुअ अजाक समस्त प्रथम अपीलीय अधिकारी (एसडीओपी/सीएसपी/पुअ अजाक) समस्त द्वितीय अपीलीय अधिकारी (पुलिस अधीक्षक) द्वारा फरियादी को समय सीमा में प्रदाय की जावेगी।

13. प्रशिक्षण शाखा –

इस शाखा के प्रभारी के रूप मे विशेष पुलिस महानिदेशक पदस्थ हैं।

13.1 मध्यप्रदेश में पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए निम्न प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं।

म0प्र0 पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल।
जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर।
आर0ए0पी0टी0सी0 इन्दौर।
पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इन्दौर।
पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर।
पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी।
पुलिस प्रशिक्षण शाला रीवा।
पुलिस प्रशिक्षण शाला तिघरा।
पुलिस प्रशिक्षण शाला उमरिया।
विसबल प्रशिक्षण शाला 6 वीं वाहिनी विसबल जबलपुर।
विसबल प्रशिक्षण शाला 8 वीं वाहिनी विसबल छिन्दवाड़ा।
पुलिस प्रशिक्षण शाला सागर।

13.2 म0प्र0 पुलिस अकादमी भौंरी भोपाल में राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के नवनियुक्त उप पुलिस अधीक्षक/उप निरीक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण एवं अति0पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को इनसर्विस प्रशिक्षण एवं अनुसचिवीय बल के कर्मचारियों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है।

13.3 जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में राज्य पुलिस सेवा संवर्ग के नवनियुक्त उप पुलिस अधीक्षक/उप निरीक्षकों का बुनियादी प्रशिक्षण एवं अति0 पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को इनसर्विस प्रशिक्षण एवं शीघ्रलेखक/अनुसचिवीय बल के कर्मचारियों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है।

13.4 पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इन्दौर व 5 पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी/रीवा/उमरिया/तिघरा एवं मकरोनिया सागर में नवनियुक्त आरक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है तथा आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को इनसर्विस कोर्स कराया जाता है।

13.5 आर0ए0पी0टी0सी0 इन्दौर में सूबेदार/पी0सी0 का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है।

13.6 पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इन्दौर में उप निरीक्षक/स0उ0नि0 रेडियो, प्र0आर0/आर0 रेडियो को बुनियादी एवं बी0आर0ओ0/बी0आर0टी0 प्रशिक्षण दिया जाता है।

13.7 समस्त पुलिस प्रशिक्षण शालाओं की क्षमता 1100 प्रशिक्षणार्थियों की थी, जो वर्तमान में लगभग 4000 हो गई है।

13.8 6वीं एवं 8वीं प्रशिक्षण वाहिनियों में विशेष सशस्त्र बल के नव आरक्षकों को अत्याधुनिक साधनों से प्रशिक्षण दिया जाता है।

13.9 13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत 6 पीटीएस को अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्थान एवं आधुनिक आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे समस्त ट्रेनिंग सेन्टरों का स्तर उच्च स्तर का हो गया है तथा अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त होने से नवीन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो कि बदलतीहुए परिस्थितियों एवं आपराधिक प्रवृत्तियों पर रोकथाम में उपयुक्त होंगे।

13.10 म0प्र0 शासन द्वारा नवीन पीटीएस उज्जैन स्वीकृत किया गया है। जिसके निर्माण संबंधी कार्यवाही जारी है।

13.11 पुलिस प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नव आरक्षकों से उप निरीक्षक स्तर तक के बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को नवीन रूप में बनाया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप पुलिस यवहार व्यक्तित्व विकास एवं मानव व्यवहार थाना प्रबंधन कानून व्यवस्था यातायात एवं आपदा प्रबंधन का विशेष प्रशिक्षण का समावेश किया गया है। साथ ही कम्प्यूटर एवं ड्रायविंग के प्रशिक्षण को अनिवार्य किया जाकर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है ताकि पुलिस बल अधिक से अधिक कम्प्यूटर एवं ड्रायविंग में दक्ष हो सके।

13.12 प्रशिक्षण शाखा पु0मु0 भोपाल द्वारा 8 नये पाठ्यक्रम बनाये गये हैं। आरक्षक, उप निरीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, उ0नि0 रेडियो, उ0नि0 क्यू0डी0, उ0नि0 फिंगर प्रिन्ट व सूबेदार एवं उप निरीक्षकों के 03 माह के आधारभूत प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम बनाया गया है। इसी के अनुरूप इन अधिकारियों के बुनियादी प्रशिक्षण चलाये जाते हैं।

13.13 समस्त जिलों में जिले स्तर पर होने वाले घटित अपराधों पर नियंत्रण हेतु एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु थाना प्रबंधन पर विशेष कोर्स चलाये जाते हैं।

13.14 म0प्र0 पुलिस के अधिकारियों के लिए उच्च स्तरीय प्रशिक्षण ''लीडरशिप प्रोग्राम'' इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मेनेजमेन्ट इन्दौर में फरवरी माह के अंतर्गत चलाया जावेगा।

14. रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इन्दौर –

14.1 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :–

14.1.1 इतिहास –

पुलिस बल में हुए विस्तार एवं प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए सशस्त्र पुलिस के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1980 में इस संस्था की स्थापना की गई । वर्ष 1988 में प्रशिक्षण संस्था को महाविद्यालय का दर्जा दिया गया । वर्ष 2003 में इस संस्था को रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविघालय का नाम दिया गया। संस्था प्रमुख के पद पर श्री मिलिन्द कानस्कर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं श्री आर.के. गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ हैं ।

विभाग का दायित्व विसबल के अधिकारियों/कर्मचारियों को बुनियादी एवं विसबल के अधिकारियों/कर्मचारियों को विभागीय कोर्स का प्रशिक्षण देना । सूबेदार बुनियादी प्रशिक्षण, उप निरी.(तक.), आधारभूत प्रशि. एवं उप निरीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को वेपन एवं टेक्टिस कोर्स डी.आई कोर्स, पी. टी.आई. कोर्स, आउटडोर ट्रेनर कोर्स, यू.ए.सी कोर्स, फाउण्डेशन कोर्स का प्रशिक्षण।

14.1.2 स्थापना –

सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविघालय में स्वीकृत बल निम्नानुसार हैं :–

ADG	IG	DIG	CO	DC	AC	ADPO	CC/INS	PC/SI	APC/ASI	HC	CON	CTM	BO	TOTAL
1	1	1	1	1	3	2	16	29	17	109	243	45	6	465

	SUB-M-HC	SUB-M-ACCTT	SUB-M-STENO	SI-M	ASI-M	HC-M	TOTAL
अनुसचिवीय बल	1	2	3	3	5	1	15

	AC	DR	CC	HC-C	HC-S	CON-S	CON-SAIS	CTM	TOTAL
माउंटेड बल	1	1	1	1	3	20	6	11	44

	SUB-	ASI-	CON.	TOTAL
ग्रंथालय बल	1	1	1	3

14.2 प्रशिक्षण –

पुलिस मुख्यालय व्दारा अनुमोदित कोर्स केलेण्डर अनुसार एवं समय–समय पर पु0मु0 व्दारा दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित किये गये । वर्ष 2015 (दिनांक 1.1.15से 31. 12.15 तक) **29** कोर्स संचालित किये गये । इस अवधि में कुल **2129** अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है । वर्ष **2015** में संस्था व्दारा निम्नांकित कोर्स सम्पादित किये तथा दर्शार्यनुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(14.2.1) बुनियादी प्रशिक्षण :–

S. N.	COURSE	DURTION		PC/SUB /SI	R.CON	TOTAL
1	नव.आर. बुनियादी प्रशिक्षण विशा	6-1-15	6-4-15		133	133
2	सूबे/उनि/पीसी फाउण्डेशन कोर्स	16-2-15	2-5-15	303		303
3	प्लाटून कमाण्डर होमगार्ड बुनियादी	16-2-15	20-5-15	35		35
4	सूबेदार प्रशिक्षण (पीओपी)	21-5-15	29-5-15	44		44
5	नव.आर. बुनियादी प्रशिक्षण	25-5-15	13-3-16	-----	484	484
6	प्लाटून कामण्डर बुनियादी प्रशिक्षण	1-6-15	28-2-16	118		118
7	नव.आर. बुनियादी प्रशिक्षण रेडियो	16-11-15	11-3-16		102	102
	TOTAL			**500**	**719**	**1219**

(14.2..2) विभागीय प्रशिक्षण :–

S.N	COURSE DETAILS	DURTION		AC/ DSP	CC/ INS	PC/SUB /SI	ASI/ SC	HC	CON	TOTAL
1	बलवा ड्रिल कोर्स (आर/प्रआर)	10.1.15	13.1.15	0	0	0	0	18	24	42
2	ओल्ड बॉयज सेमिनार	15.1.15	17.1.15	15	0	0	0	0	0	15

	(पीसी–86/87)									
3	आउटडोर इंस्ट्रक्टर (संस्था के लिये)	19.1.15	19.3.15	0	0	0	0	0	19	19
	प्री–बम डिस्पोजन कोर्स (आर से सीसी)	16.2.15	28.2.15	0	2	3	1	2	13	21
4	आउटडोर इंस्ट्रक्टर कोर्स (प्र.आर./आरक्षक)	16.3.15	1.6.15	0	0	0	0	22	23	45
5	प्री–बम डिस्पोजन कोर्स (आर से सीसी)	6.4.15	17.4.15	0	1	0	0	0	7	8
6	सीटीजी कोर्स	27.4.15	3.4.15	1	1	1	1	18	34	56
7	पीएसओ गनमैन कोर्स (आर/प्रआर)	27.4.15	6.7.15					12	26	38
8	परि उपुअ वेपन एण्ड टेक्टिक्स कोर्स	1.5.15	29.6.15	17	0	0	0	0	0	17
9	इंसास/एके–47/एमपी–5/ पिस्टल कोर्स	15.6.15	18.6.15	0	0	0	14	25	27	66
10	क्वार्टर मास्टर मैनेजमेंट कोर्स (पीसी/सीसी)	6.7.15	1.8.15	0	13	26	0	0	0	39
11	प्री–बम डिस्पोजल कोर्स	10.7.15	18.7.15	0	0	0	0	1	6	7
12	एके–47/इंसास/एमपी–5/ग्लॉक पिस्टल कोर्स (जबलपुर) (आर/प्र. आर.)	13.7.15	16.7.15	0	0	0	5	22	29	56
13	एके–47/इंसास/एमपी–5/ग्लॉक पिस्टल कोर्स (ग्वालियर) (आर./प्र. आर.)	28.7.15	31.7.15	0	0	0	11	17	34	62
14	यूएसी कोर्स (आर./प्र.आर.)	18.8.15	5.9.15	0	0	0	0	0	33	33
15	क्वार्टर मास्टर मैनेजमेंट कोर्स (पीसी/सीसी)	17.8.15	12.9.15	0	14	24	0	0	0	38
16	एके–47/इंसास/एमपी–5/ग्लॉक पिस्टल कोर्स (भोपाल) (आर/प्र. आर.)	24.8.15	27.8.15	0	0	1	16	22	27	66
17	आउटडोर इंस्ट्रक्टर कोर्स (आर./प्र.आर)	21.9.15	11.12.15	0	0	0	0	23	32	55
18	एके–47/इंसास/एमपी–5/ ग्लॉक पिस्टल कोर्स (रीवा) (आर./प्र.आर.)	7.10.15	10.10.15	0	0	0	9	17	17	43
19	विभागीय जांच कोर्स (सीसी/पीसी)	26.10.15	31.10.15	0	16	22	0	0	0	38
20	पीएसओ गनमैन कोर्स (आर./प्र.आर.)	2.11.15	16.12.15	0	0	0	0	13	71	84
21	एके–47/इंसास/एमपी–5/ग्लॉक पिस्टल कोर्स (छिन्दवाडा) (आर./प्र. आर.)	27.11.15	1.12.15	0	0	0	13	21	28	62
	योग			**17**	**43**	**73**	**68**	**233**	**450**	**910**

14.3 विशेष प्रशिक्षण –

14.3.1 पूर्व में उप निरीक्षकों को एक माह का वेपन टेक्टिक्स प्रशिक्षण दिया जाता था । वर्ष 2011 में इस प्रशिक्षण के अतिरिक्त इन्हें सूचना संकलन, एन.डी.पी.एस.एक्ट, मायनर एक्ट, समय प्रबंधन एवं जंगल टेक्टिक्स केम्प, व्ही.आय.पी. सिक्युरिटी, आर्थिक अपराध से संबंधित विषयों का भी प्रशिक्षण दिया गया । उप निरीक्षकों को साइबर क्राईम की विशेष क्लास ली गई ।

14.3.2 सूबेदार सवर्ग के 45 सूबेदारों को 12 माह का प्रशिक्षण इस संस्था में दूसरी बार दिया गया हैं।

14.3.3 परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों को एक माह के वेपन टेक्टिक्स कोर्स के साथ सूचना संकलन, एन.डी.पी.एस.एक्ट, मायनर एक्ट, समय प्रबंधन, व्ही.आय.पी.सिक्युरिटी, आर्थिक अपराध मेनेजमेन्ट से संबंधित विषयों का भी प्रशिक्षण दिया गया ।

14.3.4 संस्था में 12 पंचवर्षीय योजना के अर्न्तगत निर्माणाधीन आब्स्टिकल्स निम्नुसार हैं :–

<u>बैसिक आब्स्टिकल्स गुप–ए</u> :– 1. स्टेट बैलेन्स, 2. क्लियर जम्प, 3. गैट वाल्ट, 4. जिग जैग, 5. क्लाईम्बिंग वॉल (8 फीट), 6. क्लाईम्बिंग वॉल (10 फीट), 7. डबल डिच, 8. राईट वाल्ट. 9. लेफ्ट वाल्ट, 10. दमदमा ।**बैसिक आब्स्टिकल्स ग्रुप बी**:– ***1.*** ए बी कंच इन्क्लाइंट, 2. ए बी कंच फ्लेट, 3. मल्टीपल रोवर क्लाईम्बिंग एंड स्पाइडर नेट, 4. मल्टीपल बीम ।

<u>एडवान्स आब्स्टिकल्स</u> :–***1.*** लो हाईट लो बैलेन्स, 2. पैरेलल रोप, 3. मंकी कॉल, 4. स्टेप अपवार, 5. बरमा ब्रिज, 6. रिवर क्रासिंग, 7. सेंड पिट ।

14.4 भोजन व्यवस्था –

14.4.1 समुचित नियंत्रण, मितव्ययता तथा कर्मचारियों की बचत के लिए सामुहिक मैस एवं प्रशिक्षणार्थियों की समिति व्दारा मैस संचालन व्यवस्था लागू की गई। प्रशिक्षणार्थियों की समिति की प्रति सप्ताह पुलिस महानिरीक्षक व्दारा मीटिंग में समीक्षा की जाती हैं तथा कठिनाईयों एवं सूझाव पर चर्चा कर निर्णय लिये जाते हैं ।

14.4.2 प्रशिक्षणार्थियों के कठिन परिश्रम को दृष्टिगत रखते हुए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई। प्रशिक्षणार्थियों को गर्म भोजन प्राप्त हो इसके लिए फुड वार्मर की व्यवस्था की गई तथा भोजन को कीट पंतगों के संक्रमण से बचाने के लिये Insect killer की व्यवस्था की गई ।

14.4.3 प्रशिक्षणार्थी व्यवस्थित तरीके से बैठकर भोजन ग्रहण कर सके इस हेतु डायनिंग हॉल का विस्तार किया गया।

14.4.4 श्रम एवं समय की बचत हेतु आटा गूंथने की मशीन की व्यवस्था की गई। दो रोटी मेकर मशीन की हाल ही में स्वीकृति प्राप्त हुई हैं जिसे मेस में स्थापित किया जावेगा जिससे मेस कार्य में उत्साहजनक परिर्वतन होगा।

14.4.5 भोजन हेतु प्रत्येक नव आरक्षक हेतु थाली (जिसमें सब्जी आदि के लिये खन बने हुए हैं) एवं ग्लास दिये गये हैं तथा इनकी सफाई की व्यवस्था की गई ।

14.4.6 पर्याप्त शुद्ध पेय जल व्यवस्था हेतु एक्वागार्ड/8 आरओ प्लांट लगवाये गये तथा गर्मी में ठण्डा जल मिले इसके लिये वाटर कूलर भी लगाये गये ।

14.4.7 प्रशिक्षणार्थियों की सहमति से उनकी रूचि एवं पौष्टिकता के आधार पर साप्ताहिक मीनू बनाया जाकर भोजन दिया जा रहा हैं ।

14.4.8 प्रतिमाह मेस समिति प्रशिक्षाणार्थियों में से चयन कर बनायी जाती हैं तथा समिति द्वारा ही भोजन का सप्ताहिक मीनू तैयार किया जाता है। उसी के अनुसार इन्हे भोजन दिया जाता हैं।

14.5 आवास व्यवस्था –

14.5.1 मच्छरों की समस्या से निपटने हेतु बैरेक में जालीदार दरवाजे, मास्किटो क्वाईल–लिक्विड आदि की व्यवस्था की गई हैं ।

14.5.2 कंपनी कार्यालय को व्यवस्थित करने हेतु फॉल्स सीलिंग लगाई गई ।

14.5.3 सभी कोर्स के अन्तर्गत कम्पनी वाईज स्वच्छता एवं अनुशासन समिति बनवाई गई हैं जिसकी प्रति सप्ताह पुलिस महानिरीक्षक महोदय व्दारा मीटिंग में समीक्षा की जाती हैं ।

14.5.4 आवास सफाई व्यवस्था एवं अनुशासन समिति बनाई गई हैं इसमें प्रशिक्षणार्थियों में से चयन कर सदस्य मनोनीत किये जाते है तथा प्रतिमाह इनको बदला जाता हैं ।

14.6 व्यक्तिगत विकास –

14.6.1 इनडोर एवं आउटडोर विषयों पर समूह चर्चा आयोजित करवाई गई ।
14.6.2 वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया ।
14.6.3 निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवयाया गया ।
14.6.4 अर्न्तर समनवय खेल–कूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया ।
14.6.5 कम्प्यूटर में रूचि लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों के अतिरिक्त क्लास लगाकर दक्ष बनाया गया ।
14.6.6 निशानेबाजी में रूचि रखने वाले प्रशिक्षाणार्थियों को सेम्युलेटर पर अतिरिक्त अभ्यास देकर दक्ष बनाया गया।
14.6.7 खेलों में विशेष योग्यता रखने वाले प्रशिक्षणार्थियों को अतिरिक्त अभ्यास व कोचिंग करवायी गई।
14.6.8 व्यक्तिगत विकास हेतु अतिथि व्याख्याताओं से प्रशिक्षण दिलाने के साथ ही अन्य संस्थानों में ले जाकर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया ।
14.6.9 बालीबाल, फुटबाल, हेड बाल, क्रिकेट आदि खेलों में रूचि रखने वाले प्रशिक्षणार्थियों का खेल खिलाये जाते हैं ।
14.6.10 कम्पनी वाईज प्रतियोगिताएँ करवाई जाती हैं ।

14.7 बजट प्रावधान लक्ष्य एवं व्यय–

वर्ष 2014–15 में रूपये 3,34,90,090/– बजट प्राप्त हुआ, जिसमें से रूपये 2,92,60,316/– खर्च हुआ। प्राप्त बजट का 87.37 प्रतिशत उपयोग किया गया हैं । वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन का पूर्ण उपयोग कर लिया जावेगा ।

14.8 राज्य योजनाएँ तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ–

अ– राज्य योजना के अन्तर्गत नवाचार में इस संस्था से निम्न प्रस्ताव प्रेषित किये गये :–

1–पुरानी कम्बाईड लेक्चर हॉल कोष्ठ के जीर्णोद्धार हेतु	20.00 लाख
2–पुराने सभा कक्ष का नवीनीकरण एवं उन्नयन हेतु	19.80 लाख
3–डेक्स्टॉप कम्प्यूटर सह उपकरण हेतु	20.00 लाख
4–फिल्ड क्राफ्ट एण्ड वेपन टेक्टिक्स व अन्य प्रशिक्षण हेतु उपकरण	19.94 लाख
5–जिम्नेशियम के उन्नयन हेतु उपकरण बाबत	25.36 लाख

12वी पंचवर्षीय योजना आयोजना मद में वर्ष 2013.14 के लिये निम्न स्वीकृतियॉ प्राप्त हुई है :–

1– इनडोर शूटिंग रेंज हेतु	35.00लाख
2– स्टेडियम कॉम्पलेक्स	80.00लाख

3– बेसिक एण्ड एडवॉस ऑब्स्टेकल कोर्स इक्यूपमेन्ट 45.00लाख
4– हास्पिटल 34.28 लाख

ब– केन्द्रीय प्रवर्तित योजना :– इस संस्था से संबंधित नहीं ।
स– विश्व बैक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएँः– निरंक ।
द– विदेशी सहायता से चलाई जाने वाली योजनाएँ :– निरंक
इ– अन्य योजनाएँः– जिला योजना समिति के अन्तर्गत पुलिस ट्रेनिंग होस्टल निर्माण, परेड ग्राउण्ड की ब्राउण्ड्री वाल निर्माण, फायरिंग रेंज का विस्तार इत्यादि के अन्तर्गत प्रस्ताव भेज कर मॉग की जा रही हैं।

14.9 सामान्य प्रशासनिक विषय

(जॉच समितियां, किये गये अध्ययन आदि)

इसके अन्तर्गत बुनियादी/इनसर्विस प्रशिक्षु, शासकीय सेवक, परिजन, हेतु आकस्मिक चिकित्सा सुविधा आवश्यक हैं :–

6.10.1. चिकित्सालय निर्माण की रू. 34.82 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई हैं । भवन निर्माण होना हैं ।

6.10.2. चिकित्सालय स्टॉफ की स्वीकृति हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक स्था/पी–75–ए/14 दिनांक 17.01.2014 व्दारा प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भेजा गया हैं ।

14.10 अभिनव योजना–

(विभाग व्दारा कोई अभिनव योजना शुरू की गई हो अथवा की जाने वाली हो तो उसका विवरण दर्शाये)

6.11.1 प्रशासनिक भवन के सामने नवीन खेल मैदान तैयार कराये गए जिसमें कब्बडी, बॉलीबाल, हेड बॉल एवं लॉग टेनिस कोर्ट सम्मिलित हैं ।
6.11.2 प्रशासनिक भवन के बाहरी क्षेत्र का रिनोवेशन ।

14.11 अभिनव योजना–

(विभाग व्दारा निकाले जा रहे प्रकाशन, यदि कोई हो, दर्शायें)

इस वित्तीय वर्ष में संस्था व्दारा संचालित प्रशिक्षण एवं कल्याणकारी गतिविधियों के संबंध में वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किये जाने बाबत निर्णिय लिया गया ।

14.12 सारांश–

उपसंहार

इस संस्था में विसबल एवं जिला बल के अधिकारियों एवं जवानों हेतु मैप–रीडिंग, जंगल वारफेअर, फील्ड क्राफ्ट के साथ–साथ आधुनिक हथियारों का प्रशिक्षण, योग्य प्रशिक्षकों व्दारा दिया जाता हैं। संस्था के प्रशिक्षक देश में ख्याति प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों व्दारा प्रशिक्षित हैं । विषयों की

सुगम एवं उत्साहवर्धक जानकारी देने हेतु नवीन माध्यमों (उपकरणों) का प्रयोग किया जाता हैं । नवीनतम घटनाओं को भी कोर्स में समाहित किया जाता हैं । इस प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाकर उल्लेखनीय सफलतायें प्राप्त की गई हैं ।

15 दूर–संचार संगठन म.प्र.भोपाल–

15.1 विभागीय संरचनाः– मध्य प्रदेश दूरसंचार शाखा की संरचना निम्नानुसार है :–

पुलिस मुख्यालय के अर्न्तगत भोपाल में दूरसंचार शाखा के प्रमुख अति.पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी है। इनके सहायतार्थ पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो) भोपाल में कार्यरत है। वर्तमान में राज्य मुख्यालय स्तर पर निम्नानुसार अधिकारी पदस्थ है :–

1.	अति.पुलिस महानिदेशक (दूसं)	श्री अन्वेष मगंलम्	11/03/2013 से
2.	पुलिस महानिरीक्षक (दूसं)	श्री पी.के माथुर	18/03/2014 से
3	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रेडियो)	श्री आर. ए. चौबे	22/10/2014 से 06/01/2016 तक

पुलिस दूरसंचार संगठन में पुलिस रेडियो प्रशिक्षण शाला इंदौर एवं 6 रेडियो जोन है। पुलिस रेडियो प्रशिक्षण शाला इंदौर में पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक एवं रेडियो जोनो में पुलिस अधीक्षक पदस्थ हैं । रेंज स्तर पर पुलिस उप अधीक्षक (रेडियो) तथा जिलों में निरीक्षक (रेडियो) व उप निरीक्षक (रेडियो) प्रभारी के रूप में पदस्थ है ।

अधीनस्थ कार्यालय :–

इकाई स्तर पर तैनात अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है :–

1	पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक(दू.सं) पु.रे.ट्रे. स्कूल इंदौर	श्री वरूण कपूर	09/05/11
2	पुलिस अधीक्षक (रे). पु.रे.ट्रे. स्कूल इंदौर	श्री सुदीप गोयनका	24/07/14
3	पुलिस अधीक्षक (रे). जोन भोपाल	श्रीमती मोनिका शुक्ला	11/06/1 से 27/12/15 तक
4	सहायक पुलिस महानिरीक्षक	श्रीमति प्रांजलि शुक्ला	14/08/14
5	पुलिस अधीक्षक डॉयल–100	श्री अमित सक्सेना	14/07/2015
4	पुलिस अधीक्षक (रे) जोन इंदौर	1. श्री रूपेश द्विवेदी 2. श्री सुदीप गोयनका	28/05/13 से 01/07/15 तक 10/07/15
5	पुलिस अधीक्षक (रे) जोन ग्वालियर	रिक्त	–
6	पुलिस अधीक्षक (रे) जोन जबलपुर	श्री जितेन्द्र पटेल	24/07/14
7	पुलिस अधीक्षक (रे) जोन उज्जैन	श्री सुनील राजौरे	02/08/14

8	पुलिस अधीक्षक (रे) जोन रीवा	श्रीमति सुष्मा अग्रवाल	23/07/14
9	पुलिस अधीक्षक (रे) राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रुम	श्री अंकित शुक्ला	09/08/14
10	पुलिस अधीक्षक (रे) राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रुम	श्रीमति नीतू ठाकुर	22/07/14

15.2 विभाग का दायित्व :–

शाखा का प्रमुख दायित्व राज्य पुलिस को 24 घण्टे निर्वाध संचार संपर्क उपलब्ध कराना है। इसके अलावा विभाग संकट ग्रस्त व्यक्तियों पुलिस सहायता प्रदान करने के लिये डायल–100 योजना, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीव्ही कैमरों की स्थापना, थानों में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए सीसीटीव्ही स्थापना का कार्य भी कर रहा है ।

15.3 विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी :–

म.प्र.पुलिस दूरसंचार शाखा का मुख्य कार्य निम्नानुसार है :–

I- प्रदेश की पुलिस इकाइयों के बीच संचार व्यवस्था कायम रखना, इस हेतु आवश्यक उपकरण जैसे व्ही.एच.एफ, एच.एफ बैण्ड के वायरलेस सेट तथा सह उपकरणों का क्रय, वितरण संचालन एवं संधारण सुनिश्चित करना।

II- प्रदेश के सभी जिलों में ई–मेल नेटवर्क से जोडा जाना।

III- पुलिस दूरसंचार से संबंधित विभिन्न विषयों पर राज्य शासन की ओर से केन्द्र शासन एवं अन्य राज्य सरकारों से समन्वय करना ।

IV- उपग्रह पर आधारित संचार संबंधी भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा पोलनेट योजना अंतर्गत स्थापित व्हीसेट के माध्यम से संचार करना ।

V- बडें शहरों में संचार व्यवस्था के लिये रेडियो ट्रंकिग सिस्टम का संचालन ।

VI- समस्त पुलिस कन्ट्रोलरुम का आधुनिकीकरण कर राज्य स्तरीय डायल –100 आधारित कन्ट्रोलरुम की स्थापना करना तथा स्थापना उपरांत संचालन करना।

VII- प्रदेश के 61 शहरो मे 2000 सार्वजनिक स्थानो /चौराहो पर सी.सी.टी. व्ही की स्थापना करना तथा स्थापना उपरांत संचालन एंव संधारण करना।

VIII- प्रदेश पुलिस की मोबाईल सी.यू जी सेवा का समन्वय एंव संचालन कराना।

IX- रेल पुलिस के लिये रेडियो ओवर इन्टरनेट प्रोटोकाल आधारित संचार प्रणाली स्थापित एंव संचालित करना।

X- अनमेंड एरियल व्हीकल (यूएव्ही) का संचालन।

XI- वायोमेट्रिक आधारित उपस्थित अंकन व्यवस्था की स्थापना एवं संचालन ।

XII- संदशों की गोपनीयता बनाये रखने के लिए जिला स्तर तक क्रिप्टोसेन्टर की स्थापना एवं संचालन ।

15.4 सामान्य एवं प्रमुख विशेषताऐं :–

15.4.1 विद्यमान संचार व्यवस्था :–

I- प्रदेश में कुल एच.एफ. सेट 180 नग, व्ही.एच.एफ. स्टेटिक/मोबाइल सेट 11009 नग, हेण्डहेल्ड सेट 17131 नग, ट्रंकिग स्टेटिक/मोबाइल सेट 930 नग, हेण्डहेल्ड सेट 3931 नग कार्यरत है जिनके द्वारा राज्य मुख्यालय भोपाल से संम्भागीय मुख्यालयों, संम्भागीय मुख्यालय से जिला मुख्यालयों एवं जिला मुख्यालयों से समस्त थानों एवं चौकियों पर संचार व्यवस्था उपलब्ध कराई गयी है।

II- नक्सल प्रभावित जिलों के सीमावर्ती राज्य के थाना/चौकियों से संचार सपंर्क स्थापित है। इसके अतिरिक्त एच.एफ. हॉटलिंक एसएसआर भोपाल में स्थापित कर प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलें – मण्डला, बालाघाट, डिंडौरी, सीधी, शहडोल, उमरिया, अनूपपूर, सिगरौली एवं जबलपुर को सीधे संचार सम्पर्क से जोडा गया है।

III- हॉकफोर्स मुख्यालय भोपाल से नक्सली क्षेत्रो में पदस्थ हॉकफोर्स यूनिट के मध्य एच.एफ. संचार व्यवस्था स्थापित है।

IV- राज्य के समस्त जिलों में ई–मेल संचार व्यवस्था स्थापित है, जिसके माध्यम से संदेशों का आदान–प्रदान किया जा रहा है।

V- प्रदेश के 38 जिलों में उपग्रह पर आधारित व्ही.सेट संचार डी.सी.पी.डब्ल्यू भारत सरकार के माध्यम से पोलनेट योजना अतंर्गत उपलब्ध कराई गयी है। जिसके माध्यम से संदेशो का आदान प्रदान होता है।

VI- जिला इन्दौर, उज्जैन, भोपाल एवं जबलपुर में रेडियो ट्रंकिग सिस्टम स्थापित है। जिसके माध्यम से आरटी– संचार व्यवस्था उपलब्ध है।

VII- पुलिस विभाग में संचालित समस्त संचार नेटों – व्हीएचएफ, एचएफ, पोलनेट एवं ई–मेल एकीकृत कर एक ही टार्मिनल पर लाने हेतु 57 नग इंट्रीग्रेटेड डाटा सिस्टम जिला स्तर तक स्थापित कराये गये है। इस सुविधा से त्वरित एवं विश्वसनीय संचार उपलब्ध है।

VIII- थानों/चौकियों एवं जिलों में स्थित सभी आईडीटी सिस्टम के संचार उपकरण के संचालन हेतु पर्याप्त बिजली न मिलने की समस्या के निवारण हेतु सौर ऊर्जा आधारित 2201 सोलर पेनल (40/100 वॉट) उपकरण स्थापित है।

IX- प्रदेश की समस्त 21 वि.स.बल वाहिनियों को संचार सुविधा से युक्त किया गया है।

X- शासकीय रेल पुलिस को भी आवश्यकता अनुसार स्टेटिक एवं हेण्डहेल्ड सेट प्रदाय कर संचार व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

XI- मध्यप्रदेश शासकीय रेल पुलिस के थानों/चौकियों को सीधे राज्य मुख्यालय भोपाल से व्ही. एच.एफ. संचार पर जोड़ने हेतु 40 थानों/चौकियों में आर.ओ.आई.पी. सिस्टम स्थापित कराए गए है । जिसके द्वारा राज्य मुख्यालय भोपाल से दूरस्थ जीआरपी थाना/चौकियों से व्ही.एच.एफ. पर रेडियो टेलीफोनिक वार्तालाप संभव हो सकी है ।

XII- पुलिस विभाग में गोपनीय संदेशों के आदान–प्रदान हेतु संचालित 09 सायफर क्रिप्टोसेंटर को बढ़ाकर समस्त 51 जिलों में क्रिप्टोसेंटर स्थापित किये गये है।

15.5 वित्तीय वर्ष 2015–16 आयोजना प्लान मद में 31/12/2015 की स्थिति में बजट आवंटन व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :–

15.5.1 योजना – 7346 केन्द्रीयकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियत्रण कक्ष तंत्र त्रैमासवार आवंटन/व्यय–

मद	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास	योग	दिनांक 31/12/2015 की स्थिति में व्यय
51–अन्य प्रभार	–	45510000=00 समर्पित 2000000=00– शेष आवंटन – 453100000=00	240000000=00 समर्पित – 200000=00 शेष आवंटन 239800000=00	235812000=00	928712000=00	10591812=00
63–मशीनें,002 उपकरण	17600000=00	283275000=00	00=00	00=00	300875000=00	23871991=00
64–001–वृहद निर्माण कार्य	23000000=00	00=00	00=00	00=00	23000000=00	23000000=00
कुल योग	**40600000=00**	**736375000=00**	**239800000=00**	**235812000=00**	**1252587000=00**	**57463803=00**

15.5.2 योजना–5555 बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा त्रैमासवार आवंटन/व्यय

मद	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास	योग	दिनांक 31/12/2015 की स्थिति में व्यय
51–अन्य प्रभार	156000000=00	00=00	114000000=00	270000000=00	540000000=00	227000000=00
63–मशीनें,002 उपकरण	00=00	00=00	343095000=00	450000000=00	793095000=00	00=00
कुल योग	**156000000=00**	**00=00**	**457095000=00**	**720000000=00**	**1333095000=00**	**227000000=00**

15.5.3 योजना–7448 महानगरीय पुलिस सुरक्षा व्यवस्था एवं राजमार्ग सुरक्षा का त्रैमासवार आवंटन/व्यय–

मद	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास	योग	दिनांक 31/12/2015 की स्थिति में व्यय
51–अन्य प्रभार	00=00	00=00	250000000=00	00=00	250000000=00	00=00
कुल योग	**00=00**	**00=00**	**250000000=00**	**00=00**	**250000000=00**	**00=00**

15.5.4 योजना – 7400–सिंहस्थ मेले की व्यवस्था का त्रैमासवार आवंटन/व्यय –

मद	प्रथम त्रैमास	द्वितीय त्रैमास	तृतीय त्रैमास	चतुर्थ त्रैमास	योग	दिनांक 31/12/2015 की स्थिति में व्यय
42–010	00=00	00=00	00=00	8900000=00	8900000=00	00=00
63–मशीनें,002 उपकरण	00=00	00=00	00=00	2500000=00	2500000=00	00=00
63–मशीनें,002 उपकरण	00=00	00=00	00=00	97500000=00	97500000=00	00=00
24	00=00	00=00	00=00	2500000=00	2500000=00	00=00
63–002	00=00	00=00	00=00	229400000=00	229400000=00	00=00
कुल योग	**40600000=00**	**736375000=00**	**239800000=00**	**235812000=00**	**1252587000=00**	**57463803=00**

Proposed Projects

S.No.	Theme	Proposed Item	Letter No.	Proposed Amount	Remark
•	Theme-B 8 – Police Patrolling Vehicle	Light / Medium Vehicle (Police Commn. vehicle with workshop)	पुदूसंसं/ योजना/ राज्य आयोजना/14 /2015 दिनांक 12/02/2015	Rs. 9.98 crores	संशोधित प्रस्ताव प्रेषित
•	Theme E- Police ICT	HF Digital Sets & Satellite Based Communication System	नस्ती कमांक अमनि/निस/आर–1393/15 दिनांक 13/7/2015	Rs. 9.99 crores	संशोधित प्रस्ताव प्रेषित
•	48-Police Reforms Enterprises Resource Planning & Vision-2018	Police ERP	पुदूसंसं/योजना/ईआरपी/वि.का.यो./ 56–ए/2015 दिनांक 05/08/2015	Rs. 355.54 Crores	
•	FRV Force	Force for Dial- 100	पुदूसंसं/योजना/बल/डायल–100 थ्स्ट/59/15 दिनांक 19/08/2015		संशोधित प्रस्ताव प्रेषित

15.6 किये जाने वाले प्रमुख कार्य–

- वर्तमान में योजना शाखा के द्वारा संलग्न परिशिष्ठ 'ए' अनुसार नवीन/संशोधित प्रस्ताव/विस्तृत कार्य योजना प्रेषित किये गये हैं जिन पर स्वीकृति प्राप्त की जावेगी।
- वर्ष 2015–16 के दौरान पुलिस मुख्यालय द्वारा पुर्वानुसार चाहे जाने पर पुलिस बल आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत आवश्यकता/मांग अनुरूप निर्दिष्ट /आवश्यक संसाधनों के प्रस्ताव प्रेषित किये जावेगे।
- योजना आयोग द्वारा निर्धारित थीमों के अन्तर्गत अथवा नवीन थीम निर्धारण होने पर शाखा की मांग/आवश्यकता पूर्ति हेतु निर्दिष्ट आवश्यकता अनुरूप नवीन प्रस्ताव /विस्तृत कार्य योजना तैयार की जावेगी।

- नवीन स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन/संधारण/संचालन हेतु बल प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे।

- वर्ष के दौरान अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा/लोकसभा चुनावों के दौरान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर मांग /उपलब्ध अनुरूप बल एवं उपकरणों की व्यवस्था करवाई जावेगी।

- शाखा के निर्धारित अन्य दैन्नदिनी कार्यो को समयसीमा में निष्पादित किया जावेगा।

15.7 <u>प्रमुख उपलब्धियां–</u>

- प्रदेश के समस्त आमजनों को त्वरित पुलिस सहायता प्रदान किये जाने के उद्देश्य से डायल–100 आधारित त्वरित पुलिस कार्यवाही के लिये राज्य स्तरीय पुलिस कन्ट्रोल रुम की स्थापना की गई है। परियोजना का शुभारंभ 1 नवम्बर 2015 को किया गया एवं दिनांक 23/01/2016 से समस्त जिलों में प्रभावी है।
- प्रदेश के बडे/मध्यम शहरों की आंतरिक सुरक्षा हेतु सीसीटीवी आधारित सिटी सर्विलेन्स सिस्टम स्थापना हेतु प्रथम चरण में उज्जैन सहित 11 शहरो के 832 स्थानो पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने हेतु दिनांक 1/12/2015 को क्रयादेश जारी किया गया।
- उज्जैन सिंहस्थ 2016 के दौरान पुलिस संचार व्यवस्था हेतु नवीन रेडियो ट्रकिंग सिस्टम की स्थापना का कार्यादेश जारी किया गया है ।
- आकाशीय निगरानी हेतु यूएवी का क्रय संबंधी कार्यवाही की गई है।
- प्रदेश के पुलिस अधि. एवं कर्मचारियों को सतत् संपर्क में बनाये रखने एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा संचार का अतिरिक्त वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध करवाने हेतु सीयूजी सुविधा युक्त सिमें उपलब्ध करवाई गई हैं।
- सिंहस्थ–2016 के दौरान तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु 450 नग बायोमैट्रिक अटैण्डन्स सिस्टम का क्रय किया गया है।
- प्रदेश में नये 42 क्रिप्टोसेंटर की स्थापना की गई।
- प्रदेश की संचार व्यवस्था को मौसम की विपरीत परिस्थितियों में सुनिश्चित किये जाने हेतु एचएफ डिजीटल सेटों का क्रय किया गया है ।

15.9 पुलिस दूरसंचार संगठन मध्प्रदेश
स्वीकृत उपलब्ध एवं रिक्त पदों की जानकारी

स.क्र.	पदनाम	कुल योग			
		स्वीकृत	उपलब्ध	रिक्त	संख्याधिक
1	अति0 पुलिस महानिदेशक (दूसं)	1	1		
2	पुलिस महानिरीक्षक (दूसं)	1	1		

3	निदेशक (दूसं)	1	1		
4	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (रे)	1	0		
5	पुलिस अधीक्षक (रे)	10	8	2	
6	उप पुलिस अधीक्षक (रे)	30	28	2	
7	निरी (रे) तक.	93	77	16	
8	निरी (रे) आप.	16	4	12	
9	निरी (रे) साय.	4	2	2	
10	उप निरी (रे) तक.	201	165	36	
11	उप निरी (रे) आप.	68	65	3	
12	उप निरी (रे) साय.	12	9	3	
13	उप निरी. (एमटी)	1	1	0	
14	सहा. उप निरी (रे) तक.	284	231	53	
15	सहा. उप निरी (रे) आप.	143	143	0	
16	सहा. उप निरी (रे) साय.	34	3	31	
17	सहा. उप निरी (एमटी)	2	5	0	3
18	प्रआर (रे) तक.	468	148	320	
19	प्रआर (रे) आप.	579	568	11	
20	प्रआर (एम.टी.)	15	13	2	
21	प्रआर (डीआर)	11	8	3	
22	प्रआर (जीडी)	12	12	0	
23	प्रआर (टीएम)	18	17	01	
24	आर (रे)	880	715	165	
25	आर (एमटी)	22	11	11	
26	आर (डीआर)	13	5	8	
27	आर (जीडी)	62	56	6	
28	आर (टीएम)	73	62	11	
29	बाल आरक्षक	18	12	6	

	कुल योग	**3072**	**2371**	**704**	**03**
कुल रिक्त पद		**3072**	**2371**	**701**	**0**

पदोन्नति :– 1. माह जनवरी से दिसम्बर 2015 तक कुल 392 विभिन्न रैंक के पुलिसजनों को पदोन्नति प्रदान की गई है।

प्रशिक्षणः– वर्ष 2015 में नव आरक्षक(रेडियो) से उप पुलिस अधीक्षक(रेडियो) स्तर तक के अधिकारी/कर्मचारियों को बुनियादी फिजीकल/आधारभूत प्रशिक्षण, सेकण्ड ग्रेडेशन कोर्स, प्रथम ग्रेड कोर्स, सभी पी.पी. कोर्स, डायल–100 कोर्स एवं अन्य विभागीय तकनीकी विशेषज्ञता कोर्स हेतु विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों जैसे– पी.आर.टी.एस. इन्दौर, आर.ए.पी.टी.सी. इन्दौर,, सी.पी.आर.टी.आई. नई दिल्ली, 3–आर.एम.सी.लखनऊ एंव सिहंस्थ 2016 हेतु विभिन्न रैंक के कुल 2129 पुलिसजनों को प्रशिक्षण सम्पादित कराया गया है। रेडियो मुख्यालय में आरक्षक से अति. पुलिस अधीक्षक तक कुल 1266 जिला बल अधि./कर्म. को डायल–100 संबंधी प्रशिक्षण दिया गया ।

पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इन्दौर में :–

वर्ष 2015 में विभिन्न विभागीय कोर्सो के द्वारा आरक्षक से निरीक्षक तक कुल 617 तथा जिला बल के कुल 4440 शासकीय सेवकों को प्रशिक्षण दिया गया।

16 शिकायत–

16.1 पुलिस अभिरक्षा में वर्ष 2015 में हुई मृत्यु की जानकारीः–

वर्ष	संख्या
2015	05

16.2 सी0एम0हेल्पलाईन की दिनांक 01.01.15 से 31.12.15 तक की स्थिति में जानकारी :–

दिनांक 01.01.15 से 31.12.15 कुल प्राप्त हुई शिकायतें	दिनांक 01.01.15 से 31.12.15 निराकृत शिकायतें	दिनांक 01.01.15 से 31.12.15 में लंबित शिकायतें
62139	60971	1168

16.3 जन शिकायत निवारण–

विभाग	पंजीकत	निर्णित	शेष
328–पुलिस महानिरीक्षक	54	0	54

01/01/2015 से 31/12/2015/ तक की स्थिति में

क्रमांक	कुल प्राप्त शिकायतें	पेडिंग	निराकृत
1	**15911**	**5624**	**10287**

17. अग्निशमन सेवा –

वर्तमान में पुलिस अग्निशमन सेवा म0प्र0 के अन्तर्गत 06 स्थाई एवं 01 अस्थाई पुलिस फायर स्टेशन कार्यरत है, जिनमें से इन्दौर शहर में 03 स्थाई एवं 01 अस्थाई फायर स्टेशन तथा मंत्रालय भोपाल, व औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर एवं मालनपुर में 01–01 फायर स्टेशन कार्यरत है जिसके कार्य संचालन हेतु कुल 267 का बल स्वीकृत है तथा फायर स्टेशनों के सुचारू रूप से संचालन हेतु 90 विभिन्न प्रकार के फायर वाहन पुलिस फायर ब्रिगेड इन्दौर पर कुल 48 तथा पुलिस फायर स्टेशन भोपाल पर –15, व पुलिस फायर स्टेशन पीथमपुर पर –15 एवं पुलिस फायर स्टेशन मालनपुर पर 12, फायर वाहन उपलब्ध होकर कार्यरत है।

17.1 विभाग की उपलब्धियॉ :–

विगत वर्ष 2015 के दौरान पुलिस अग्निशमन सेवाएँ म0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत फायर स्टेशन – इन्दौर, भोपाल, पीथमपुर, एवं मालनपुर पर कुल 461 फायर /रेश्क्यू काल प्राप्त हुए, जिसमें अग्निशमन दल के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा पूर्ण दक्षता से कार्य करते हुए 07 इन्सानों एवं 07 जानवरों को भी बचाया गया, तथा गंभीर अग्निदुर्घटनाओं को नियंत्रित किया गया।

विभागीय पदोन्नतियॉ :–

- पुलिस अग्निशमन सेवा म0प्र0 में वर्ष 2015 में कोई पदोन्नति नहीं होने से जानकारी निरंक है।

  विभागीय नियुक्तियॉ :–
- पुलिस अग्निशमन सेवा म0प्र0 में वर्ष 2015 में कोई नियुक्तियॉ नहीं होने से जानकारी निरंक है।

  विभागीय जॉच :–
- विभागीय जॉच से संबंधित जानकारी संलग्न प्रेषित है ।

  न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन जानकारी :–

  न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन जानकारी संलग्न प्रेषित है ।

विभाग को वर्ष 2015–16 में नियमित बजठ के अतिरिक्त कुल राशि 5064000 रू0 का आवंटन फायर एवं रेश्क्यू सामग्री के क्रय हेतु प्राप्त हुआ था, अतः टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से क्रय की कार्यवाही सम्पादित कि जा रही हैं।

<u>नवाचारों एवं भावी कार्ययोजना</u> :–

- विभिन्न प्रकार की अग्नि को नियंत्रित करने हेतु प्रत्येक फायर मेन को फायर प्रोक्सिमिटी सूट एवं ब्रीथिंग एपेरक्स सेट (बी.ए. सेट) आवश्यक रूप से प्रदाये किये जाना चाहिये।
- वर्तमान में उपलब्ध फायर वाहन काफी पुराने हैं, वर्ष 2005 में 13 फायर वाहन तथा 16 छोटे वाहन क्रय किये जाने के पश्चात कोई वाहन क्रय नहीं किये गये हैं। अतः नये फायर वाहन क्रय किये जाना चाहिये।
- इन्दौर शहर हाईराईज भवनो में आग नियंत्रण हेतु हाईड्रोलिक प्लेटफार्म की नितांत आवश्यकता हैं। इससे उपलब्ध कराया जाना चाहियें।

17.2 दीवानी मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों की जानकारी– 19 न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित है।

17.4 अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के विरूद्व लम्बित विभागीय जांच नक्शा माह दिसम्बर 2015– 3 विभागीय जॉच प्रचलित है।

<u>18. को–ऑपरेटिव फ्राड, लोक सेवा गारंटी एवं सूचना के अधिकार</u>–

इस शाखा के अन्तर्गत विभिन्न सहकारी संस्थाओं गृह निर्माण समितियों सहकारी बैंकों एवं सहकारिता अधिनियम के तहत गठित सभी प्रकार की सहकारी संस्थाओं से संबंधित शिकायतों की जॉच संबंधी कार्यवाही कराई जा रही है। जिलों में ऐसे लंबित दर्ज आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु समय समय पर समीक्षा उपरान्त आवश्यक दिशा निर्देश दिये जा रहे है ताकि समय सीमा में ऐसे प्रकरणों में सक्षमता के साथ प्रभावी कार्यवाही हो सके। संपूर्ण मध्यप्रदेश में सहकारी समितियों में होने वाले गबन एवं धोखाधडी के प्रकरणों में भी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की गई है ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश स्थापित हो सकें और माननीय न्यायालयों में अभीयोंजन के पक्ष मजबूत होकर ऐसे आरोपियों को न्यायालय सें दंण्डित कराया जा सकें।

सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पुलिस विभाग से संबंधित प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण संबंधित पुलिस अधिकारियों को भेजकर कराया जा रहा है।

म0प्र0 के सभी पुलिस प्रशिक्षण शालाओं ,महाविधालयों में लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारियों के साथ सभी शासकीय पुलिस अधिकारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम सम्बन्धी प्रशिक्षण दिये जाने हेतु प्रशिक्षण शाखा को चरणबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जाने हेतु लेख किया गया है ,ताकि म0प्र0 के सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचना के अधिकार अधिनियम सम्बन्धी विस्तृत जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके ।

म0प्र0 लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों से पुलिस इकाईयों को अवगत कराया जाकर कार्यवाही की जाती है ,जिसमें मृतक

के परिवार के सदस्यों के आवेदन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति का प्रदाय किया जाना एवं स्टेशन हाउस आफीसर व्दारा फरियादी को एफ0आई0आर0 की प्रति न देने पर वरिष्ठ स्तर से एफ0आई0आर0 की प्रति प्रदाय की जाना सम्मीलित है ।

सभी अधिकारियों को लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत आम जनता से सीधे आवेदन ऑन–लाईन प्राप्त किये जाने और कार्यवाही की जाकर आवेदनकर्ताओं को ऑन लाईन सेवायें उपलब्ध कराने हेतु पदाभिहित अधिकारी ,प्रथम अपील अधिकारी एवं व्दितीय अपील अधिकारियों को कम्प्यूटर ,लेपटॉप ,इन्टरनेट और अन्य सहउपकरण एस0सी0आर0बी0शाखा व्दारा उपलब्ध कराये गये हैं। प्रत्येक जिले में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत समय सीमा में कार्य सम्पादन किया जाना सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है ।

9. मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल

राज्य शासन के आदेश दिनांक 4.10.2013 द्वारा प्रदेश में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन हेतु प्रथम चरण में 1986 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसमें दो वाहिनी क्रमशः रीवा एवं सिंगरौली तथा भोपाल में राज्य मुख्यालय स्थापित होना है । इस तारतम्य में अभी तक निम्नानुसार कार्यवाही की गई हैः–

(19.1) वाहिनी मुख्यालय स्थापित किये जाने हेतु रीवा शहर के समीप ग्राम भटलो में तथा सिंगरौली में ग्राम कनई में भूमि का आवंटन संबंधित जिलों के कलेक्टर द्वारा किया जा चुका है। वाहिनियों की अधोसंरचना विकसित किये जाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है ।

(19.2) वित्तीय वर्ष 2015–16 में मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के वृहद निर्माण कार्य शीर्ष में रूपये 30.17 करोड़ तथा 70.00 करोड़ वेतन भत्तों व अन्य व्यय हेतु बजट आवंटित किया गया है।

(19.3) बल के कानून व्यवस्थापन हेतु मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 2014 तैयार किया गया है जो दिनांक 14.09.2015 को राजपत्र में प्रकाशित हो कर अस्तित्व में आ गया है।

(19.4) संस्थान जिनके द्वारा सुरक्षा ली जावेगी उनके साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित करना होगा। उक्त हेतु एम0ओ0यू0 के प्रारूप का शासन से अनुमोदन कराने हुेत प्रस्ताव सचिव गृह की ओर भेजा गया है जहां विचाराधीन है ।

(19.5) विशेष सशस्त्र बल से 446 कर्मचारियों का बल प्रतिनियुक्ति पर लिया जाकर विभिन्न संस्थानों में तैनात किया गया है ।

प्रथम चरण का क्रियान्वयन हो जाने के बाद द्वितीय चरण में एक वाहिनी एवं तृतीय चरण में भी एक वाहिनी का गठन का प्रस्ताव है । इस प्रकार प्रदेश में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल की चार वाहिनियों का गठन होना है ।

20. यातायात संचालनालयः–

20.1 प्रशिक्षण :– पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पुलिस मुख्यालय,भोपाल द्वारा यातायात के संबंध में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेसिक प्रशिक्षण के साथ–साथ रिफरेशर कोर्स चलाये जाते है। वर्ष 2015में कुल **32** कोर्स संचालित किये जाकर **978** प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है ।

20.2 सडक सुरक्षा एवं यातायात प्रबंध :–राज्य शासन द्वारा वर्ष 1995 से स्थापित सडक सुरक्षा कोष मद के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में11 करोड़ 37 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ हैं जिससे प्रदेश के यातायात सुधार एवं विकास के लिये मूलभूत ढ़ाचा स्थापित करने में व्यय किया जा रहा है ।

20.3 समन शुल्क :–प्रदेश के यातायात पुलिस द्वारा सुगम परिवहन व्यवस्था बनाने में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है तथा यातायात नियमों के उल्लधंन करने पर शासन द्वारा निर्धारित दण्ड़ात्मक कार्यवाही स्वरूप वर्ष 2014–15 में कुल 25 करोड़, 30 लाख, 23 हजार, 773 रूपये वसूल किया गया है ।

20.4 नवीन कार्य योजना :–

अ– प्रदेश में बढते हुए यातायात के दबाब एवं सडक दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के साथ अत्याधुनिक यातायात संसाधनों की स्थापना हेतु 05 बडे शहरों भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, में विकसित करने हेतु 190 करोड रूपये की कार्य योजना शासन को भेजी गई जिसकी सैद्धांतिक सहमति के साथ प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हैं एवं संसाधन के विकास हेतु योजना क्र0 7186– बडे शहरों में यातायात प्रबंधन के अंतर्गत वर्ष–2015–16 में चरणवार 1,37,67,99,000/– रूपये आवंटित किये गये हैं। आवंटित राशि से निम्नानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं :–

I- 63–002– मशीन उपकरण मद के अंतर्गत त्रैमासवार अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक कुल आवंटन राशि रू0 82,88,00,000/– से जिससे जिला इंदौर एवं पीटीआरआई पुमु भोपाल द्वारा इन्टेलीजेंट ट्रॉफिक मेनेजमेंट सिस्टम के लिए ए0एन0पी0आर0 कैमरा/आर0एल0व्ही0डी0 कैमरा एवं हेन्ड हेल्ड डिवाईस (PDA), इत्यादि के क्रय हेतु निविदा प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई है। निविदा के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यह उपकरण क्रमशः जिला भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर एवं ग्वालियर जिलों के प्रमुख चिन्हिंत स्थानों पर इन कैमरों को लगाया जाना प्रस्तावित है ।

II- 23–001–नवीन वाहनों के क्रय मद में रू0 10.80 करोड की राशि पीटीआरआई पुमु एवं 5 जिलो को चतुर्थ त्रैमास में आवंटित हुई है । आवंटित राशि से जिला इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन एवं ग्वालियर के लिए क्रमशः 25–Traffic enforcement interceptor vehicles, 200-Traffic enforcement bike, 8- Medium Vehicle for equipment movement, 7- Troup movement Vehicle (Mini Bus) and 10- Crane- वाहनों के क्रय का प्रस्ताव प्रबंध शाखा पुमु भोपाल को इस कार्यालय के पत्र दि0 20.1.16 के द्वारा भेजा गया है।

III- 51–अन्य प्रभार मद में चतुर्थ त्रैमास में रू0 23,99,99,000/–की राशि पीटीआरआई पुमु एवं 5 जिलो का आवंटित हुई है । इस राशि से उपकरण एवं रेडियों उपकरणों के क्रय की कार्यवाही की जा रही है।

IV- 64–001, वृहद् निर्माण कार्य. हेतु द्वितीय त्रैमास में राशि रू0 20,00,00,000/– आवंटित हुई थी यह राशि म0प्र0पुलिस हाउसिंग कार0 भोपाल को आवंटित की गई है । इस राशि से जिला–भोपाल,

इंदौर, जबलपुर व ग्वालियर में (Traffic Management & Database Center (with warehouse)भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है।

ब– इसी तरह प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राजमार्ग में घटित होने वाली सडक दुर्घटनाओं लूट, राहजनी, में तत्काल राहत पहुंचाने एवं यात्रियों को सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2013–14 में 17, वर्ष 2014–15 में 17, वर्ष 2015–16 में 23, वर्ष 2016–17 में 23 इस प्रकार कुल 80 हाईवे सुरक्षा एवं संरक्षा केन्द्रों की स्थापना हेतु 49 करोड रूपये की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर शासन को प्रेषित की गई थी, जिसकी शासन द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई है । शासन द्वारा योजना क0 7344–राजमार्ग सुरक्षा एवं सरंक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष–2015–16 के लिए रूपये 14,16,93,000/– राशि आवंटित की गई है। आवंटित राशि से निम्नानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है :–

I- 22–003–कार्यालय फर्नीचर मद में चतुर्थ त्रैमास में आवंटित रू0 37,95,000/–से 23 हाईवे चौकियो के लिए कार्यालय उपकरण एवं फर्नीचर क्रय का प्रस्ताव प्रबंध शाखा पुमु भोपाल को भेजा गया है ।

II- 22–013 कार्यालय उपकरण मद में चतुर्थ त्रैमास में आवंटित रू0 85,69,000/– वर्ष 2015–16 में 23 हाईवे सुरक्षा चौकियों के लिए कम्प्यूटर मय प्रिंटर क्रय करने एवं शेष बची राशि से वित्तीय वर्ष 2013–14 में प्रस्तावित 17 हाईवे सुरक्षा चौकियों इस प्रकार कुल 40 चौकियों के लिए कम्प्यूटर मय प्रिंटर एवं 122 ब्रीथ एनालाईजर के क्रय का प्रस्ताव प्रबंध शाखा पुमु भोपाल को भेजा गया है ।

III- 23–001–नवीन वाहनों का क्रय मद में चतुर्थ त्रैमास में आवंटित रू0 6,07,20,000/–से नवीन वाहनों के क्रय का प्रस्ताव प्रबंध शाखा को भेजा गया है । जिसमें महिन्द्रा बोलेरो एवं हीरो हंक मोटर साईकिलो का क्रय किया जाना प्रस्तावित है ।

IV- 64–001,वृहद् निर्माण कार्य मद में द्वितीय त्रैमास में आवंटित रू0 6,86,09,000/–मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन भोपाल को आवंटित की गई है । इस आवंटित राशि से 23 हाईवे सुरक्षा चौकी के भवन निर्माण का कार्य पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है ।त6

पुलिस थाने एवं पुलिस चौकियों की स्थापना हेतु मापदण्ड–

नगरीय/अर्ध शहरी थाने, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये नवीन थाने एवं पुलिस चौकी की स्थापना हेतु मापदण्ड निम्नानुसार है –

मध्य प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

आदेश

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2010

कमाक-एफ-2(क)/39/2010/बी-3/दो : राज्य शासन व्दारा इस विभाग के पत्र कमांक 44/4428/94/बी-3/2 दिनाक11.1.1995 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 30 अगस्त,2010 को निरस्त करते हुए नगरीय/अर्ध-शहरी थाने, नगर पंचायत एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये नवीन पुलिस थानों में विभिन्न प्रकार के संपादित होने वाले कार्यो के लिये आवश्यक बल की गणना के आधार हेतु निम्नानुसार न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं :-

क.	थाना	आने वाला क्षेत्र	न्यूनतम बल								अपराध	जनसंख्या
			निरी.	उनि.	सउनि	प्रआ	आर	प्रआ (चा)	आर (चा)	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	नगरीय थाना	नगर निगम/ नगर पालिका क्षेत्र एवं जिला मुख्यालय के थाना	1	8	10	13	40	1	2	75	300	50000
2	नगर पंचायत के थाने	नगर पंचायत क्षेत्र एवं अनु विभागीय अधि. पुलिस व तह. मुख्या. के थाना	1	3	6	11	27	–	2	50	200	50000
3	ग्रामीण थाना	ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले शेष थाने	–	1	4	9	20	–	1	35	200	40000
4	ग्रामीण थाना	नक्सली प्रभावित क्षेत्र में आने वाले थाने	–	1	4	8	31	–	1	45	–	–

उपरोक्तानुसार थानों के लिये निर्धारित न्यूनतम बल का निर्धारण पत्रक संलग्न हैं। न्यूनतम बल के मापदण्ड का निर्धारण कॉलम 12 एवं 13 में दर्शित अपराध एवं जनसंख्या के लिए किया गया हैं।

2. उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम बल में आबादी एवं थाने की साम्प्रदायिक रुप से अति-संवेदनशीलता तथा थाना क्षेत्र में जिला कार्यालय एवं राज्य स्तरीय कार्यालय के स्थित होने के आधार पर निम्नानुसार अतिरिक्त बल स्वीकृत किया जायेगा -

क	बल वृध्दि का आधार	नगरीय थाना	नगर पंचायत का थाना	ग्रामीण थाना
1	न्यूनतम बल के लिये निर्धारित आबादी में प्रत्येक 15000 की संख्या बढ़ने पर एक बीट इकाई	सउनि-1 प्रआर-1 आर- 4 योग- 6	प्रआर-1 आर- 3 योग- 4	प्रआर-1 आर- 3 योग- 4
2	न्यूनतम बल के लिये निर्धारित अपराध में प्रत्येक 100 भा.द.वि. के अपराध बढ़ने पर एक विवेचना टीम	उनि.- 1 सउनि- 1 प्रआ- 1 आर- 3 योग- 6	उनि- 1 सउनि-1 प्रआ- 1 आर- 2 योग- 5	प्रआ-1 आर-3 योग-4
3	सांप्रदायिक रुप से अति- संवेदनशील थानों में	कुल बल का 10 प्रतिशत अतिरिक्त बल दिया जाएगा।		
4	वैसे थाने जहां क्लेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय या जिला न्यायालय स्थित हैं	कुल बल का 10 प्रतिशत अतिरिक्त बल दिया जाएगा।		
5	जहॉ राज्य मंत्रालय एवं पुलिस मुख्यालय स्थित हो	कुल बल का 10 प्रतिशत अतिरिक्त बल दिया जाएगा।		

3. चौकी स्थापना के लिये भी निम्नानुसार मापदण्ड नियत किये जाते है, परन्तु चौकी में स्वीकृत बल का समावेश अपराध, आबादी एवं अन्य मापदण्ड के आधार पर थानों के लिये कुल बल के निर्धारण में शामिल रखा जायेगाः-

क	क्षेत्र	उनि	सउनि	प्रआ	आर.	योग
1	नगरीय क्षेत्र में चौकी के लिये	1	1	3	10	15
2	ग्रामीण क्षेत्र के लिये	-	1	2	8	11
3	नक्सल प्रभावित क्षेत्र की चौकी के लिये	1	3	6	25	35

4. भविष्य में निर्मित होने वाले पुलिस थाने एवं पुलिस चौकियों की स्थापना तथा बल वृद्धि के समय नियत संख्या के अन्दर उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत किये जावेंगे।

संलग्न- बल निर्धारण पत्रक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

25/11/10

(व्ही.के.वाधवानी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

थानों के लिये न्यूनतम मापदण्ड का निर्धारण पत्रक

क्र.कं.	लक्ष्य एवं कर्तव्य	शहरी थाना एवं जिला मुख्यालय						नगर पंचायत के थाने एवं अनु वि.अ.पु.मुख्या						ग्रामीण पुलिस थाना					
		निरी.	उनि.	सउनि.	प्रआ.	आर.	योग	निरी.	उनि.	सउनि.	प्रआ.	आर.	योग	निरी.	उनि.	सउनि.	प्रआ.	आर.	योग
1	सूचना एवं स्वागत कक्ष	–	3	–	3	3	9	–	1	2	3	–	6	–	–	1	2	–	3
2	थाना की सुरक्षा(संत्री)	–	–	–	–	4	4	–	–	–	–	4	4	–	–	–	–	3	3
3	बंदी की अभिरक्षा एवं एस्कार्ट	–	–	1	1	4	6	–	–	–	1	3	4	–	–	–	1	2	3
4	मालखाना	–	–	1	1	–	2	–	–	1	–	1	2	–	–	1	1	–	2
5	थाना अभिलेख	–	–		1	2	3	–	–		1	1	2	–	–		–	1	1
6	डाक ड्यूटी	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1
7	न्यायालयीन ड्यूटी	–	–	1	–	1	2	–	–	1	–	1	2	–	–	–	–	1	1
8	चालक	–	–	–	1	2	3	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	1	1
9	पर्यवेक्षण कार्य	1	1	–	–		2	1	–	–	–		1	–	1	–	–		1
कार्यालयीन ड्यूटी		1	4	3	7	17	32	1	1	4	5	13	24	0	1	2	4	9	16
10	बीट ड्यूटी	–	–	3	3	12	18	–	–	–	3	9	12	–	–	–	2	6	8
11	विवेचना टीम	–	3	3	3	9	18	–	2	2	2	4	10	–	–	2	2	4	8
योग		1	7	9	13	38	68	1	3	6	10	26	46	0	1	4	8	19	32
12	अवकाश एवं अन्य कार्य	–	1	1	1	4	7	–	–	–	1	3	4	–	–	–	1	2	3
कुल योग		1	8	10	14	42	75	1	3	6	11	29	50	–	1	4	9	21	35
13	आबादी संख्या पर बीट	50000 की आबादी तक 3 बीट						50000 की आबादी तक 3 बीट						40000 की आबादी तक 2 बीट					
14	भादवि अपराधों पर विवेचना टीमों की संख्या	300 भा.द.वि. के अपराधों की संख्या तक 3 टीम						200 भा.द.वि. के अपराधों की संख्या तक 3 टीम						200 भा.द.वि. के अपराधों की संख्या तक 2 टीम					

30.8.10

(अनिल कुमार)
अपर सचिव मध्य प्रदेश शासन,
गृह विभाग

कार्यालय मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2015–2016

म0प्र0पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित पंजीकृत अर्द्वशासकीय संस्था है। संस्था का गठन 31 मार्च 1981 को राज्य में सेवारत पुलिस कर्मचारियों के लिए आवास गृह एवं प्रशासकीय भवनों के निर्माण के लिए किया गया था। कार्पोरेशन की स्थापना से लेकर अभी तक कार्पोरेशन द्वारा पुलिस कर्मचारियों के लिए 21346 आवासीय क्वार्टर एवं 1164 प्रशासनिक भवन एवं अन्य भवनो का निर्माण किया गया है ।

कार्पोरेशन की स्थापना मूख्यतः इन उद्येश्यों की पूर्ति के लिये हुई है ।

- मध्य प्रदेंश पुलिस विभाग के प्रशासनिक भवन एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय भवनों की योजना बनाना एवं उनका क्रियान्वयन ।
- भवनों की सर्व–सुविधायुक्त अधोसंरचना के माध्यम से उच्च गुणवत्ता एवं सर्व सुविधायुक्त भवन निर्माण, वाटर टैंक विद्युतिकरण, सेनेटरी आदि सभी सुविधाओं का समावेश
- आवासीय एवं प्रशासनिक भवन परसिर की अधोसंरचना का उन्नयन जैसे सड़क बिलजी, पानी निकासी की समुचित व्यस्था ।

वित्तीय वर्ष 2014–2015 की उपलब्धियॉ

(1) वित्तीय वर्ष 2014–15 में पुलिस आधुनिकीकरण योजना 2014–15 के अंतर्गत केन्द्र शासन से अनुमोदित योजना रू. 68.90 करोड के अंतर्गत केन्द्रांश की राशि रू. 41.20 करोड प्राप्त हुऐ है , इस योजना के निर्माण कार्य प्रगति पर है। बारहवी पंचवर्षीय राज्यांश योजना में रू.123. करोड की प्राप्त राशि के अंतर्गत, प्रस्तावित निर्माण कार्यो को प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रगति पर है। सिंहस्थ 2016 योजना के अंतर्गत रू.77.73 करोड के स्वीकृत कार्यो का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं निर्धारित समयावधि फरवरी 2016 तक निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने का संकल्प है।

(2) कार्पोरेशन द्वारा वर्ष 2014–15 में 1166 आवास गृह तथा 44 प्रशासकीय भवनो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। कार्पोरेशन द्वारा विगत 10 वर्षो में 5887 आरक्षक/प्र0आर0 आवास गृह, 1416 अराजपत्रित आवास गृहो सहित कुल 7303 आवास एवं 521 प्रशासनिक भवनो का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। जिसमें मुख्य रूप से 46 थाना भवन, 30 पुलिस चौकी, 11 नियंत्रण कक्ष भवन, 64 अनु0 अधिकारी पुलिस कार्यालय भवन, 13 पुलिस महानिरीक्षक /उप महानिरीक्षक भवन, 11 पुलिस अधीक्षक/सेनानी कार्यालय भवन के अलावा होमगार्ड के 20 भवनो का निर्माण एवं 326 अन्य प्रशासकीय भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है।

(4) वित्तीय वर्ष 2014–2015 में निर्माण कार्यो में व्यय का लक्ष्य रू0 150 करोड रखा गया गया था। लक्ष्य से अधिक रू.370.81 करोड के निर्माण कार्य कार्पोरेशन ने पूर्ण किया है।

(5) वित्तीय वर्ष 2014–2015 में कार्पोरेशन द्वारा प्रावधिानिक लाभांश रू. 12.00 करोड अर्जित किया गया है।

(6) इस वित्तीय वर्ष 2015–16 में निर्माण कार्यो में व्यय का लक्ष्य रू0 500 करोड रखा गया गया है।

(6) हुडको ऋण पोषित योजनान्तर्गत प्रथम चरण वर्ष 2011–2012 में 2500 आवास गृहो के निर्माण हेतु रू0 223.42 करोड की स्वीकृति राशि के अंतर्गत 2440 आवास गृह पूर्ण किये जाकर पुलिस विभाग को सौप जा चुके है। शेष 60 आवासों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। वर्ष 2012–2013 में 3000 आवास गृहो के निर्माण हेतु 368.50 करोड की राशि के अंतर्गत 300 आवास पूर्ण किये जाकर पुलिस विभाग को सौपे गये एवं 2190 आवासों का निर्माण अंतिम चरण में है तथा 510 आवासों के निर्माण की प्रक्रिया प्रगति पर है। वर्ष 2013–2014 में 2500 आवास गृहों के निर्माण हेतु रू0 312.39 करोड की स्वीकृत राशि के अंतर्गत 990 आवास गृहों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर पुलिस विभाग को सौपा गया एवं 1510 आवासों का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है । वर्ष 2014–2015 में 2500 आवास गृहों के निर्माण हेतु रू0 312.39 करोड की स्वीकृति राशि के अंतर्गत 1474 आवास गृहों का निर्माण कार्य प्रगति पर है एवं 1026 आवास गृहो के निर्माण की प्रक्रिया प्रगतिरत है।

<u>भविष्य की कार्य योजना</u> –

(1) आगामी वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 5254 आवास गृह एवं 67 प्रशासकीय भवन, जिसमें 17 थाना भवन/पुलिस चौकी निर्माणाधीन है जो समयावधि में पूर्ण किये जायेंगे ।

(2) माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा क्रमांक 694, पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 25000 आवास बनाये जाने के परिपालन में डीपीआर तैयार कर राज्य शासन को प्रेषित किया गया है । योजना का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगाी । प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग की स्थायी वित्त समिति के पास विचाराधीन है।

———*******———

मध्यप्रदेश होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा संगठन
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष–2015–2016

विभागाध्यक्ष

भाग – एक

विभागीय संरचना 1:1 मध्यप्रदेश होमगार्ड की स्थापना 1947 में मध्यप्रदेश प्रदेश होमगार्ड एक्ट, 1947 के तहत की गई थी। यह स्वयंसेवी संगठन है जिसके गठन करने के दो मुख्य उद्देश्य हैं :–

(अ) प्रदेश में आपतकालीन स्थिति में शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस बल को सहायता करना।
(ब) लोक कल्याणकारी कार्यों के सहयोग एवं नागरिक सुरक्षा से संबंधित कार्यों का सम्पादन करना।

नगर सेना संगठन का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। प्रदेश में संगठन के प्रमुख डायरेक्टर जनरल हैं, वे डायरेक्टर सिविल डिफेन्स भी हैं। मुख्यालय में एक पुलिस महानिरीक्षक, एक पुलिस उप महानिरीक्षक एवं एक अतिरिक्त प्रधान सेनानी (विभागीय) तथा दो सीनियर स्टाफ आफीसर,,सयुक्त संचालक(वित्त), दो जूनियर स्टाफ आफीसर (प्रशिक्षण/स्थापना) तथा एक क्वार्टर मास्टर, एवं एक लेखाधिकारी के पद स्वीकृत हैं, जो सम्पूर्ण म0प्र0 के अधीनस्थ इकाईयों के कार्यालयों का पर्यवेक्षण करते हैं । इसके अतिरिक्त एक पद अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, एक पुलिस महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक, एक संभागीय सेनानी , पॉच जिला सेनानी ,एक मेडीकल अधिकारी , एक तकनीकी विशेषज्ञ ,आपदा प्रबंधन होमगार्ड को आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यो के लिये पद स्वीकृत किया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय 1:2 मुख्यालय के अधीनस्थ जबलपुर में एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान मंगेली, जबलपुर में है, जहॉ के प्रमुख कमाण्डेन्ट हैं, जो संभागीय सेनानी स्तर के अधिकारी हैं। इस संस्थान में होमगार्ड स्वयंसेवकों के बेसिक प्रशिक्षण को छोड़कर एडवांस कार्स/लीडर शिप कोर्स/वाटरमैन शिप कोर्स आदि का प्रशिक्षण एवं प्लाटून कमाण्डर स्तर तक के अधिकारियों/कर्मचारियों का बेसिक प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर कोर्स संचालित किया जाता है तथा डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट/कम्पनी कमाण्डर तक के अधिकारियों का रिफ्रेशर कोर्स संचालित किया जाता है । इस प्रशिक्षण संस्थान को एक उच्च कोटि के प्रशिक्षण संस्थान के रूप में उन्नयन हेतुं एक योजना तैयार की गयी है। शासन से प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर इस योजना के क्रियान्वयन के कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के 10 सम्भागीय कार्यालयों में मुख्यालय के ''नोडल अधिकारी'' के रूप में डिवीजनल कमाण्डेन्ट पदस्थ होकर अपने अधीनस्थ जिलों के होमगार्ड कार्यालयों पर नियंत्रण रखते हैं ।

प्रदेश के प्रत्येक जिले में (02 जिले सिंगरौली एवं अलीराजपुर को छोड़कर) जिला कार्यालय स्थापित है, जिसमें एक–एक डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट के पद स्वीकृत हैं, वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों के कार्य कलापों का संचालन कर उनके प्रशिक्षण, अनुशासन, कल्याण एवं प्रशासनिक नियंत्रण के कार्य का निष्पादन करते हैं।

संगठन में 16305 स्वयंसेवकों का बल स्वीकृत है जिसमें सुचारू प्रशासनिक संचालन हेत 1360 नियमित अधिकारी/कर्मचारी के पद स्वीकृत हैं,। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल हेत 550 स्वयंसेवकों का बल स्वीकृत है जिसके संचालन हेतु मुख्यालय एवं स्टेट कमांड सेन्टर हेतु 44 एवं

चार जिला इकाइयों (भोपाल, इन्दौर ,जबलपुर एवं ग्वालियर) हेतु 88 कुल 132 नियमित पद के पद स्वीकृत है ।

विभाग के अन्तर्गत आने वाले मंडल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण 1:3 ''निरंक''

विभाग के दायित्व 1:4

मध्यप्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना मध्यप्रदेश होमगार्ड,अधिनियम 1947 के अंतर्गत की गई है । वर्ष 1956 में मध्यप्रदेश राज्य की स्थापना होने पर इसे राज्य विधान सभा व्दारा आवश्यक संशोधनों सहित अगीकृत किया गया । इसके उपरान्त यह संगठन छोटे–छोटे संशोधनों के साथ मुख्यतः मूल अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार संचालित किया जा रहा है ।

इस होमगार्ड संगठन को स्वयंसेवी प्रकृति के कार्यकर्ताओं के समूह रूप में परिकल्पना की गई थी जिसमें उन्हें नियमित पुलिस बल को सहायता प्रदान करने का मुख्य दायित्व प्रदान किया गया था । कालान्तर में होमगार्ड संगठन के सदस्यों को शासन के विभिन्न विभागों व्दारा संचालित लोक कल्याण के विभिन्न उपायों के क्रियान्वयन में भी समुचित सहायता प्रदान करने का दायित्व दिया गया ।

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी 1:5 होमगार्ड विभाग एक स्वयं सेवी संस्था है जिसका मुख्यालय जबलपुर में स्थापित इसके अधीनस्थ एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान मंगेली, जबलपुर में स्थित है। इसके अतिरिक्त संभागीय / जिला स्तर के कार्यालय भी है। विभाग का कार्य पुलिस बल को सहयोग करना है तथा शासन के दीगर विभागों को उनके लोक कल्याण कार्यक्रमों में क्रियान्वन में यथोचित सहयोग प्रदान करना है । इसके अतिरिक्त राज्य आपदा आपतकालीन मोचन बल का गठन किया गया है मुख्यालय एवं स्टेट कमांड सेन्टर चार जिला इकाइयों (भोपाल ,इन्दौर ,जबलपुर एवं ग्वालियर) स्थापित है ।

सामान्य या प्रमुख विशेषताएं 1:6 राज्य शासन व्दारा मध्यप्रदेश होमगार्ड संगठन के लिये कुल 16,305 स्वयंसेवी सदस्यों की अधिकतम संख्या अधिकृत की गई है । इसमें 350 महिला नगर सैनिक भी शामिल है । प्रदेश के 51 जिलो, 10 सभ्भागीय मुख्यालयों तथा एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान ,मंगेली की मैदानी ईकाइयों में यह समस्त स्वयंसेवी नगर सैनिक 97 कम्पनियों के रूप में वितरित किये गये है । होमगार्ड विभाग में 16305 स्वयंसेवकों का बल ड्युटी पर तैनात किया जाता है । होमगार्ड का बल आपात् कालीन स्थिति में पुलिस बल के साथ कन्धे से कंन्धा मिलाकर अपनी ड्युटी का निवर्हन करते है। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं की स्थिति उदाहरणार्थ बाढ़, भूकम्प , दुर्घटना आदि की घटनाओं में यह जिला तथा पुलिस बल को बचाव तथा राहत कार्यो में उल्लेखनीय सहयोग प्रदान करता है ।

भाग – दो

2:1 बजट विहंगावलोकनः–इस विभाग का बजट प्रावधान वर्ष 2015–2016 का निम्नानुसार थाः–

मांग संख्या–03–2070– अन्य प्रशासनिक सेवाएं –107 होमगार्ड

क्र0	बजट शीर्ष एवं कोड़ क्रमांक	विभाग का प्रस्तावित बजट 20115–16	शासन द्वारा स्वीकृत बजट 2015–16	प्रथम अनुपूरक वर्ष 2015–16 में शासन व्दारा स्वीकृत बजट	शासन द्वारा कुल स्वीकृत बजट वर्ष 2015–16
1	–0492– आव्हान पर होने वाला व्यय	1,64,75,72,000	1,69,86,10,000	37,11,06,500	2,06,97,16,500
2	–2710–प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	78,70,86,000	50,45,75,000	–	50,45,75,000
3	–4670–स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण	13,52,10,000	4,23,00,000	–	4,23,00,000
4	स्कीम–7867–नगर सेना का आधुनिकी– करण	5,30,00,000	2,00,00,000	–	2,00,00,000
	योग 107–होमगार्ड	**2,62,28,68,000**	**2,26,54,85,000**	**37,11,06,500**	**2,63,65,91,500**
5	53– डिक्री धन का भुगतान	2,00,000	1,00,000	–	1,00,000

6–4070 – अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय :–

क्र0	बजट शीर्ष एवं कोड़ क्रमांक	विभाग का प्रस्तावित बजट 2015–16	शासन द्वारा स्वीकृत बजट 2015–16	प्रथम अनुपूरक वर्ष 2015–16 में शासन व्दारा स्वीकृत बजट	शासन द्वारा कुल स्वीकृत बजट वर्ष 2015–18
1	7188 –आपदा प्रबंधन के लिये निर्माण	1,00,00,000	1,00,00,000	–	1,00,00,000

7–7327– राज्य आपदा आपतकालीन मोचन बल का गठन :–

क्र0	बजट शीर्ष एवं कोड़ क्रमांक	विभाग का प्रस्तावित बजट 2015–16	शासन द्वारा स्वीकृत बजट 2015–16	प्रथम अनुपूरक वर्ष 2015–16 में शासन व्दारा स्वीकृत बजट	शासन द्वारा कुल स्वीकृत बजट वर्ष 2015–16
1	7327	17,54,95,000	2,26,54,95,000	21,81,00,000	2,48,35,95,000

मॉग संख्या–04–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाऐं– 106– नागरिक सुरक्षा

क्र0	बजट शीर्ष एवं कोड़ क्रमांक	विभाग का प्रस्तावित बजट 2015–16	शासन द्वारा स्वीकृत बजट 2015–16	प्रथम अनुपूरक वर्ष 2015–16 में शासन व्दारा स्वीकृत बजट	शासन द्वारा कुल स्वीकृत बजट वर्ष 2015–16
	1558–नागरिक सुरक्षा	44,85,000	35,54,000	–	35,54,000
	6288–नागरिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण	23,00,000	6,00,000	–	6,00,000
	योग–नागरिक सुरक्षा	**67,85,000**	**41,54,000**	**–**	**41,54,000**

भाग – तीन

राज्य योजनाए तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाऍः–

आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक की जानकारी निम्नानुसार है :–

शासन द्वारा प्राप्त आवंटन राशि रू0 2,09,08,000/– मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है।

''ए'' वाहन

क्र0	वस्तु का नाम	कुल सामग्री की संख्या	कुल राशि
1	बुलेरों एल.एक्स महिन्द्र एण्ड महिद्र लिमि.नासिक महाराष्ट्	20 नग	1,11,97,380
	प्रवेश कर 10 प्रतिशत	–	11,19,740
	पंजीयन टैक्स (230 प्रति नग)	–	4,600
2	टाटा इंडिगो एल.एक्स(आर.एम.जे. मोटर्स प्रा.लिमि.,भोपाल	10 नग	58,26,370
	पंजीयन टैक्स (230 प्रति नग)	–	2,300
3	टाटा इंडिगो मांजा एल.एक्स.	02 नग	13,31,492
	पंजीयन टैक्स (230 प्रति नग)	–	460
4	टी0व्ही0एस0 स्टार सिटी प्लस	12 नग	5,20,683
	प्रवेश कर 10 प्रतिशत	–	52,068
	साई मोटर्स ,जबलपुर	ऐसेसरीज 12 नग	42,262
	पंजीयन टैक्स (230 प्रति नग)	–	2,760
		योग	2,01,00115

कुल व्यय राशि का योग :– 2,01,00115/–

समरी :–

''ए '' वाहन	–	2,01,00115.00
शासन व्दारा प्राप्त आवंटन	–	2,09,08,000.00
व्यय राशि रू0	–	2,01,00115.00
शेष बचत राशि रूपये	–	8,07,885.00

आधुनिकीकरण योजना वर्ष 2014–15 के अंतर्गत माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक की जानकारी निम्नानुसार है :–

म0प्र0 पुलिस मुख्यालय ,भोपाल के पत्र कमांक पुमु/19/भवन/5/60/2015 दिनांक 12–03–15 व्दारा राशि रू0 3,54,,96,000/– मात्र के आवंटन की स्वीकृति प्राप्त हुई ।

ट्रैनिंग बैरिक

क0	नाम कार्यालय	संख्या	आवंटित राशि	रिमार्क
1	सी.टी.आई.,मंगेली,जबलपवुर	01	59,16,000/–	यह राशि शासन व्दारा मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन भोपाल सीधे प्रदान की गई है जिसका प्रशिक्षण बिल्डिंग निमार्ण कार्य निर्धारित होमगार्ड ईकाइयों एवं सी.टी.आई. में उनके व्दारा किया जा रहा है।
2	जिला सीधी	01	59,16,000/–	
3	जिला होशंगाबाद	01	59,16,000/–	
4	जिला दतिया	01	59,16,000/–	
5	जिला झाबुआ	01	59,16,000/–	
6	जिला टीकमगढ़	01	59,16,000/–	
	योगः–		3,54,96,000/–	

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषयः–

वर्ष 2014 में 05 विभागीय जॉच के प्रकरण लंबित थे। वर्ष 2015 में (दिनांक 01–01–15 से 31–12–15 तक) नये विभागीय जॉच के प्रकरण संस्थित नहीं हुए,इस तरह कुल 05 प्रकरणों में 02 प्रकरणों का निराकरण हुआ है एवं 03 विभागीय जॉच के प्रकरण लंबित है।

वर्ष 2014 के 21 शिकायत के प्रकरण लंबित थे। वर्ष 2015 में (दिनांक 01–01–2015 से 31–12–15 तक) 98 शिकायते नई प्राप्त हुई,इस तरह कुल 119 शिकायतों में 60 शिकायतें निराकृत हुयी तथा 59 शिकायतों के प्रकरण लंबित है।

वर्ष 2014 में 196 न्यायालयीन प्रकरण लंबित थे। वर्ष 2015 में(दिनांक 01–01–15 से 31–12–2015 तक) 29 नये न्यायालयीन प्रकरण प्राप्त हुए है इस तरह कुल 225 न्यायालयीन प्रकरणों में 38 प्रकरणों का निराकरण माननीय न्यायालय व्दारा किया गया है एवं 187 प्रकरण लंबित है।

होमगार्ड जवानों व्दारा उनके लगातार ड्युटी में रखे जाने एवं नियमितीकरण के संबंध में समान प्रकृति के दायर कई प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0के पारित आदेश दिनांक 02–12–11

पश्चात शासन की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के युगपीठ में रिट अपील दायर की गई थी जिसमें पारित निर्णय दिनांक 08–05–12 के विरूध्द माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में एस.एल.पी.दायर की गई थी। विशेष अनुमति याचिका सीसी क्रमांक 4013– 4014/13 मध्यप्रदेश शासन व अन्य विरूध्द भोला सिह राजपूत व अन्य तथा समान प्रकृति के अन्य एस.एल.पी. में माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 21–01–15 के परिप्रेक्ष्य में होमगार्ड स्वयंसेवी सैनिकों की सेवा शर्तो के लिये नया नियम/विनियम बनाने हेतु समिति का गठन किया जाकर समिति व्दारा दिनांक 24–08–15 को मध्यप्रदेश होमगार्ड नियम 2015 के ड्राफ्ट नियम तैयार कर राज्य शासन को सौप दिये गये है । इसी तरह माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील क्रमांक 2759/15 गृह रक्षक ,होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन विरूध्द हिमांचल प्रदेश शासन व अन्य में पारित आदेश दिनांक 11 मार्च 2015 एवं समान प्रकृति के अन्य प्रकरणों में पारित आदेश में स्वयंसेवी संगठन ,होमगार्ड को माना गया है ।

भाग–पॉच

वर्तमान में मध्यप्रदेश होमगार्ड का स्वीकृत बल पुरूष 15450, महिला 350 स्वयंसेवक तथा नक्सलवादी गतिविधियों की रोकथाम हेतु जिला डिण्डोरी/बालाघाट/मण्डला/इंदौर/उज्जैन/जबलपुर/खण्डवा/रतलाम/सीहोर/विदिशा/सीधी/ग्वालियर तथा शिवपुरी में तैनात 205 स्वयंसेवक इस प्रकार स्वीकृत बल 16005 है। जिला बालाघाट के लिए नवीन 300 गोपनीय सैनिकों की स्वीकृति मिलाकार कुल स्वीकृत बल 16305 इसमें से 205 +300 स्वयंसेवक जो नक्सलवादी गतिविधियों की रोकथाम हेतु तैनात है, उनसे जिलों में शॉन्ति एवं सुरक्षा डियूटी नही ली जाती है। उक्त 16305 के बल में से उपलब्धता के आधार पर माह जनवरी से दिसम्बर 2015 तक का आव्हानित बल निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	माह	काल आउट
01	जनवरी/2015	12907
02	फरवरी/2015	12647
03	मार्च/2015	12640
04	अप्रैल/2015	12640
05	मई/2015	12495
06	जून/2015	12490
07	जुलाई/2015	12485
08	अगस्त/2015	12306
09	सितम्बर/2015	12300
10	अक्टूबर/2015	12298
11	नवम्बर/2015	12070
12	दिसम्बर/2015	12260 संभावित

उपरोक्त स्वीकृत बल के अनुसार मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में कुल 97 कम्पनी सम्मलित है मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 85 स्वयं सेवक प्रति कम्पनी के मान से नियमित आव्हान प्रत्येक जिले में रहता है। सिर्फ चुनाव/प्राकृतिक आपदा आदि के समय शासन व्दारा दिये गये आदेशानुसार अधिकाधिक कॉलआउट की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद अधिकाधिक

शतप्रतिशत कालआउट किया जाता है । (वर्तमान में दो वर्ष से अधिक समय से फुल कालआउट चल रहा है)।

जिले में उपलब्ध बल में से वर्ष भर रिफ्रेशर कोर्स का संचालन सभागीय मुख्यालय/ जिले मे चलाये जाते है । इसके अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा संभागीय मुख्यालय में एडवॉस तथा लीडरशिप कोर्स का संचालन किया जाता है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश के आर0सी0व्ही0पी0 नरोन्हा प्रशासन अकादमी भोपाल एवं प्रंबधन संस्था भोपाल व्दारा समय–समय पर जिन कोर्सेस का संचालन किया जाता है, उसमें सीटो के आवंटन के आधार पर होमगार्ड के विभागीय अधिकारियों को नामांकित किया जाता है।

माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक होमगार्ड व्दारा किये गये सराहनीय कार्यो के लिये होमगार्ड के कुल 375 अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया।

केन्द्रीय कल्याण निधि से दिनांक 01–01–2015 से 31–12–2015 तक कुल 84 मृतक कर्मचारी एवं सैनिकों के परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई है।

15 अगस्त 2015 स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होमगार्ड विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा पदक/सराहनीय सेवा पदक की प्राप्त होने संबंधी जानकारी।

विशिष्ट सेवा पदक

1– श्री सैयद जावेद, डिस्टिक्ट कमाण्डेन्ट होमगार्ड ,इन्दौर
2– श्री ए0के0मयंक ,सूबेदार (एम0)मुख्यालय,जबलपुर
3– श्री तिलकेश्वर प्रसाद परौहा,स्वयंसेवी सैनिक ,जिला जबलपुर

सराहनीय सेवा पदक

1– श्री कुँवर रंजीत बहादुर सिंह, डिस्टिक्ट कमाण्डेन्ट होमगार्ड धार
2– श्री कमलेश कुमार कोरी ,सहायक अधीक्षक, होमगार्ड मुख्यालय,जबलपुर
3– श्री विजय कुमार कोष्ठी,108 व्ही0पी0सी0 होमगार्ड, सागर
4– श्री कौशल प्रसाद द्विवेदी, 23,व्ही0पी0सी0 होमगार्ड, सीधी
5– श्री अम्बाराम नागर ,182,स्वयंसेवी हवलदार होमगार्ड, उज्जैन
6– श्री भगवान दास अहिरवार ,89 स्वयंसेवी नायक ,होमगार्ड, दतिया
7– श्री रूपसिंह ठाकुर डिवीजनल वार्डन होमगार्ड, जबलपुर

होमगार्ड की भूमिका बदलते परिवेश में

जीवन रक्षक **जीवनदायक** **जीवन संवर्धक**

(1) राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल **(S.D.R.F)** के विशेष प्रशिक्षण, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड, मंगेली जबलपुर में प्रारम्भ किये गये है। इसके अतिरिक्त ,सीमा सुरक्षा बल, टेकनपुर ग्वालियर में 100 सैनिकों का विशेष प्रशिक्षण करवाया गया। कलकत्ता में 300 जवानों का सरफेस वाटर एवं फ्लड रेस्क्यू कोर्स एवं 60 जवानों का डीप ड्राइविंग कोर्स कराया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल **(N.D.R.F)** विशेष प्रशिक्षक मध्यप्रदेश में आकर राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल **(S.D.R.F)** के चुनिंदा जवानों को ट्रेनिंग दी गई। सभी जिलों में कम से कम 02 दिवसीय आपदा प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन कर ,क्षमता वृध्दि एवं कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण चलाया गया।

(2) आपदा के समय जनसमुदाय की विशेष भूमिका होती है। कल्याणकारी एवं संवेदनशील राज्य की प्रतिवध्दता के रूप में घटना स्थल पर सर्वप्रथम पहुॅचकर जान–माल की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2009 में भारत शासन के सिविल डिफेंन्स एक्ट 1968 में संशोधन कर सिविल डिफेन्स वॉलेन्टियर्स की आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सौपी है । म0प्र0 में पूर्व में मात्र भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर व कटनी को ही सिविल डिफेन्स जिला घोषित किया गया था । अब शासन ने दो चरणों में क्रमशः 20 एवं 26 शेष जिलों को भी सिविल डिफेन्स जिला घोषित कर अब म0प्र0 के सभी 51 जिलों को सिविल डिफेन्स जिला घोषित किया जा चुका है।

(3) माध्यप्रदेश होमगार्ड के व्दारा सभी 51 जिलों में विशेष अभियान चलाकर अब तक लगभग 55,000 सदस्यों को सिविल डिफेन्स वॉलेन्टियर के रूप में चिन्हित कर उन्हे जियो टेग किया जा चुका है। इन्हे इन्सीडेट कमाण्डर रेस्क्यू ,फर्स्ट– एड,आपदा स्थान,आपदा स्थल परिसीमा सुरक्षा ,भीड़ नियंत्रण ,आपदा स्थल ,यातायात नियंत्रण, मीडिया एवं पब्लिक रिलेशन के कार्य के लिये विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

सामान्य नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा संगठन के साथ मिलकर आपदा मोचन की भूमिका में सक्रिया एवं सकारात्मक भूमिका दक्षतापूर्वक निष्पादित करने हेतु उन्हे समय– समय पर नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण कराया जाता है ।

(4) मध्यप्रदेश के सभी विभागों कों औद्योगिक इकाईयों, गैर सरकारी एवं समाज सेवी संस्थाओं को भी आपदा प्रबंधन एवं सिविल डिफेन्स से जोड़ा जाकर उनके मानव,उपकरण एवं संसाधनों को आपदा प्रबंध्यान से जोड़कर एक सशक्त व्यवस्था की आधार शिला रखी जा रही है व मध्यप्रदेश शीघ्र एक साथ कई स्थानों पर अलग– अलग प्रकार की आपदाओं को प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम होगा ।

(5) 24 नवम्बर 2015 को होमगार्ड/एस0डी0आर0एफ0 के व्दारा राष्ट्रीय रिमोंट सेसिंग सेन्टर **(N.R.S.C.)** के पॉच वर्षीय एम0ओ0यू0किया गया है जिसके तहत उनके संसाधन,टेक्नॉलॉजी, बेववेस्ड सोल्यूशन एवं प्रशिक्षण आदि की निःशुल्क व्यवस्था है।

(6) उल्लेखनीय है मध्यप्रदेश होमगार्ड की पहल पर भारत शासन ने आपदा एवं आपात् संबंधी सूचनाओं के **1079 नंबर** को लेवल– 1 सेवा के रूप में स्वीकृत किया है । अब आपदा/आपात की

सूचना मध्यप्रदेश होमगार्ड राज्य आपदा कमाण्ड सेन्टर पर किसी भी टेलीफोन या मोवाईल फोन से दी जा सकती है । **यह ब्यवस्था पूर्णतः निःशुल्क है।**

(7) इस वर्ष बाढ़–बचाव अभियान के तहत उज्जैन,राजगढ़ ,रायसेन ,हरदा ,एवं शाजापुर आदि जिलों में नदियों के बाढ़ से घिरे व्यक्तियों को सुरक्षित निकालकर जीवन रक्षक के रूप में होमगार्ड की पहचान स्वतंत्र रूप से उभरी है । इन कार्यो से होमगार्ड को सम्मान जनक स्थान मिला है ।यह हर्ष का विषय है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में होमगार्ड को जीवन रक्षक के रूप में सम्मानित किया गया है ।

(8) <u>जीवन दायक रक्तदान–</u>

विभाग में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी/स्वयंसेवक जिला स्तर ,तहसील स्तर पर सिविल डिफेन्स वालेण्डियर एवं स्वयंसेवक जवानों को रक्त दान हेतु प्रेषित कर रक्तदान शिविर आयोजित किये जाने की प्रकिया निरंतर जारी है जिससे होमगार्ड की जीवन दायक भूमिका की प्रशंसा की जा रही है ।

(9) मध्यप्रदेश होमगार्ड के व्दारा आपदाओं के समय बड़ी संख्या में जानों को बचाकर ,जीवन रक्षक हजारों की संख्या में रक्तदान कर ,जीवन –दायक एवं स्वच्छता अभियान एवं वृक्षारोपण अभियान चलाकर जीवन संवर्धक की भूमिका निभायी है ।

<u>वीडियों कान्फेन्सः–</u>

डायरेक्टर जनरल होमगार्ड मध्यप्रदेश व्दारा होमगार्ड की समस्त इकाइयों में पदस्थ अधिकारियों /कर्मचारियों से माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को वीडियों कान्फेन्स के माध्यम से संवाद स्थापित कर विभागीय गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये जाते है ।

<u>जनरल परेड़ः–</u>

होमगार्ड विभाग की समस्त इकाइयों में प्रत्येक सप्ताह मंगलवार एवं शुक्रवार को जनरल परेड़ का आयोजित की जाती है ताकि विभाग में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी/स्वयंसेवक शारीरिक रूप चुस्त दुरूस्त रहते हुये उनका टर्नआउट उच्च कोटि का बना रहे।

<u>योगा तनाव मुक्ति शिविर :–</u>

विभाग में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी/स्वयंसेवक मानसिक ,शारीरिक व्याधियों से मुक्ति हेतु योगा कराने वाले प्रशिक्षित एवं जानकार से परेड़ के पहले सुबह के समय योगा करने के निर्देश जारी किये गये है। इसी प्रकार भजन–कीर्तन, सामूहिक गीत, तनावमुक्ति अभियान जारी है।

<u>वृक्षारोपणः–</u>

वृक्षा रोपण़ जिलों में होमगार्ड कैम्पस एवं अन्य शासकीय भूमि पर अधिक से अधिक विभिन्न वेरायटी के फलदार, फूलदार वृक्ष लगाये जावे ,इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये गये है ।

स्वच्छता अभियान –

जिलों की साफ –सफाई उत्तम स्तर की तथा स्वच्छता अभियान चलाकर कैम्पस एवं गॉव , शहर के जगह को चिन्हित कर नदी, तालाब, घाट किनारे, धार्मिक स्थलों एवं ऐतहासिक स्थलों की सफाई कर स्वच्छता अभियान जारी है।

स्वास्थ्य परीक्षण :–

विभाग में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी/स्वयंसेवक के स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए हेल्थ कार्ड बनाये गये हैं।

रक्तदान :–

विभाग में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी/स्वयंसेवक जिला स्तर ,तहसील स्तर पर सिविल डिफेन्स वालेण्डियर एवं स्वयंसेवक जवानों को रक्त दान हेतु प्रेषित कर रक्तदान शिविर आयोजित किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये ।

नशा–मुक्ति :–

होमगार्ड विभाग में नशा का सेवन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी/स्वयंसेवक को नशा का सेवन न करने बावत आवश्यक मार्गदर्शन एवं समझाइस दी गई ।

स्थापना दिवसः–

माह दिसम्बर 2015 में होमगार्ड तथ नागरिक सुरक्ष संगठन का 69वॉ स्थापना दिवस समारोह मुख्यालय, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, संभागीय/जिला स्तर पर समारोह आयोजित कर भव्य रूप से मनाया गया। होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस का मीडिया तथा समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया ।

———*******———

लोक अभियोजन संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष–2015–2016

विभागीय संरचना :–

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 24 एवं 25 के प्रावधानों को मूर्तरूप देने के उद्देश्य से पुलिस प्रभाव से पृथक स्वतंत्र अभियोजन व्यवस्था का निर्माण करने हेतु वर्ष 1987 मे शासन ने पुलिस विभाग से अभियोजन संवर्ग को पृथक करके विधि के अनुरूप स्वतंत्र लोक अभियोजन संचालनालय का गठन किया है। गृह विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2(ई) 168/87/ब(4) दो, दिनांक 8 जून 87 के द्वारा लोक अभियोजन संचालनालय का गठन हुआ है । संचालक, लोक अभियोजन संचालनालय म. प्र. द्वारा मुख्यतः निम्न कार्य निष्पादित किया जाता है।

(अ) राज्य में अभियोजन कार्य का नियंत्रण ।

(ब) मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा अधिसूचना जारी होने पर धारा 25–ए (5) द.प्र.सं. के वर्ष 2006 में हुए संशोधित प्रावधानों के अंतर्गत समस्त लोक अभियोजक तथा अतिरिक्त लोक अभियोजकों के कार्य का भी नियंत्रण और पर्यवेक्षण किया जावेगा।

(स) जिलाध्यक्ष के माध्यम से विधि विभाग द्वारा नियुक्त किये गये लोक अभियोजकों और अति0 लोक अभियोजकों को आवश्यक निर्देश प्रदान करना तथा उनके कार्य की नियमित समीक्षा करना ।

लोक अभियोजन संचालनालय के लिए स्वीकृत पदों का विवरण :–

स.क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	रिक्त पद
1.	संचालक	01	–
2.	संयुक्त संचालक	02	01
3.	उप संचालक	02	01
4.	सहायक संचालक	05	01
5.	अधीक्षक	01	–
6.	सहा.अधीक्षक	01	01
7.	निज सहायक	02	02
8.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	01	–
9.	स्टेनोग्राफर	04	01
10.	सहायक ग्रेड–एक	03	02
11.	सहायक ग्रेड–दो	07	04
12.	सहायक ग्रेड–तीन	29	17
13.	स्टेनोटायपिस्ट	02	01
14.	वाहन चालक	01	–
15.	दफतरी	01	–
16.	भृत्य	06	02
17.	चौकीदार	01	01
18.	स्वीपर	01	01

म.प्र. में जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालयों में पदों का विवरण :–

विभाग में जिला स्तर पर स्वीकृत अभियोजन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निम्न है:–

		स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	लोक अभियोजक / उप संचालक (अभियोजन)	79	45
2.	जिला लोक अभियोजन अधिकारी /अति.डीपीओ	157	05
3.	सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी	909	354
4	सहायक ग्रेड–1	25	25
5.	सहायक ग्रेड–2	80	80
6.	सीआरपीसी लिपिक / सहायक ग्रेड–तीन	564	528
7.	पीसीडी	51	41
8.	एपीसीडी	51	49
9.	भृत्य	83	80

विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल / उपकम / संस्थाओं का विवरण :– निरंक

दायित्व एवं कार्य

अभियोजन संचालनालय का मुख्य दायित्व, म.प्र. में सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों व सत्र न्यायालयों में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों का **''राज्य''** की ओर से प्रभावी संचालन कराना, ''राज्य'' अर्थात ''लोक'' का पक्ष प्रस्तुत करना तथा अपराधियों को दण्डित करवाने का हैं ।

अभियोजन अधिकारी राज्य में जाति, लिंग, भाषा एवं धर्म का भेदभाव किये बिना पीड़ित नागरिकों के साथ घटित अपराध के लिए अपराधियों को दण्डित करवाये जाने के लिए पूर्ण क्षमता से न्यायालयों में अभियोजन कार्य संपादित करते हैं।

संचालनालय के गठन के पश्चात पुलिस विभाग सहित, वन विभाग,खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग,नापतौल विभाग, आबकारी विभाग आदि के प्रकरणों में पैरवी का दायित्व भी अभियोजन अधिकारियों को दिया गया है । इससे पुलिस विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों की ओर से प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में भी ''राज्य'' का उचित प्रतिनिधित्व होने लगा है ।

नवनियुक्त सहायक जिला अभियोजन अधिकारियों को राज्य के मामलों में उनके ज्ञान अनुभव के आधार पर व्यवसायिक एवं कम्प्यूटर आदि के प्रशिक्षण से प्रशिक्षित करवाया जाकर जिलों में पदस्थ किया जाता है। समय–समय पर रिफ्रेश्र कोर्स एवं विशेष विधियों के प्रशिक्षण सत्र को आयोजित कर उनको विधिक ज्ञान की अद्यतन स्थिति से भी परिचित कराया जाता है।

चिन्हित जघन्य और सनसनीखेज प्रकरण

राज्य में **''कानून का राज''** कायम रखने की दृष्टि से अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिये **''चिन्हित जघन्य ओर सनसनीखेज प्रकरणों''** का चयन राज्य शासन द्वारा किया जाता है । इन मामलों में गंभीरतापूर्वक त्वरित गति से अनुसंधान और न्यायालय में इन प्रकरणों में यथेष्ठ रूप से पैरवी करने हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन मामलों में सत्र न्यायालयों के समक्ष उप संचालक/लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की जाती है।

उप संचालक/लोक अभियोजकों द्वारा पैरवी किये जाने पर चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों में और भी अच्छे परिणाम व नतीजे प्राप्त हुये है। (तालिका निम्नवत है)

भादवि के प्रकरणों का सजायाबी का प्रतिशत वर्ष 2015–16 में निराकृत जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण

दिसंबर 2015	कुलनिराकृत प्रकरण	सजा	दोषमुक्त	साजा का प्रतिशत
दिसंबर	203	147	56	72%

राज्य द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज मामलों के अलावा लैगिंग अपराधों से बालकों को संरक्षण अधिनियम 2012, अनु.जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि.1989, एनडीपीएस एक्ट, विधि विरोद्ध क्रियाकलाप अधि., महिलाओं के उत्पीडिन के विरूद्ध मामलों में विशेष रूप से अभियोजकों को अधिकृत कर न्यायालयों से विचारण कराये जाने के निर्देश दिये गये है। इसके साथ ही आय से अधिक संपति रखने एवं उनकी अवैधानिक संपति को राजसात करवाये जाने के लोकायुक्त संगठन एवं आर्थिक अपराध अनुसंधान के मामलों के लिए भी अभियोजन अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

इसके अलावा सत्र न्यायालयों में भारतीय दण्ड संहिता के अंगर्तत के लंबित मामलों में भी अभियोजन अधिकारियों द्वारा विचारण करवाया जा रहा है। राज्य में सत्र न्यायालयों में प्रकरणों की उपलब्ध सांख्यिकी जानकारी अनुसार प्रदेश में भादवि के कुल 4,36,038 प्रकरण लंबित है, **22,704 प्रकरण न्यायालय में नये प्रस्तुत** किये गये। इस प्रकार कुल 4,58,742 प्रकरण उक्त अवधि में लंबित रहे। इनमें से **5580 प्रकरणों में अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा** दी गयी, **3,498 प्ररणों में अभियुक्त दोषमुक्त** किये गये, 17 प्रकरण डिस्चार्ज किये गये, 612 प्रकरण फाईल किये गये, 12,848 प्रकरणों में राजीनामा किया गया, 453 प्रकरणों में अभियुक्त फरार,

1654 सेंशन कोर्ट में कमिट होना शेष हैं। इस प्रकार कुल निराकरण 23,008 रहें तथा 4,35,734 भादवि के न्यायालय में लंबित है। सजा का प्रतिशत 25.35% रहा।

अन्य विधान के कुल 82,257 प्रकरण लंबित थे, 10,515 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गये, इस प्रकार 92,772 प्रकरण न्यायालय उक्त अवधि में रहे। जिसमें से 13,695 प्रकरणों में अभियुक्तों को सजा दी गयी, 2014 प्रकरणों में अभियुक्त दोषमुक्त हुए,3 प्रकरण डिसचार्ज हुए,138 प्रकरण फाइल हुए,1968 प्रकरणों में राजीनामा हुआ, 310 प्रकरणों में अभियुक्त फरार, 349 प्रकरण जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट में कमिट हुए, 212 प्रकरण वापस, कुल 18,689 प्रकरणों का निकाल हुआ, कुल 74,083 प्रकरण न्यायलय में शेष लंबित हैं। सजा का प्रतिशत 87.16% रहा।

भाग–दो

बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)

लोक अभियोजन संचालनालय मध्यपदेश के लिए बजट की राशि संचालनालय के अधीन जिला लोक अभियोजन अधिकारियों के कार्यालय एवं तहसील स्तर के अभियोजन कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते तथा कार्यालयीन व्यय हेतु दी जाती है। जिला स्तर पर जिला लोक अभियोजन अधिकारियों द्धारा आहरण एवं संवितरण अधिकारी का कार्य भी संपन्न किया जा रहा है। विभाग के लिये वर्ष 2015–2016 के लिये बजट हेतु रूपए 41,41,48,000 (रूपए इक्तालीस करोड़ इक्तालीस लाख अडतालीस हजार रूपये केवल) का आवंटन दिया गया है।

भंडार गृह

1– संचालनालय एवं अधीनस्थ जिला अभियेाजन कार्यालय में पदस्थ अभियोजन अधिकारियो के विधिक संज्ञान एवं परामर्श हेतु वर्ष 2016 के लिये विधिक पत्रिकाएं प्रदाय की गई।

2– अभियोजन अधिकारियों के न्यायालय में किये गये कार्यो के लिये दैनंदिनी रजिस्टर प्रदाय किये गये हैं।

3– संचालक लोक अभियोजन के लिये 01 नवीन वाहन क्रय किया गया है।

4– ''अभियोजन संकुल'' (प्रशासकीय भवन सह राज्य अभियोजन प्रशिक्षण संस्थान) हेतु नीलबड में प.ह. नं0 33 मण्डल रातीबड़ 03 खसरा नं. 117 तहसील हुजूर सीहोर रोड भोपाल में 7.5 एकड़ भूमि आरक्षित कर आवंटन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसी प्रकार जिला अभियोजन कार्यालय एवं तहसील अभियोजन कार्यालय हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रचलन में है।

5– अभियोजन संचालनालय एवं जिला अभियोजन कार्यालय हेतु नवीन कम्प्यूटर क्रय कर प्रदाय किये जा रहें हैं।

आई0टी0 शाखा की जानकारी–

1– **ई-प्रॉसिक्यूशन पोर्टल** – लोक अभियोजन संचालनालय म.प्र. द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया है। जिसके माध्यम से न्यायालय में विचाराधीन एवं निर्णित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरणों की अध्यतन स्थिति की ऑनलाइन मोनिटरिंग की जा सकती है। पोर्टल के माध्यम से संचालनालय द्वारा कोई भी आदेश, परिपत्र, सूचना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के अभियोजन कार्यालयों तक अल्प समय में प्रेषित करके तुरंत जानकारी प्राप्त की जाती है। पोर्टल पर अभियोजन विभाग के सम्बन्ध में जानकारी को आम जनता द्वारा देखा जा सकता है। पोर्टल में नियमित रूप से सुधार आवश्यकता के अनुसार किया जा रहा है एवं एम.पी.आर. सिस्टम (मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट इनफार्मेशन सिस्टम) पर प्रायोगिक कार्य किया जा रहा है। इस पोर्टल के द्वारा शासन की ई–गवर्नेंस योजना को सार्थक बनाने में सहयोग किया जा रहा है ।

2– **मध्यप्रदेश शासन की ई–मेल पॉलिसी 2014 -** लोक अभियोजन संचालनालय द्वारा नीति को प्राथमिकता प्रदान करते हुए सम्पूर्ण म.प्र. के अधिकारीयों/कर्मचारियों के ७३४ शासकीय ईमेल आईडी बनाए जा चुके है तथा ७० शासकीय ईमेल पूर्व से कार्यरत है, शेष ईमेल निर्मित करने की कार्यवाही प्रचलन में है। संचालनालय द्वारा समस्त जानकारी नीति के अनुसार ईमेल द्वारा ही प्रेषित की जा रही है एवं प्राप्त की जा रही है। विभाग द्वारा मध्यप्रदेश शासन की ईमेल पालिसी २०१४ को सार्थक बनाने में सहयोग किया जा रहा है ।

3– **डिजिटल ई – लायब्रेरी -** लोक अभियोजन संचालनालय म.प्र. द्वारा समस्त अभियोजन अधिकारियों को न्यायालय में अभियोजन पक्ष को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करने हेतु डिजिटल ई–लाइब्रेरी लैपटॉप के साथ प्रदान की गई है। जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय तुरंत देखकर उन्हें न्यायालय में समय पर प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा विगत वर्षों में दोषसिद्धि प्रतिशत में वृद्धि हुई है ।

4– **स्वान कनेक्टिविटी -** लोक अभियोजन संचालनालय म.प्र. द्वारा किये गए प्रयासों से म.प्र. शासन की मंशा अनुरूप संचालनालय एवं म.प्र. के २७ अभियोजन कार्यालयों में स्वान कनेक्टिविटी स्थापित की जा चुकी है। शेष जिलों में भी स्वान कनेक्शन हेतु प्रयास जारी है ।

5– **प्रॉसिक्यूशन मोबाईल एप्लीकेशन -** म.प्र. शासन के द्वारा एम.पी. मोबाईल एप्लीकेशन के द्वारा समस्त विभागों की मोबाइल एप्लीकेशन एक प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस दिशा में संचालनालय लोक अभियोजन म.प्र. द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन के सम्बन्ध कांसेप्ट नोट तैयार कर गृह विभाग, म.प्र. शासन को प्रेषित कर दिया गया है। शासन स्तर पर कार्यवाही प्रचलन में है।

6– **भविष्य की प्रस्तावित योजनाएं -** अभियोजन विभाग के अंतर्गत समस्त अभियोजन कार्यालयों में ई–ऑफिस योजना लागू करते हुए फाइलों का डिजिटलाईजेसन करना, फाइल ट्रेकिंग सिस्टम लागू करना, एवं आईटी के क्षेत्र में अभियोजन विभाग का आधुनिकीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

भाग–तीन

सारांश

राज्य शासन का यह प्रमुख दायित्व है, कि राज्य में कानून का राज्य स्थापित किया जाये। यदि कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे उसके कृत्य के लिए शासन जाति, लिंग, भाषा एवं धर्म का भेदभाव किये बिना पीड़ित नागरिकों के साथ घटित अपराध के लिए अपराधियों को दण्डित कराए, तभी जन सामान्य में शासन और कानून के प्रति श्रद्वा उत्पन्न होती है तथा कानून और व्यवस्था स्थापित की जाती हैं और राज्य का आर्थिक विकास संभव होता है । यदि वास्तविक अपराधीगण को सजा नहीं मिलती तो उनके हौसले बुलन्द होते हैं और कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। इस कारण अपराधियों को दण्डित कराना और दाण्डिक न्याय व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग के रूप में, विभिन्न न्यायालयों में लंबित दाण्डिक प्रकरणों में राज्य अर्थात ''लोक'' की ओर से प्रभावी पैरवी कर त्वरित व गुणवत्तापूर्ण न्यायदान हेतु न्यायालय को सहयोग करना, ''राज्य'' का प्रमुख उत्तरदायित्व है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु वर्तमान अभियोजन व्यवस्था को उत्तरोत्तर सुदृढ किया जा रहा है और शीघ्र ही इसके अच्छे परिणाम भी सामने आने की उम्मीद है।

राज्य की महिला नीति 2015–16 के कियान्वयन हेतु कार्ययोजना :–

कानून, हिंसा, न्याय विवेचना और अभियोजन–

राज्य की महिला नीति वर्ष 2015–16 हेतु महिलाओं के लिये किये गये कार्य के संबंध में गृह विभाग में (अभियोजन) से संबंधित बिंदुओं पर टीप निम्नानुसार है :–

1/ **बिंदु कं. 149 – अभियोजन कर्मियों, के लिये प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण के कार्यकमः–**

अभियोजन अधिकारियों के कार्यकुशलता, कानून ज्ञान, प्रशासनिक कार्य एवं दक्षता में वृद्धि हेतु एल.एन.जे.एन नई दिल्ली एवं आर.सी.वी.पी.नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी भोपाल, सायबर सेल मुख्यालय भोपाल एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल आदि में प्रशिक्षण दिलाये गये हैं ।

2/ **बिंदु कं. 150 – लोक अभियोजकों में और वकीलों के पैनलों में महिलाओं की संख्या बढानाः–**

लोक अभियोजक के पद के लिये वकीलों के पैनल विधि विभाग द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। अभियोजन विभाग में नियमित संवर्ग में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, उप–संचालक,(अभियोजन)/लोक अभियोजक के पद हैं । वर्तमान में विभाग में महिला अधिकारियों में 02 उप–संचालक,(अभियोजन)/लोक अभियोजक, 25 जिला लोक अभियोजन अधिकारी/अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं 166 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यरत हैं, यह संख्या उत्साहवर्धक व स्वागत योग्य है।

3/ **बिंदु कं. 151 – अभियोजकों में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व :–**

बिंदु कं. 2 के अनुसार ।

4/ **बिंदु कं. 152 –महिला अभियोजक न होने पर पीडित महिला की सहायता के लिये महिला वकील :–** विधि विभाग से संबंधित है ।

5/ **बिंदु कं. 154, 156 – महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामलों के लिये जिला स्तर की समिति द्वारा विशेष मानीटरिंग :–**

यह बिंदु महिला/बाल विकास विभाग से संबंधित है। फिर भी महिलाओं से संबंधित न्यायालयीन समस्त प्रकरणों के संबंध में म0प्र0 के उप–संचालक, (अभियोजन) एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारियों से उक्त सही जानकारी एकत्रित की जा रही है।किन्तु प्रादेशिक स्तर पर पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत महिलाओं के प्रति अपराध शाखा (सीएडब्ल्यू) में चार उप संचालक अभियोजन अधिकारी नियुक्त किये गए हैं जो महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की विशेष मॉनीटरिंग में सहायता करते हैं।

6/ **बिंदु कं. 155 – न्यायिक कर्मी, पुलिस और प्रशासन के लिये प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण के**

कार्यक्रम :– अभियोजन संचालनालय से संबंधित न होने से निरंक

कानूनी सहायता एवं मार्गदर्शन

7/ **बिंदु कं. 178– हर आयु और आय वर्ग की हिंसा की शिकार महिलाओं को कानूनी सहायताः–**

इस संबंध में विधि विभाग द्वारा शासकीय अभिभाषक की पैनल लॉयर से नियुक्ति की जाती है। अभियोजन विभाग में भी महिला जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी को इस संबंध में सहायता हेतु प्रत्येक जिले में पदस्थ किये जाने हेतु कार्यवाही की जावेगी।

कार्यान्वयन, मानीटरिंग और मूल्यांकन

8/ **बिंदु कं. 214 – सभी विभागों के अधिकारियों को जेन्डर संवेदनशीलता का प्रशिक्षणः–**

प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना आने पर अभियेाजन अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

9/ **बिंदु कं. 218 – हर विभाग में एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामांकित किया जाना :–**

महिला अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है ।

प्रतिवेदन एवं मूल्यांकन–

10/ **बिंदु कं. 227 – सभी विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन में महिलाओं के लिये किये गये कामों पर अलग खंड :–** वर्ष 2015 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन में इसका पालन किया गया है ।

सामान्य–

11/ **बिंदु कं. 230 – महिला समूहों को वैद्य और जरूरी समूहों के रूप में मान्यता :–**

प्रशासनिक विभाग से मार्गदर्शिका प्राप्त होने पर ।

12/ **बिंदु कं. 231 – महिलाओं को विकास के केन्द्र में रखने के लिये कार्यक्रमों की पुनर्रचनाः–**

प्रशासनिक विभाग से मार्गदर्शिका प्राप्त होने पर ।

13/ **बिंदु कं. 232 – महिलाओं के नाम से दिये गये आवंटन का पर्याप्त होना :–**

प्रशासनिक विभाग से मार्गदर्शिका प्राप्त होने पर ।

14/ **बिंदु कं. 233 – सभी विभागीय नीतियों और योजनाओं में महिलाओं के लिये समतामूलक परिणामों को मापना :–** प्रशासनिक विभाग से मार्गदर्शिका प्राप्त होने पर ।

वर्ष 2015–16 में विभाग के उल्लेखनीय कार्य–

1– शासन द्वारा लोक अभियोजन संचालनालय,जिला अभियेाजन कार्यालयो एवं तहसील अभियोजन कार्यालयों में अभियोजन कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु वर्ष 2015 में विभिन्न श्रेणियों में अधिकारियों/कर्मचारियों के कुल 605 नवीन पद स्वीकृत किये गये है।

2– वर्ष 2015–16 में उप संचालक अभियोजन से संयुक्त संचालक के स्वीकृत 01 पद पर 03 बार पदौन्नति की गई ।

3– शासनादेश दिनांक 14.05.2015 द्वारा 03 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों की जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है।

4– शासनादेश दिनांक 09.12.2015 द्वारा 87 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों की अति जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है।

5— जिला लोक अभियोजन अधिकारी से उप संचालक, अभियोजन के पद पर नियमित पदौन्नति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

वर्ष 2015—16 में अभियोजन अधिकारियों द्वारा किये गए प्रशिक्षण सत्रों का विस्तृत विवरण —

1. 13 वें वित आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से अभियोजन अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु इस वित्तीय वर्ष 2015—16 कुल 120 अभियोजन अधिकारियों को विधिक एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाया गया।

2. एलएनजेएन दिल्ली में अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

3. सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय अकादमी हैदराबाद में अभियोजन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

4. साइबर अपराध से संबंधित 02 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन साइबर क्राइम मुख्यालय भोपाल में किया गया ।

विभागीय जांच :—

वर्ष 2015—16 में विभागीय जांच की स्थिति निम्नानुसार है :—

1—	वर्ष 2015 में लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की संख्या	—	23
2—	वर्ष 2015 में संस्थित विभागीय जांच प्रकरणों की संख्या	—	09
3—	वर्ष 2015 में निराकृत विभागीय जांच प्रकरणों की संख्या	—	08
4—	दिनांक 2015 में शेष लंबित विभागीय जांच प्रकरणों की संख्या	—	24

न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारीः— राजपत्रित/अराजपत्रित संवर्ग

पूर्व लंबित प्रकरण	प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरण	नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी	अंत में प्रभारी अधि0नियुक्त करने के लिए शेष रहे प्रकरण	वे प्रकरण जिनमें प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई
54	2	56	54	02	2

———*******———

संचालनालय सैनिक कल्याण, मध्य प्रदेश
विभागीय वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन – वर्ष 2015–2016

भाग–एक

1. संचालनालय सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश शासन का एक स्थाई विभाग है जो गृह (सामान्य) विभाग के अधीन कार्यरत है। यह विभाग प्रदेश के युद्ध में शहीद सैनिको की विधवाओ, भूतपूर्व सैनिको की विधवाओ, विकलांग भूतपूर्व सैनिको एवं अन्य भूतपूर्व सैनिको के कल्याण एवं पुर्नवास तथा सेवारत सैनिको के परिवार के सदस्यों के कल्याण संबंधी कार्य करता है । संचालनालय सैनिक कल्याण के अर्न्तगत वर्तमान में प्रदेश के 24 जिलो में जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कार्यरत है जो निम्नानुसार है:–

(अ) बैतूल	(ब) भिण्ड	(स) भोपाल	(द) छतरपुर	(ई) छिदंवाड़ा
(क) दमोह	(ख) खंडवा	(ग) ग्वालियर	(ध) गुना	(ड.) होशंगाबाद
(च) इन्दौर	(छ) जबलपुर	(ज) मंदसौर	(झ) मुरैना	(ञ) नंरसिहपुर
(ट) रतलाम	(ठ) रीवा	(ड) सतना	(ढ) सागर	(ण) सिवनी
(त) शहडोल	(थ) सीधी	(द) टीकमगढ़	(घ) उज्जैन	

2. देश के औसतन 55,000 सैनिक प्रत्येक वर्ष 35 से 50 वर्ष की आयु में सेना से सेवानिवृत होते है । इनमे से मध्यप्रदेश के सैनिक लगभग 1500–2000 होते है । इस संचालनालय का प्रमुख कार्य युद्ध में शहीद सैनिको की विधवाओ, भूतपूर्व सैनिको की विधवाओ उनके आश्रितो, विकलांग भूतपूर्व सैनिको तथा अन्य भूतपूर्व सैनिको के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु तथा सेना में सेवारत सैनिको के परिवार के सदस्यो के कल्याण संबंधी कार्यो में सहायता प्रदान करना है । मध्य प्रदेश राज्य का सैन्य सेवा हेतु भर्ती कोटा अब बढ़ कर 7.5 प्रतिशत हो गया है, अतः भविष्य में 4000 – 5000 सैनिक प्रति वर्ष सेवानिवृत्त हो कर प्रदेश में बसेंगे, उनके हित के लिए यह संचालनालय कार्यरत व तैयार है।

विभागीय गतिविधियॉ / दायित्व–

3. राज्य शासन द्वारा ''मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष'' की स्थापना की गई है जिसके अन्तर्गत युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में शहीद सैनिको की विधवाओ एवं विकलांग सैनिको को उनकी अशक्तता के अनुरूप अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाता है ।

(अ) **अनुग्रह अनुदान** :– शासन के आदेशानुसार युद्व अथवा सैनिक कार्यवाही में शहीद सैनिको / अर्ध सैनिक बलों के आश्रितो को रुपये दस लाख का अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाता है । अभी तक मुख्यमंत्री कारगिल सहायता कोष से 125 प्रकरणो में रुपये 12 करोड़ 41 लाख 50 हजार स्वीकृत किये जा चुके हैं। युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में विकलांग हुये भूतपूर्व सैनिको के लिये विकलांगता के अनुसार रुपये 10 लाख तक राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किये जाते है । अभी तक 27 विकलांग सैनिकों को रूपये 01 करोड़ 39 लाख 60 हजार स्वीकृत किये जा चुके है ।

(ब) **शौर्य अलंकरण प्राप्तकर्ताओं को वित्तीय सहायता** :– जिला भिण्ड के निवासी केप्टन राम प्रीत सिंह, शौर्य चक्र विजेता कों रूपये 8,00,000 / – एवं रूपये 1,500 / – मासिक अनुदान

तथा जिला इन्दौर के कर्नल गौरव ऋषी, शौर्य चक्र, एवं जिला ग्वालियर की श्रीमति सीमा शर्मा वीर नारी शहीद लांस नायक अनूप कुमार, शौर्य चक्र (मरणोपरांत) को रूपये 45,000/– इसके अलावा जिला भोपाल के मेजर उपिन्दरपाल सिंह, सेना मेडल को रूपये 23,000/– प्रदान किया गया।

(स) **<u>आर्थिक सहायता</u>** :– वर्ष 2015–2016 में 283 भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं एवं उनके आश्रितो को विभिन्न उद्देश्यो के लिये अभी तक रुपये 38,15,109/– (दिनांक 04.01.2016 की स्थिति में) की आर्थिक सहायता कल्याण निधि से वितरित की गई है ।

(द) **<u>मध्यप्रदेश के स्थाई निवसी विशिष्ट सेवा श्रेणी के मेडल प्राप्तकर्ताओं को नगद अनुदान</u>**:–

शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्तकर्ताओं को निम्नानुसार अनुदान राशि प्रदान किये जाने का आदेश जारी कर दिया गया है :–

स.क्र.	विशिष्ट सेवा श्रेणी के मेडल का नाम	न्गद अनुदान राशि (रूपये)
1.	परम विशिष्ट सेवा मेडल	रूपये 1,00,000/–
2.	अति विशिष्ट सेवा मेडल	रूपये 50,000/–
3.	विशिष्ट सेवा मेडल	रूपये 25,000/–
4.	सेना मेडल (विशिष्ट सेवा)	रूपये 20,000/–

(क) **<u>भूतपूर्व सैनिको के लिये भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत पॉलीक्लीनिक</u>**:– भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के तहत पॉलीक्लीनिक निर्माण हेतु असैन्य क्षेत्र उज्जैन में शासकीय भूमि के आवंटन हेतु प्रयास जारी है

(ख) **<u>रोजगार</u>** :– युद्ध अथवा सैनिक कार्यवाही में शहीद सैनिक अधिकारी/सैनिको की विधवाओ/आश्रितो के किसी एक सदस्य को उनकी शैक्षणिक योग्यतानुसार तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदो पर शासकीय सेवा में नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2015–16 में एक विधवा को शासकीय सेवा में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।

(ग) राज्य शासन द्वारा द्वितीय विश्व युध्द के 342 नान पेंशनर्स भूतपूर्व सैनिको/विधवाओं को रुपये चार हजार प्रतिमाह दिनांक 17.08.2015 से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है ।

(घ) **<u>छात्रवृत्ति</u>** :– वर्ष 2015–2016 में विभिन्न कक्षाओ में उत्तीर्ण भूतपूर्व सैनिकों के बच्चो को मार्च माह में छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी ।

(ञ) **<u>पुनर्वास</u>** :– भारतीय सशस्त्र सेना से सेवा निवृत्त होने वाले भूतपूर्व सैनिक अपेक्षाकृत जवान होते है । अतः केन्द्र शासन और राज्य शासन का यह उत्तरदायित्व है कि उनके

पुनर्वास हेतु उन्हें पुर्ननियोजित करे । राज्य शासन ने संचालनालय सैनिक कल्याण को रोजगार हेतु भूतपूर्व सैनिको का नाम प्रायोजित करने के लिए अधिकृत किया गया है कि वे केन्द्र शासन, राज्य शासन और सार्वजनिक उपक्रमो में भूतपूर्व सैनिको के लिये आरक्षित पदों के लिये भूतपूर्व सैनिकों के नाम प्रायोजित करें । भूतपूर्व सैनिको हेतु आरक्षण निम्नानुसार हैः–

शासकीय/सार्वजनिक उद्योग	आरक्षण की दर	
	तृतीय वर्ग	चतुर्थ वर्ग
केन्द्र शासन	10 प्रतिशत	20 प्रतिशत
सार्वजनिक उपक्रम	14.5 प्रतिशत	24.5 प्रतिशत
राज्य शासन	10 प्रतिशत	20 प्रतिशत

वर्ष 2015–16 में केन्द्र शासन, प्रदेश शासन, केन्द्र शासन के उपक्रमो, बैंकों एवं अन्य संस्थाओं में **ग्रुप सी एवं डी** में क्रमशः **596 एवं 2258** भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

4. **सैनिक विश्राम गृह** :– भूतपूर्व सैनिकों को महत्वपूर्ण शहरो में प्रवास के दौरान आरामदेह और सस्ती सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सैनिक विश्राम गृह बनाये गये है । उनके निर्माण का खर्च केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा आधा – आधा वहन किया जाता है । वर्तमान में सैनिक विश्राम गृह निम्न जिलों में स्थित है :–

1. जबलपुर	2. मुरैना	3. भिण्ड	4. इन्दौर	5. भोपाल	6. सागर
7. ग्वालियर	8. छिन्दवाडा	9. रीवा	10. होशंगाबाद	11. रतलाम	12. सतना
13. खण्डवा	14. उज्जैन				

उपरोक्त के अतिरिक्त मंदसौर, छतरपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बैतूल, दमोह, सीधी, शहडोल, टीकमगढ़, गुना एवं शिवपुरी में सैनिक विश्राम गृह स्थापित करने हेतु शासन की ओर से भूमि आवंटित कर दी गई है।

5. **राज्य सैनिक बोर्ड मीटिंग/समामेलित विशेष निधि मीटिंग** :– समामेलित विशेष निधि की 16 वीं बैठक राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25 मई 2015 को संपन्न हुई है। राज्य सैनिक बोर्ड की 19वी बैठक फरवरी 2016/मार्च 2016 में किया जाना प्रस्तावित है ।

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी

6. **भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार** :– भूतपूर्व सेनिकों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश से मध्यप्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति की स्थापना वर्ष 1992 से की गई है, जिसके माध्यम से वर्तमान में 445 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

7. **सीएम हेल्प लाइन** – सेवारत सैनिक/भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित अपनी शिकायतो के निवारण हेतु सीएम हेल्प लाइन में शिकायत दर्ज करा सकते है । शिकायतों का निराकरण सात दिवस में किया जाता है ।

8. **भूतपूर्व सैनिक रैली** – वित्तीय वर्ष 2015–2016 में 02 राज्य एवं 04 जिला स्तरिय रैलियों का आयोजन किया गया है । राज्य स्तरीय रैली का आयोजन इन्दौर एवं भिण्ड में किया गया तथा जिला स्तरिय रैलियो का आयोजन होशंगाबाद, सिवनी में किया गया जिसमें जिला नरसिंहपुर एवं जिला शहडोल होना शेष है।

भाग–दो

योजनानुसार बजट, बजट प्रबंधन एवं व्यय

1. **बजट** :– संचालनालय सैनिक कल्याण एंव जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के स्थापना एवं कार्यालयीन व्यय पर होने वाले सम्पूर्ण व्यय का 60 प्रतिशत भाग केन्द्रीय शासन एवं 40 प्रतिशत राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मांग संख्या–4 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय आयोजनोत्तर के अन्तर्गत इस विभाग के लिये बजट आवंटित किया जाता है । गत तीन वर्षो का बजट आवंटन एवं व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

वर्ष	कुल बजट आवंटन	वर्ष का कुल व्यय
2013–2014	11,39,03,000.00	9,98,55,340.00
2014–2015	11,45,20,000.00	10,65,10,331.00
2015–2016	12,07,29,000.00	8,79,27,008.00 (दिनांक 31.12.2015)

झंडा दिवस राशि (लक्ष्य एवं एकत्रीकरण)

2. **झंडा दिवस** :– प्रत्येक वर्ष 07 दिसम्बर को समस्त भारत वर्ष में झंडा दिवस का आयोजन किया जाता है। झण्डा दिवस में शासकीय, निजी एवं सामान्य जनता से भूतपूर्व सैनिको/विधवाओ के कल्याण हेतु दान राशि एकत्रित की जाती है, इस राशि का उपयोग भूतपूर्व सैनिको/विधवाओं एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति, विकलांग/अंध बच्चों को आर्थिक सहायता एवं जीवन यापन इत्यादि हेतु किया जाता है। यह राशि समामेलित विशेष निधि में जमा की जाती है जिसके अध्यक्ष मा0 राज्यपाल महोदय होते है। गत चार वर्षो में एकत्रित की गई धन राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	लक्ष्य	एकत्रित धन राशि
2012	2,17,61,000.00	1,88,86,928.00
2013	2,17,61,000.00	1,91,65,576.00
2014	2,19,61,000.00	2,11,34,636.00
2015	2,19,61,000.00	2,47,93,037.00

भाग–तीन

सामान्य प्रशासनिक विषय

1. **विभाग में न्यायालयीन प्रकरण** – एक प्रकरण विचाराधीन है।

2. **नियुक्तियॉ** :– वर्ष 2015–16 में प्रथम श्रेणी अधिकारीयो के 04 पद यथा ग्वालियर भिण्ड, रतलाम एवं मन्दसौर में नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अलावा विभाग में 11 कर्मचारीयों की विभिन्न रिक्त पदो के विरूद्ध नियुक्ति दी गई।

3. **विभागीय पदोन्नतियॉ**:– इस संचालनालय के अंतर्गत 24 जिला सैनिक कल्याण कार्यालय कार्यरत है। वर्ष 2015–16 में 02 तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नती की गई है।

4. **स्थानांतरण** :– 03 अधिकारीयों एवं 25 कर्मचारियों के स्थानांतरण उनके द्वारा चाहे गये स्थान पर स्वयं के निवेदन पर किये गये ।

भाग–पॉच

अभिनव योजना

1. **सैनिक विश्राम गृह** :– भूतपूर्व सैनिकों को महत्वपूर्ण शहरो में प्रवास के दौरान आरामदेह और सस्ती सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मंदसौर, छतरपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बैतूल, दमोह, सीधी, शहडोल, टीकमगढ़, गुना एवं शिवपुरी में सैनिक विश्राम गृह स्थापित करने हेतु शासन की ओर से भूमि आवंटित कर दी गई है। स्वीकृति प्राप्त होते ही एवं बजट आवंटित होने पर इनका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

भाग–छः

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

विभाग की जानकारी हितग्राहियों तक पहुचाने के लिये प्रति वर्ष एक
'सूचना पुस्तिका' का प्रकाशन किया जाता है।

विभाग की वेब साईट

www.rsbmp.nic.in

भाग–सात

सारांश

इस संचालनालय का मुख्य कार्य सेना से सेवानिवृत्त होने वाले सैनिको को पुनर्वास उपलब्ध कराना एवं भारतीय सशस्त्र सेना में सेवारत् शहीद सैनिकों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिको के पुनर्वास हेतु कल्याणकारी योजनायें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना है । जिसके लिए राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न प्रमुख विकसित संस्थाओं/निकायों, सरकारी एवं निजी स्त्रोतों तथा भिन्न भिन्न विभागों से संपर्क किया जाता है । इसके अलावा संचालनालय एवं जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के माध्यम से जरूरतमंद, निःसहाय भूतपूर्व सैनिको एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता स्वीकृत की जाती है । कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन–जन तक पहुॅचाने के लिये भूतपूर्व सैनिक रैलियों का आयोजन किया जाता है तथा इन रैलियों में विभिन्न स्टॉल लगाकर समस्याओं का निराकरण किया जाता है एवं सुविधायें प्रदान की जाती है जैसे चिकित्सा, पेंशन, अन्य समस्याओं का समाधान, राजस्व विभाग, सी.एस.डी. कैन्टीन, रिकार्ड ऑफीस इत्यादि ।

———*******———

कार्यालय संचालक, संपदा संचालनालय, भोपाल
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष–2015–2016

Website : www.mpsampada.in & E-mail : directorsampada@gmail.com

भोपाल में विभिन्न श्रेणियों के लगभग 11202 शासकीय आवासों का आवंटन एवं प्रबंधन संपदा संचालनालय द्वारा किया जाता है। भवनों का विवरण निम्नानुसार हैः–

बी श्रेणी	**–**	**105 शासकीय आवास**
सी श्रेणी	**–**	**61 शासकीय आवास**
डी श्रेणी	**–**	**255 शासकीय आवास**
ई श्रेणी	**–**	**483 शासकीय आवास**
एफ श्रेणी	**–**	**1981 शासकीय आवास**
जी श्रेणी	**–**	**3649 शासकीय आवास**
एच श्रेणी	**–**	**2159 शासकीय आवास**
आई श्रेणी	**–**	**2509 शासकीय आवास**
कुल योग	**–**	**11202 शासकीय आवास**

वर्तमान में 'भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम, 2000' (संशोधित 04.10.2013) प्रभावशील है, जिसके अन्तर्गत शासकीय आवास आवंटन की कार्यवाही की जाती है एवं मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 के अधीन निष्कासन प्रकरण भी संधारित किये जाते हैं। आवासों के आवंटन हेतु सामान्यतः भोपाल में पदस्थापना की वरिष्ठता का क्रम रखा जाता है। 'एफ' श्रेणी के आवासों में पदस्थापना की वरिष्ठता एवं वेतनमान की वरिष्ठता दोनों के अनुसार आवास आवंटित किये जाते हैं। 'एफ' श्रेणी के आवास आवंटन समिति के निर्णय के अनुसार संचालक द्वारा आवंटित किये जाते हैं।

2) 'जी', 'एच' एवं 'आई' श्रेणी के आवासों का आवंटन पूर्णतः भोपाल में पदस्थापना की वरिष्ठता के आधार पर ही किया जाता है और यह वरिष्ठता सूची स्थायी रूप से संधारित होकर संचालनालय की वेबसाइट www.mpsampada.in पर भी प्रदर्शित की गई है। इन श्रेणियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, गंभीर बीमारी,

महिला कोटा (विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित) आदि के लिये आरक्षण है। अतः आरक्षित श्रेणियों की वरिष्ठता पृथक–पृथक संधारित की जाती है।

शासकीय आवासों का आवंटन आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाता है।

एफ एवं जी श्रेणी तथा एच एवं आई श्रेणी के आवासों हेतु निम्नानुसार आरक्षण लागू हैः–

क.	विवरण	एफ/जी श्रेणी प्रतिशत में	एचएवं आई श्रेणी प्रतिशत में
1	अनुसूचित जाति	5	7
2	अनुसूचित जनजाति	5	8
3	अन्य पिछडा वर्ग	8	8
4	महिला वर्ग	5	5
5	मंत्रालय कोटा	7	7
6	विंकलांग कोटा	2	2
7	गंभीर बिमारी कोटा	2	2

3) विधानसभा कोटा अंतर्गत चारो श्रेणी (एफ , जी , एच एवं आई) में प्रत्येक तीन माह में 1–1 आवास आवंटित करने के प्रावधान है ।

4) <u>भौतिक उपलब्धियां</u> :–

वर्ष 2015 में माह जनवरी 2015 से माह दिसम्बर 2015 तक विभिन्न श्रेणियों के कुल 1529 आवास आवंटित किये गये, जिसमें एफ श्रेणी के 321, जी श्रेणी के 491, एच श्रेणी के 443 एवं आई श्रेणी के 274 आवास आवंटित किये गये।

5) <u>निष्कासन</u> :–

वर्ष 2015 में माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक सामान्य पूल के विभिन्न श्रेणियों के 148 प्रकरण दर्ज किये गये, जिसमें मध्यप्रदेश लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाकर कुल 25 शासकीय आवास रिक्त कराये गये।

6) <u>बजट प्रावधान वर्ष 2015–16</u> :–

वित्त वर्ष 2015–2016 में शासन से प्राप्त बजट आंवटन की स्थिति निम्नानुसार है। मुख्य शीर्ष मांग संख्या 2216 आवास 80 सामान्य 001 निर्देशन व प्रशासन 5347 संपदा संचालनालय भोपाल आयोज्नेत्तर मद में वर्ष 2015–16 अंतर्गत निम्नानुसार बजट प्राप्त हुआ हैः–

लधु शीर्ष	राशि लाख में
11 वेतन भत्ते	77.71
12 मजदूरी	05.00
21 यात्रा भत्ता	0.60
22 कार्यालय व्यय एवं अन्य	23.86
योग	107.17

7) संपदा संचालनालय हेतु शासनादेश क्रमांक एफ–1/144/93/दोए(3), दिनांक 28.10.1993 द्वारा पदों का सृजन किया गया है। उक्त पदों को आयुक्त भोपाल संभाग,भोपाल एवं कलेक्टर कार्यालय ,भोपाल अथवा अधिनस्थ कार्यालय के कर्मचारियों से निश्चित समयावधि के लिये भरा जाता है।

पात्र कर्मचारियों को नियमानुसार समयमान वेतनमान प्रदान किया गया है। विभागीय जांच की जानकारी निरंक है।

न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी, संपदा संचालनालय द्वारा समस्त प्रकरणों में जवाब दावा प्रस्तुत किया जा चुका है।

8) आवास आवंटन एवं लेखा संधारण की प्रक्रिया का पूर्ण ऑटोमेशन किया जा रहा है। जिसके तहत् वेबबेस्ड साफ्टवेयर में आवेदन पत्र देने व आवास आवंटन किये जाने की आनलाईन व्यवस्था की गई है। संपदा संचालनालय द्वारा इस दिशा में भोपाल स्थित सभी शासकीय कार्यालयों के डीडीओं को सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर On-line आवेदन की व्यवस्था करवाई गयी है। आवास आवंटन होने पर ई–मेल/एस.एम. एस. द्वारा आवंटितीयों को आवंटन की सूचना भी दी जा सकेगी। शासकीय आवासों के आवंटन के कार्य को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिये प्रयास किये गये हैं।

9) **<u>भर्ती नियम</u>** : संपदा संचालनालय, भोपाल के तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2015 तैयार किया जाकर 'राजपत्र' में प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही हैं।

10) **<u>भोपाल विकास प्राधिकारण की पुनर्धनत्वीकरण योंजना</u>** के अन्तर्गत वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत साउथ टी.टी.नगर एवं शाहजहॉनाबाद क्षेत्र के शासकीय आवासों को तोड़कर नवीन आवास का निर्माण भोपाल विकास प्राधिकरण (बी.डी.ए) द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु टूटने वाले आवासों को, रिक्त कराकर प्राथमिकता पर अन्य आवास पात्रतानुसार आवंटित किये जा रहें है।

11) <u>वर्तमान में निम्नानुसार पद रिक्त हैं</u> –

1. **सहायक वर्ग दो – 1 पद**
2. **सहायक वर्ग तीन – 5 पद**
3. **सहायक अधीक्षक – 1 पद**
4. **राजस्व निरीक्षक – 1 पद**

कार्यालय संचालक संपदा संचालनालय भोपाल में विगत पांच वर्षो में किसी भी प्रकार की सीधी नियुक्ति प्रदान नहीं की गयी है।

———*******———

कार्यालय मेडिकोलीगल इन्स्टीट्यूट, भोपाल

(गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय भवन, भोपाल)

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष–2015–2016

---

1. <u>विभागीय संरचना</u> :–

भारत सरकार द्वारा वर्ष–1964 के गठित सर्वेक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्रालय की यह अपेक्षा थी कि देश में प्रत्येक राज्य में मेडिकोलीगल संस्थान की स्थापना इस लिए की जाये कि पूरे देश में मेडिकोलीगल का कार्य बहुत ही निम्न स्तर का था। जिसे उपर उठाया जाये। अतः उस समय की सिफारिश के अनुसार वर्ष–1977 में मध्यप्रदेश शासन को भोपाल में देश का प्रथम मेडिकोलीगल संस्थान की स्थापना का श्रेय प्राप्त हुआ। **इस संस्थान की स्थापना के समय से कुल स्वीकृत पदों की संख्या–53 है।**

<u>मेडिकोलीगल संस्थान, भोपाल के लिए स्वीकृत पदों का सेट–अप/पदों का विवरण</u> :–

क्रमांक.	संवर्ग/ पद नाम	स्वीकृत पदों की संख्या.	भरे पदों की संख्या.	रिक्त/खाली पदों की संख्या.
1.	संचालक	01	01	––
2.	संयुक्त संचालक/प्राध्यापक	01	01	––
3.	सीनियर फोरेन्सिक स्पेशालिस्ट :–			
	1– मेडिकल	01	01	––
	2–नॉन–मेडिकल	01	01	––
4.	जूनियर फोरेन्सिक स्पेशलिस्ट :–			
	1– मेडिकल	03	01	02
	2–नॉन–मेडिकल	01	01	––
5.	मेडिकल ऑफीसर :–			
	1–मेडिकल	07	03	04
	2–नॉन–मेडिकल	04	04	––
6.	प्रशासनिक अधिकारी	01	01	––
7.	कार्यालय अधीक्षक	01	01	––
8.	शीघ्रलेखक	02	01	01
9..	उच्च श्रेणी लिपिक/सहायक ग्रेड–2	01	01	––
10.	कैशियर	01	01	––
11.	स्टोर–कीपर/भण्डारी	01	01	––
12.	सहायक ग्रेड–3	02	00	02
13.	फोटोग्राफर–कम–आर्टिस्ट	01	01	––
14.	प्रयोगशाला तकनीशियन	03	03	––

15.	प्रयोगशाला सहायक	03	03	——
16.	वाहन–चालक / ड्राईवर	01	01	——
17.	प्रयोगशाला परिचारक	03	03	——
18.	दफ्तरी	01	——	01
19.	ज्मादार	01	01	——
20.	भृत्य / चपरासी	05	05	——
21.	स्वीपर नियमित	04	04	——
22.	स्वीपर–जिलाध्यक्ष दर पर	02	02	——
23.	चौकीदार–जिलाध्यक्ष दर पर	01	01	——
योग	कुल पदों का योग	53	43	10

2. विभाग के दायित्व :–

1. मध्यप्रदेश के विभिन्न स्थानों से सन्दर्भित किये गये मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशिष्ट मत देना तथा सन्दर्भित किये गये शवों का शव परीक्षण करना।
2. फोरेन्सिक मेडिसिन विषय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययन में सहायक होना।
3. न्यायालयिक, कार्यपालिक, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के मध्य अत्यन्त निकट का सामनजस्य बनाये रखना तथा अपराध, हत्या, बलात्कार,, आदि प्रकरणों में उपयुक्त परामर्श देना।
4. पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचाारियों , न्याय विभाग के न्यायाधीशों , लोक अभियोयजन अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग के सहायक शल्य चिकित्सकों के अधिकारियों को मेडिकोलीगल विषय में समुचित प्रशिक्षण देना।
5. अप्राकृतिक तथा संदिग्ध मृत्यु के कारणों का पता लगाना।
6. घटना स्थलों का निरीक्षण करना।
7. इस संस्थान में सभी प्रकार की अनुसंधान की प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं। जिसमें मुख्य रूप से फोरेन्सिक एनथ्रोपोलॉजी, एन्टोमोलॉजी, टॉक्सीकोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी तथा डॉयटम–टेस्ट आदि से संबंधित अनुसंधानात्मक प्रयोगशालायें हैं। इसके अतिरिक्त अपराध की पुर्नरचना एवं अनुसंधानात्मक विश्लेषण भी किया जाता है।
8. इस संस्थान में सभी प्रकार की अनुसंधान की प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं । जिसमें मुख्य रूप से फोरेन्सिक एनथ्रोपोलॉजी, एन्टोमोलॉजी, टॉक्सीकोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी तथा डॉयटम–टेस्ट आदि से संबंधित अनुसंधानात्मक प्रयोगशालायें हैं। इसके अतिरिक्त अपराध की पुर्नरचना एवं अनुसंधानात्मक विश्लेषण भी किया जाता है।

9. मेडिकोलीगल संस्थान, मध्यप्रदेश , भोपाल में टॉक्सीकोलॉजी, विष विज्ञान प्रयोगशाला में विसरा जॉच विश्लेषण एवं विष/जहर की जॉच की प्रक्रिया भी प्रारम्भ की जा चुकी है ।

3. विभाग से संबंधित सामान्य जानकारी एवं प्रमुख विशेषताऐं :–

इस संस्थान में मेडिकोलीगल प्रकरणों में विशिष्ट–मत देना, शवों का शव–परीक्षण करना, अप्राकृतिक तथा संदिग्ध मृत्यु के कारणों का पता लगाना एवं इस विषय से संबंधित अन्य प्रमुख कार्य विशेष रूप से किये जाते हैं। इसके अलावा न्यायिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मियों एवं सहायक शल्य चिकित्सकों को मेडिकोलीगल विषय में समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

4. महत्वपूर्ण सांख्यिकीय (01 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर, 2015 तक गत एक वर्ष तक की प्रमुख उपलब्धियॉ) :–

वर्ष–2015–16 में दिनांक 01–01–2015 से 31–12–2015 तक 2837– शव–परीक्षण किये गये , जबकि मेडिकोलीगल एक्सपर्ट ओपीनियन के कुल–122, प्रकरण प्राप्त हुए एवं इसी अवधि में मेडिकोलीगल प्रकरण जैसे :– इन्युरी, उम्र की जॉच, बलात्कार की जॉच एवं सेक्स आदि के कुल–346, प्रकरण प्राप्त हुए। हिस्टोपैथोलॉजी के कुल–960 प्रकरण ,डॉयटम टेस्ट के कुल–1138, प्रकरण तथा एन्टोमोलॉजी के कुल–14 प्रकरण, विसरा जॉच विश्लेषण के कुल–228, प्रकरण जॉच एवं वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार उक्त अवधि में कुल–5645 प्रकरण संस्थान को प्राप्त हुए हैं।

5. मेडिकोलीगल प्रशिक्षण संबंधित जानकारी :–

1. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के न्यायिक अधिकारियों हेतु वर्ष–2011–2014 में 10 मेडिकोलीगल प्रशिक्षण सत्र मेडिकोलीगल संस्थान में आयोजित किये गये थे, जिसमें लगभग 300 न्यायिक अधिकारियों ने मेडिकोलीगल प्रशिक्षण का लाभ उठाया।

2. समय–समय पर राज्य सेवा के उप जिलाधीशों, उप पुलिस अधीक्षकों, लोक अभियाजकों, सहायक लोक अभियोजकों एवं चिकित्सा अधिकारियों को प्रशासन अकादमी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण सत्रों में मेडिकोलीगल प्रशिक्षण, संस्थान द्वारा नियमित रूप से दिया जाता है।

3. संस्थान के संचालक महोदय द्वारा सम्भागीय मुख्यालयों पर जाकर पुलिस अधिकारियों को मेडिकोलीगल प्रशिक्षण दिया गया है एवं मेडिकोलीगल संस्थान, भोपाल में सम्भाग/जिला/तहसील स्तर के अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों को भी नियमित रूप से मेडिकोलीगल प्रशिक्षण दिया जाता है।

4. संभाग स्तर पर लोक स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों को भी मेडिकोलीगल विषय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

5. आगामी वर्ष में प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित चिकित्सक एवं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्यरत समूचे प्रदेश के चिकित्सकों को विभिन्न समूहों में संस्थान में आकर मेडिकोलीगल प्रशिक्षण देने की योजना है।

3– <u>विभागीय पदौन्नतियों, विभागीय जॉच, विभागीय नियुक्तियॉ, स्थानान्तरण एवं न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में जानकारी</u> :–

1. संस्थान अन्तर्गत रिक्त सीधी भरती से भरे जाने वाले मेडिकल ऑफीसर (मेडिकल) के 04 पदों पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित एवं शासन द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने अपने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया, जबकि मेडिकल ऑफीसर (नॉन–मेडिकल) के 02 पदों पर नियुक्तियॉ हो गयी हैं। ये सभी पद सम्मिलित रूप से सामान्य एवं बैकलॉग अन्तर्गत आरक्षित वर्ग के थे। संस्थान के अराजपत्रित संवर्ग में रिक्त कैशियर/रोकड़िया के पद पर मह दिसम्बर, 2015 में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आहूत कर उक्त पद पर पदोन्नति की जा चुकी है ।

2. संस्थान में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्गों के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी विभागीय जॉच का प्रकरण लंबित/विचाराधीन नहीं है ।

3. मेडिकोलीगल संस्थान, भोपाल का संभाग/जिला/तहसील/विकास खण्ड स्तर पर कोई अधीनस्थ कार्यालय स्थित/कार्यरत नहीं है। अतः स्थानान्तरण से संबंधित संस्थान की जानकारी निरंक रहेगी ।

4. न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में वर्तमान् स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में 04 प्रकरण लंबित हैं। सभी प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति की जाकर प्रकरणें में जवाबदावे प्रस्तुत किए जा चुके हैं । किसी भी प्रकरण में शासन के विरूद्ध कोई भी अभियुक्ति/निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है।

<u>भाग – दो</u>

1. <u>बजट विहंगावलोकन/दृष्टि में</u> :–

वित्तीय बजट वर्ष–2014–2015 (01–04–2015 से 31–03–2015) में इस संस्थान लिए रूपये–2,93,12,000/– का बजट राशि प्राप्त हुई थी, जिसमें से रूपये–2,60,39,740/– का व्यय किया गया एवं रूपये–32,72,260/– की राशि शासन को समर्पित की गयी ।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशान विभाग मंत्रालय के प्रष्ठांकन क्रमांक 811/639/2015/1/9 दिनांक 08–05–2015. के परिपेक्ष्य में जेन्डर बजट से संबंधित संस्थान की जानकारी निरंक रहेगी ।

बजट प्रावधान लक्ष्य व्यय/योजना वार :–

यह संस्थान एक नॉन–प्लॉन/आयोजनेत्तर विभाग है।

सारांश :–

इस सस्थान द्वारा सहायक शल्य चिकित्सकों, न्यायिक अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मेडिकोलीगल विषय में महत्वपूर्ण बिन्दुओं से संबंधित इस संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है । वर्तमान् में संस्थान के संचालक महोदय एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश के सभी जिलों में मेडिकोलीगल प्रशिक्षण एवं जिला स्तर पर पुलिस कर्मियों एवं चिकित्सा अधिकारियों को संस्थान में प्रशिक्षण दिया जाता है ।

वर्ष–2015 में इण्डियन ऐकेडमी ऑफ फोरेन्सिक मेडिसिन की 36वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंन्स माह–जनवरी, 2015 में चैन्नई (तामिलनाडू) में आयोजित हुई । उक्त कॉन्फ्रेंन्स में संस्थान के संचालक चेयरपर्सन के रूप में आमंत्रित थे एवं उनके द्वारा शोध–पत्र भी प्रस्तुत किये गये।

वर्ष 2016 में इंडियन ऐकेडमी ऑफ फोरेन्सिक मेडिसिन की 37वीं वार्षिक कॉन्फ्रेन्स जो हाल ही में माह जनवरी 2016 में अहमदाबाद (गुजरात) में आयोजित हुई थी। उक्त कॉन्फ्रेन्स में संस्थान के संचालक चेयर पर्सन के रूप में आमंत्रित थे एवं उनके तथा अन्य अधिकारी द्वारा शोध–पत्र भी प्रस्तुत किए गए। मेडिकोलीगल संस्थान, भोपाल एक आयोजनोत्तर/नॉन–प्लॉन विभाग है, इसके अतिरिक्त संस्थान अन्तर्गत कोई भी राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित योजना /कल्याणकारी योजना आदि स्वीकृत नहीं है। संस्थान का संभाग/जिला/ तहसील/विकास खण्ड स्तर पर कोई अधीनस्थ कार्यालय कार्यरत नहीं है।

———*******———

कार्यालय अधीक्षक, मध्य प्रदेश स्टेट गैरेज
वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष–2015–2016

भाग – एक

म0प्र0 स्टेट गैरेज के दायित्व	–	1. मंत्री मण्डल, सचिवालयीन उच्च अधिकारियो के वाहनों का आवंटन, मरम्मत कार्य, पेट्रोल/डीजल प्रदाय आदि। 2. विधान सभा के वाहनों में पेट्रोल प्रदाय। 3. राजभवन के वाहनों में पेट्रोल प्रदाय।
सामान्य एवं प्रमुख विशेषताएं	–	मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज से वाहन का आवंटन/मरम्मत,पेट्रोल/डीजल का प्रदाय/राज्यकीय अतिथियों को हायर चार्जेस पर वाहन उपलब्ध कराया जाना।
महत्वपूर्ण सांख्यिकी	–	निरंक

भाग – दो

बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)	–	रू.	–	11,55,21,000/–
	–	वेतन रूपये	–	5,36,25,000/–
	–	यात्रा व्यय रूपये	–	2,00,000/–
	–	कार्यालय व्यय रूपये	–	12,96,000/–
	–	अनुरक्षण मद रूपये	–	96,50,000/–
	–	वाहन प्रतिस्थापन रूपये	–	3,00,00,000/–
	–	पेट्रोल क्रय मद रूपये	–	2,00,00,000/–
	–	लघु निर्माण कार्य, रूपय–		400000/–
	–	भारित(डिक्री धन)	–	2,00,000/–
	–	परीक्षा एवं प्रशिक्षण	–	50,000
	–	व्यावसायिक सेवाएं	–	1,00,000

बजट प्रावधान, लक्ष्य, व्यय (योजनावार) – स्टेट गैरेज आधुनिकीकरण वर्ष 2015–16 में प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

101 राज्य आयोजना 113,00,000/–

7210 स्टेट गैरेज भवन निर्माण, 64 वृहद निर्माण

न्यायालयीन प्रकरण–

कुल 05 प्रकरण माननीय न्यायालयों में लम्बित है। जिसमें से 2 प्रकरण माननीय न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित हैं, जिनमें से 1 मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर में एवं 1 प्रकरण जिला न्यायालय भोपाल में लम्बित है। 3 प्रकरण सेवा मेटर से संबंधित है जो मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर में लम्बित है।

कार्यालय अधीक्षक मध्यप्रदेश स्टेट गैरेज जहांगीराबाद, भोपाल
अधिकारी/कर्मचारियों की सूची

कमांक	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	अधीक्षक	01	—	01	
2.	स्टोर ऑफीसर	01	—	01	
3.	लेखाधिकारी	01	01	—	
4.	मुख्य लिपिक	01	—	01	
5.	स्टोर कीपर	01	01	—	
6.	सहायक वर्ग–2	02	02	—	
7.	सहायक वर्ग–3	09	07	02	
8.	फोरमेन	01	—	01	
9.	हेडमिस्त्री	01	—	01	
10.	फिटर	08	02	06	
11.	सहायक मैकेनिक	03	02	01	
12.	विघुतकार	02	—	02	
13.	टर्नर	01	01	—	
14.	अपहोस्टर	01	—	01	
15.	वेल्डर–कम–लौहार	01	01	—	
16.	चौकीदार कान्टी0	03	02	01	
17.	क्लीनर नियमित	19	13	06	
18.	क्लीनर कान्टी0	05	05	—	
29.	टाईम कीपर कान्टी0	01	01	—	
20.	पेट्रोल इश्युअर कान्टी0	04	03	01	
21.	भृत्य	02	02	—	
22.	स्वीपर	01	01	—	
23.	डॉक आरोही	02	01	01	
24.	नियमित वाहन चालक	64	38	26	
25.	कान्टी0 वाहन चालक	87	57	30	
	कुल योग	**222**	**140**	**82**	

———*******———